खण्ड-180, अंक-6
मंगलवार, 8 कार्तिक, शक संवत् 1878
(30 अक्टूबर, 1956 ई0)

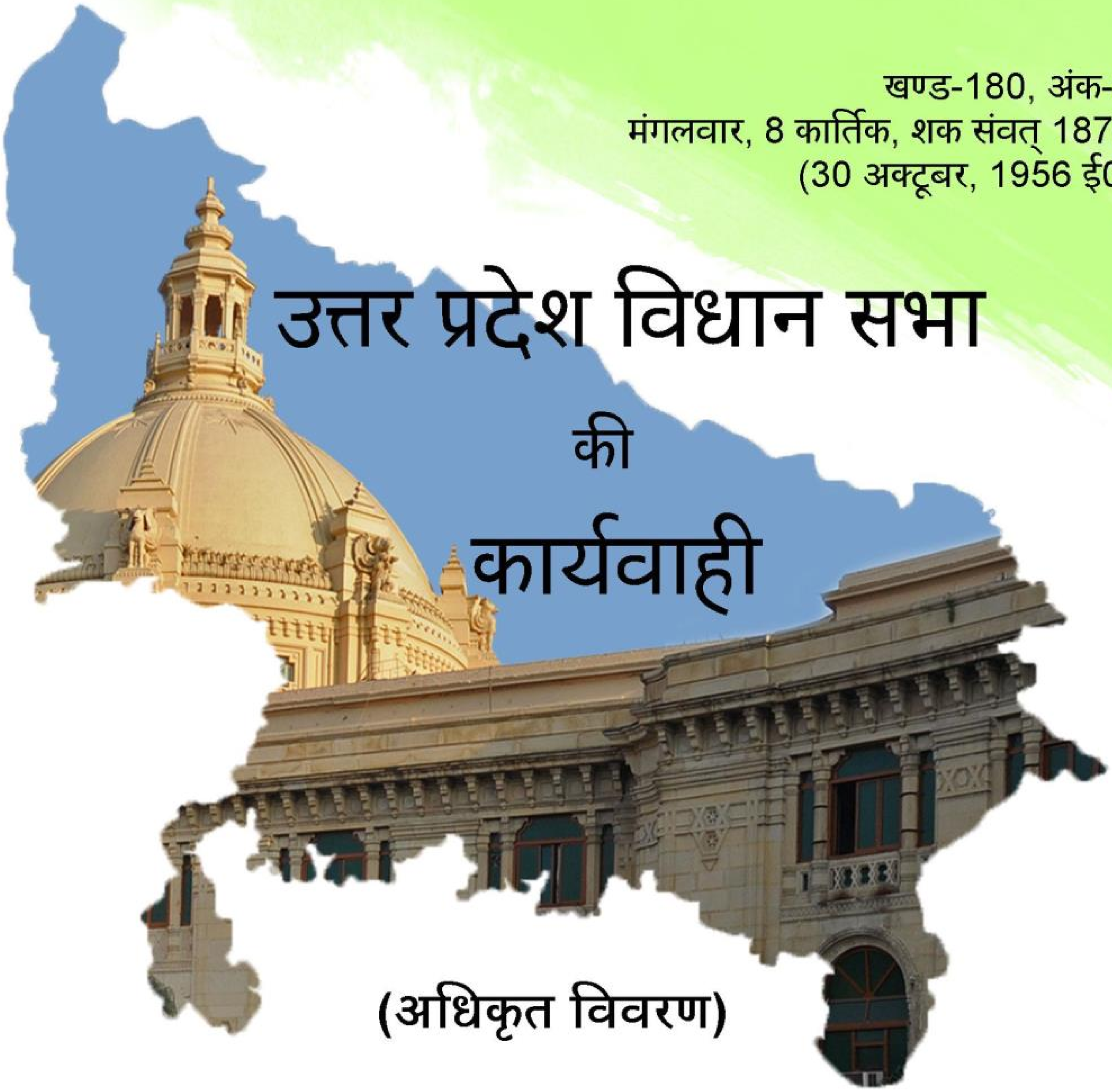

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३० अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६५)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णचरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
कशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भुपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन लाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री,
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशवर्मा, श्री
रघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर प्रष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास रनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री

सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३० अक्तूबर, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जौनपुर जिले में काबिज काश्तकारों को सीरदार न दर्ज करना

**१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने सन् १३५६ फसली और १३५९ फसली के काबिजों को सरकारी कागजात में अधिवासी और तत्पश्चात् सीरदार दर्ज करने का आदेश जारी किया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माल उपमन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस बात का पता लगाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में ५६ और ५९ के काबिज काश्तकारों को सीरदार नहीं दर्ज किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आम तौर पर तो आर्डर्स सब जगह गये हैं। आशा की जाती है कि उस पर जौनपुर में भी काम हुआ है लेकिन कोई खास कार्य अगर रह गया हो और उसकी तरफ माननीय सदस्य ध्यान दिलायेंगे तो उसको देख लिया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह आदेश कब जारी हुए और इस सम्बन्ध में कोई जांच की कार्यवाही हो रही है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आदेश पहले तो जब अधिवासी वह बन गया तब भी आदेश गवर्नमेंट की तरफ से और लैंड रिफार्म कमिश्नर की तरफ से दिये गये और जब अधिवासी सीरदार हुए तब भी आदेश जारी किये गये और कांफिडेंशियल आर्डर्स भेजे गये कि जो वीकर सेक्शन आफ दी सोसाइटी है उनके खिलाफ जो कोर्ऑसिव कार्यवाही जमींदार कर रहे हैं या एत्योरमेंट

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

दे कर लोगों को बेदखल कर रहे हैं या अपने हक में बयान दिला रहे हैं तो जो कानून के अन्दर हो सकता था उनको बचाने के लिये उस सम्बन्ध में कांफिडेंशियल आर्डर्स और वैसे आर्डर्स दिये गये हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---इस बात को देखते हुए कि इसकी शिकायतें हैं कि आर्डर्स पर अमल नहीं हो रहा है माननीय मंत्री जी अवश्य समझते हैं कि इसकी जांच करा ली जाय कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी जांच की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। वह इंडिविजुअल केसेज होते हैं और उनमें कोर्ट से ही फैसला हो सकता है और जिसकी ऐसी शिकायतें हैं वे कोर्ट में जा सकते हैं। मामूली आर्डर्स से तो जितना काम हो सकता है वह हो रहा है।

नई भूमि प्रबन्धक समितियों का निर्माण

**२---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नई ग्राम पंचायतों के चुनाव के आधार पर नई भूमि-प्रबन्धक समितियों का काम तक निर्माण होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नई ग्राम पंचायतों के चुनाव के आधार पर नई भूमि प्रबन्धक समितियों का निर्माण आम तौर पर गत २ अक्तूबर, १९५६ को हो गया है।

एक सौ से तीन सौ रुपये तक वेतन वाले सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में विशेष डाक्टर की नियुक्ति

**३---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में इस समय पी० एम० एस० (I) के सीनियर मेडिकल डाक्टर को ४ अगस्त, १९५६ से यू० पी० मेडिकल एटेन्डेंस रूल्स के अन्तर्गत लखनऊ के 'बी' क्षेत्र (Zone) में रहने वाले १०० रु० से अधिक तथा ३०० रु० प्रति मास से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के सभी प्रकार के केसेज (Surgical and Medical) के लिये (Authorized Medical Attendant) नियुक्त किया गया है ?

नियोजन मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जी हां।

कनखल में घाटों की मरम्मत की आवश्यकता

**४---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार का विचार कनखल में घाटों का जीर्णोद्धार करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वशासन उपमन्त्री (श्री कैलाश प्रकाश)---जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह नगरपालिका हरद्वार की स्वयं की जिम्मेदारी है। अतः उसे स्वयं अपने धन से और यदि आवश्यकता हो तो जनता से धन इकट्ठा कर के कनखल के घाटों की मरम्मत करानी चाहिये।

श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार किया गया है तो कौन से कारण हैं कि हरद्वार में जरूरी घाटों का जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---यह मामला तो कनखल के घाटों का है और कनखल के घाटों के मामले में और बनारस के घाटों के मामले में बहुत फर्क है।

कनखल को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिए योजना

**५---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार बतायेगी कि कनखल शहर को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिये नया बांध कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और इस पर कुल क्या व्यय होगा ?

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)---कनखल शहर को गंगा की बाढ़ से बचाने के लिये एक योजना बनाई गई है। यह प्रदेशीय बाढ़ निरोध समिति द्वारा स्वीकृत भी हो गई है और केन्द्रीय बाढ़ निरोध समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ कर दिया जायगा। इस योजना की लागत लगभग ११ लाख ६५ हजार रुपया होगी।

उद्योगों के सम्बन्ध में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार के पास भेजना

**६---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या प्रदेशीय सरकार ने Fact Finding Committee की रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ?

नियोजन मन्त्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)---जी हां।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे यदि प्रांतीय सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तो वह उनको इम्पलीमेंट करने कब जा रही है ?

श्री बनारसी दास---यह अभी अगस्त के महीने में रिपोर्ट ही मिली। उद्योग विभाग में इस पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों के पास विचार करने के लिये और उन सुझावों पर क्या अमल किया जा सकता है भेजी गयी है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट आफ इंडिया के संबंधित विभागों को यह रिपोर्ट भेजी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि केंद्रीय सरकार को जो रिपोर्ट भेजी गयी है उसका कोई उत्तर आया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बनारसी दास---अभी तो उत्तर का प्रश्न नहीं पैदा होता। अभी यह रिपोर्ट भेजी गयी है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने यह जो फैक्ट्स फाइंडिंग के सुझाव हैं और छोटे उद्योग धंधों की जो कमेटी नियुक्त हुई थी उनके सुझावों में कुछ रिलेशनशिप स्थापित करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास---यह दोनों प्रश्न अलग-अलग हैं। यह कमेटी जिसको बिड़ला कमेटी कहते हैं इसका ज्यादा सम्बन्ध हैवी इन्डस्ट्रीज से है। और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज कमेटी थी, उसमें स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज बोर्ड के अन्दर विचार किया गया। वह कमेटी इसलिए नियुक्त की गयी थी कि जो योजनाएं पंचवर्षीय योजना में बनी हैं जिनको बजट में पास किया जा चुका है आया उनको कार्यान्वित करने में सुविधा होगी या नहीं होगी और उनको मान लिया गया है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस रिपोर्ट पर बहस करने के लिए सदन में कोई समय सरकार देगी ?

श्री बनारसी दास---जी हां। इस पर बहस की जा सकती है। लेकिन अभी तो इस पर सरकार ने भी पूरी तौर से विचार नहीं किया है। सम्बन्धित विभागों से जवाब आने पर सदन में निश्चय किया जा सकेगा कि इस पर किसी दिन बहस की जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि इस कमेटी ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कौन-कौन से उद्योगों को इस प्रदेश में रखना होगा इस प्रश्न पर भी अपनी कोई सलाह दी है?

श्री बनारसी दास---पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो प्लानिंग कमीशन और गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने एक नीति निश्चित कर दी है। जो बेसिक इन्डस्ट्रीज हैं वह पब्लिक सेक्टर में होंगी और बाकी कन्ज्यूमर गुड्स इन्डस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में होंगी। इस दृष्टि से कन्ज्यूमर्स गुड्स के बारे में बहुत सी सिफारिशें की हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपा कर इस सदन के सम्मानित सदस्यों की राय इस रिपोर्ट पर क्या है उस राय को भी केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की कृपा करेगी?

श्री बनारसी दास---यह तो अभी प्रश्न पैदा नहीं होता है। बहरहाल जहां तक इन्डस्ट्रीज का सवाल है इसके बारे में सदन में कोई दो मत तो हैं नहीं कि इन्डस्ट्रियलाइजेशन इस प्रदेश का होना चाहिए। जब केन्द्रीय सरकार का मत मालूम हो जायगा और यहां के विभाग भी पूरी तरह से इसको एक्जामिन कर लेंगे, उसके बाद अगर आवश्यकता हुई तो सदन में भी विचार किया जा सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अभी इस रिपोर्ट पर विचार करने में सरकार को कितना और समय लगेगा?

श्री बनारसीदास---अभी इसके लिए कहना कठिन है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विचार करके निर्णय कर लें। उस पर विचार हो जाय तो कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने में और उनको यहां पर कायम करने में शीघ्रता की जाय।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---इस आवश्यकता को देखते हुए कि उसमें एक अरब रुपये की योजना बनायी गयी है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उस धन की मांग करने के लिए जल्दी करने का विचार करेगी कि उस पर जल्दी से विचार कर लिया जाय?

श्री बनारसीदास---इसमें यह तो बड़ा कठिन मालूम पड़ता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से हमको इन्डस्ट्रीज के लिए अलग रुपया मिल सके क्योंकि जहां तक हमारा टार्गेट है पंचवर्षीय योजना में वह तो निश्चित है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट तो नियन्त्रण करती है, लाइसेंस देती है। बिना लाइसेंस के कोई इन्डस्ट्री कायम नहीं हो सकती इसलिए हमने भेजा है। यदि सेन्ट्रल गवर्नमेंट हमारी योजना स्वीकार कर लेती है तो वह इन्डस्ट्रीज यहां कायम होंगी। उनको को लाइसेंस मिल सकता है। इसके लिए तो बहुत सी क्रेडिट संस्थाएं हैं जहां से पैसा मिल सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या फैक्ट फाइन्डिंग कमेटी के कुछ ऐसे सदस्यों ने जो कारखानेदार हैं इस बात का आश्वासन दिया है कि वे कारखानों की जो योजना बनायी है उसके मंजूर हो जाने पर कुछ रुपया अपनी ओर से उन कारखानों के निर्माण पर लगायेंगे?

श्री बनारसी दास---यह रिपोर्ट का तो अंग है नहीं।

श्री गेंदासिंह---क्या यह बताने की मेहरबानी करेंगे मन्त्री जी कि जो रिपोर्ट आयी है वह सर्वसम्मति से है या किसी ने नोट आफ डिसेंट दिया है?

श्री बनारसी दास--यह रिपोर्ट सदन में बांटी जा चुकी है और माननीय गेंदा सिंह जी को मालूम है कि किन्होंने नोट आफ डिसेंट दिया है।

बाढ़ पीड़ित जिलों के विद्यार्थियों की फीस मुआफ करने के लिए आदेश

**७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि पूर्वीय जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के गरीब छात्रों की फीस मुआफी का आदेश इस वर्ष का चला गया है? यदि हां, तो कब?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां। सितम्बर २८, १९५६ को भेजा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि उस आदेश की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं?

डाक्टर सीताराम--यह आदेश २८ सितम्बर, १९५६ को भेजा गया है जिसमें यह है कि उन जिलों में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय। यह जिले हैं--हमीरपुर, बांदा, गोरखपुर, बनारसी, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, बस्ती, इलाहाबाद और मिर्जापुर।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि गरीब छात्रों की नामावली तैयार करने में लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से भी सिफारिश करानी पड़ती है?

डाक्टर सीताराम--जहां तक गरीब छात्रों का प्रश्न है प्रिंसिपल आफ इन्स्टीटयूशन की संस्तुति पर उनकी फीस माफ होती है। लेकिन जहां तक तहसीलदार, कानूनगो का प्रश्न है अब उस विद्यार्थी के सम्बन्ध में यह बात आती है कि वास्तव में वह विद्यार्थी फ्लड एरिया का है या नहीं। इसलिए तहसीलदार और कानूनगो की संस्तुति जरूरी हो जाती है। इसलिए उनके पास जाना पड़ता है। लेकिन जहां तक जी० ओ० का प्रश्न है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको जाना ही पड़े।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को निश्चित करने के लिए कि वह विद्यार्थी फ्लड एरिया में रहता है या नहीं उसका स्कूल में दर्ज पता पर्याप्त नहीं है?

डाक्टर सीताराम--प्रिंसिपल तो जानता ही है वह विद्यार्थी कहां का रहने वाला है। लेकिन चूंकि माल विभाग की ओर से स्पष्टीकरण कराना बहुत जरूरी होगा, इसलिए विद्यार्थियों को उनके पास जाना पड़ता होगा।

श्री बलवन्त सिंह--(जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि जिला कलेक्टर हर एक इन्स्टीटयूशन में जो बाढ़ ग्रस्त एरियाज हैं जिले में उनकी लिस्ट भेज दें जिससे लोगों को इधर-उधर जाना न पड़े?

डाक्टर सीताराम--यह तो जिलाधीश के द्वारा भेज ही चुके हैं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मन्त्री जी जिन पश्चिमी जिलों में भीषण बाढ़ आयी उन जिलों में भी विद्यार्थियों की फीस माफ करने पर विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर सीताराम--यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी सम्बन्धित अधिकारियों को ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिससे इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इस इन्क्वायरी वगैरह में ज्यादा तकलीफ न हो और उनकी फीस की कठिनाइयां आसानी से हल हो सकें ?

डाक्टर सीताराम—ऐसे आदेश दिये जा चुके हैं।

इलाहाबाद के मुहल्ला शहराराबाग में श्री महावीरप्रसाद मिश्र के घर डाकेजनी

**९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर में २० अक्तूबर को मोहल्ला शहराराबाग में १२ बजे दिन को श्री महावीरप्रसाद मिश्र के घर डाका डाला गया था ?

पुलिस उपमन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—श्री महावीरप्रसाद द्वारा एक डकैती की रिपोर्ट २० अक्तूबर को कोतवाली थाने में की गयी थी। उस पर जांच हो रही है।

**१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि २० अक्तूबर को जो डाका पड़ा था उसमें कितने आदमी घायल हुए तथा कितने का नुकसान हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस घटना में तीन व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। नुकसान के विषय में जांच हो रही है।

**११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डाका पड़ने के कितने समय बाद पुलिस उस स्थान पर पहुंची और घटनास्थल पर कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और २६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि घटना स्थल से थाना कितनी दूरी पर है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आपने मुझसे ज्यादा उस को नापा होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि घटना स्थल पर जितने आदमी गिरफ्तार किये गये उनके अलावा और भी आदमी वहां पर थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, उसके अलावा और भी कुछ आदमी थे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो डकैतियों की रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें कितने का माली नुकसान बताया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अब यह तो जांच होने के बाद ही तय हो पायेगा कि डकैती हुई या नहीं और माल कितने का गया।

जिला अस्पताल, इटावा से 'डायगनोस्टिक सेट' की चोरी का डाक्टर बनवारी लाल पर कथित उत्तरदायित्व

**११—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या नियोजन मंत्री १० अक्तूबर के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से ३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि यन्त्र खोने के समय के सिविल सर्जन इटावा से सरकार का पत्र-व्यवहार होने पर उसे यह मालूम हुआ है कि उन पर भी यन्त्र खो जाने की जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है और इस पर अभी भी सिविल सर्जन से पूछ-ताछ जारी है।

श्री बनारसीदास---जी नहीं ।

**१२---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या नियोजन मंत्री बतायेंगे कि खोये हुये यंत्र की कीमत वसूल की जा चुकी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अभी तक वसूल न करने का कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास---डा० बनवारी लाल पांडे को छोड़कर अन्य सब कर्मचारियों से जिन के ऊपर यंत्र खो जाने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई थी अगस्त सन् १९५१ तक कीमत वसूल कर ली गई है । डा० पांडे से अभी तक कीमत वसूल न करने का कारण यह है कि उनका कहना है कि यंत्र खो जाने में उनकी जिम्मेदारी नहीं है । इसको सिद्ध करने के लिये उनसे कहा गया है कि वे अपना आवेदन-पत्र प्रेषित करें जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

**१३---श्री रामदुलारे मिश्र---क्या यह सही है कि निर्धारित उत्तरदायित्व को गलत मान कर डाक्टर बनवारी लाल पांडेय ४-५ साल से वेतन नहीं ले रहे हैं ?

श्री बनारसीदास---यह सही है ।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि उस समय के सिविल सर्जन से इस सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गई ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---यह पूछ ताछ तो सिविल सर्जन से ही की गई है और बराबर इस पर खतोकिताबत रही और सिविल सर्जन ने ही यह जिम्मेदारी निर्धारित करने के बाद अपना फैसला सरकार के पास भेजा ।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खोये हुये यंत्र की कीमत कितनी थी ?

श्री बनारसीदास---कुल १८४ रु० १३ आना ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या यह सही है कि जिन डाक्टर का नाम अभी लिया गया डाक्टर बनवारी लाल पांडे, उन्होंने लगभग ५ वर्ष से अपनी तनख्वाह नहीं ली ?

श्री अध्यक्ष---इसका तो जबाब दिया जा चुका है कि यह सही है ।

श्री रामदुलारे मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डाक्टर पांडे को यंत्र की कीमत वसूल करने के सम्बन्ध में कब लिखा गया और उन्होंने कब क्या जबाब दिया ?

श्री बनारसीदास---तारीख तो मेरे पास निश्चित नहीं है लेकिन सन् ५१ में ही यह फैसला किया गया और उनको तभी सूचना दी गयी । इसके बाद में कई मर्तबा लिखा गया । उनका कहना यह है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है । अभी तक उनका आवेदन-पत्र सरकार के पास नहीं आया है इसलिये कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया ।

आजमगढ़ जिले में थाना मुहम्मदाबाद के कांस्टेबिल की हत्या

**१४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के थाना मुहम्मदाबाद के किसी कांस्टेबिल की हत्या हो गई है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां । विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इस घटना से सम्बन्धित पुलिस के आतंक से मीरपुर और भगवानपुर गांवों के आदमी आतंकित होकर घरों में ताला लगा कर भाग गये हैं जिसकी शिकायत श्री विश्राम राय जी, एम० एल० ए० ने पुलिस कप्तान आजमगढ़ से की है?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस घटना से सम्बन्धित जो एक दो व्यक्ति हैं उन्होंने आतंक फैलाया था और कुछ लोग उनके डर से गांव छोड़ कर चले गये थे लेकिन वह लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं और आतंक का अब कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक मुख्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी दो व्यक्तियों के गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है ।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मंत्री जी इस हत्या के कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह नहीं कहा जा सकता है लेकिन अनुमान किया जाता है कि वही लोग हैं जो चोरी डकैती आदि जुर्म करते हैं, वह पुलिस से नाराज थे और उन्होंने ही उस कांस्टेबिल की हत्या की है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कांस्टेबिल की हत्या के कितनी देर बाद पुलिस को जानकारी हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---वह जब लौट कर नहीं पहुंच पाया तो उसकी तलाश हुई और लाश पाई गई ।

राज्य में राष्ट्रीय सड़कों के पुलों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता

**१५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेशीय सरकार को किन-किन राष्ट्रीय सड़कों के पुलों के निर्माण के लिये कितना कितना रुपया दिया है ?

निर्माण उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---केन्द्रीय सरकार ने जिन-जिन राष्ट्रीय सड़कों के, पुलों के निर्माण के लिये जितना रुपया प्रदेशीय सरकार को देना स्वीकार किया है उसकी सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी तालिका में है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२२ पर)

**१६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन पुलों में से कौन-कौन पुल बनाये जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इन पुलों में से गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी तथा झरनाघाट में बेतवा नदी के पुल आजकल बनाये जा रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास पुलों के निर्माण के लिये किन्हीं स्थानों के लिये सिफारिश की थी ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से स्थान हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सिफारिश का तो प्रश्न नहीं उठता है, राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर जो पुल हैं यह विषय केन्द्रीय सरकार का है और उनके द्वारा ही पुल आदि निर्माण के लिये प्रदेशीय सरकार को लिखा जाता है। वैसे प्रदेशीय सरकार भी केन्द्रीय सरकार को इस विषय में लिख देती है और उसके अनुसार कुछ पुल स्वीकृत हो जाते हैं।

श्री तेज प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बेतवा नदी पर जो पुल बनाने का जिक्र किया गया है, वह किस स्थान पर बनाया जा रहा है और कितना रुपया व्यय हो रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय इसकी अलग से सूचना नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमुना नदी में कोई पुल बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आगरा में।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी उन सूचनाओं को जो उन्होंने बतलायी हैं, माननीय सदस्यों की सूचना के लिये पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

पुलों के नाम	अनुमानित लागत
१---आगरा में यमुना नदी का पुल	५५.०० लाख रु०
२---करमनासा के पुल के पानी के मार्ग को चौड़ा करना	.६६ ,, ,,
३---मिर्जापुर-रेवा रोड पर बेलन नदी का पुल	८.०० ,, ,,
४---मिर्जापुर-चुनार रोड पर खजुरी नदी का पुल	३.५० ,, ,,
५---गाजियाबाद में हिंडन नदी के पुल को चौड़ा करना	४.३४ ,, ,,
६---हापुरगढ़ रोड पर छाया नाला का पुल	१.२५ ,, ,,
७---गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी का पुल	९३.४३ ,, ,,
८---लखनऊ-बरेली रोड पर कोसी नदी का पुल	२५.०० ,, ,,
९---मेरठ-बरेली रोड पर रझेरा के पुल का पुर्ननिर्माण	४.०० ,, ,,
१०---मुरादाबाद में रामगंगा का पुल	७०.०० ,, ,,
११---मुरादाबाद-बरेली रोड पर नरी नाला का पुल	३.०० ,, ,,
१२---मुरादाबाद-बरेली रोड पर संखा नाला का पुल	१.१० ,, ,,
१३---लखनऊ-झांसी सड़क के मील ९८ में यमुना नदी का पुल	१०३.०० ,, ,,
१४---झरारघाट में बेतवा नदी का पुल	२३.४५ ,, ,,
१५---अयोध्या में सरजू नदी का पुल	१२४.३७ ,, ,,
१६---गोरखपुर के पास राप्ती नदी का पुल	३५.५० ,, ,,
१७---गोरखपुर-गाजीपुर रोड के मील १९ में गोमती नदी का पुल	२५.१० ,, ,,
१८---गोरखपुर-गाजीपुर रोड के मील १३० में घाघरा नदी का पुल	९१.४० ,, ,,
१९---वाराणसी में मालविया ब्रिज रेलवे की डेकिंग	..
२०---लखनऊ-दिल्ली रोड पर भाकरा नदी का पुल	१०.९८८ ,, ,,
२१---लखनऊ-दिल्ली रोड पर बेगुल नदी का पुल	१०.९६७ ,, ,,

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में पक्की सड़कों की आवश्यकता

**१०—श्री गौरीराम (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कौन-कौन सी सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराने जा रही है ?

निर्माण मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जिला गोरखपुर में फरेंदा तहसील की कोई भी सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद नगरपालिका में एकाउंट आफिसर नियुक्त करने की मांग

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया कर बतायेगी कि प्रदेश में किस-किस कस्बाल टाउन्स नगरपालिका में एकाउन्ट आफिसर नियुक्त हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—केवल आगरा नगरपालिका में एकाउन्ट आफिसर की नियुक्ति हुई है ।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के एकजामिनर लोकल फंड एकाउन्ट, यू० पी० ने इलाहाबाद नगरपालिका के अधिकारियों के ऊपर फिजूल-खर्ची का आरोप लगाया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस नगरपालिका के बारे में हाल में प्राप्त हुये (१९५३-५४) आडिट रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि नगरपालिका के अधिकारियों पर फिजूलखर्ची का कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इलाहाबाद नगरपालिका में भी एकाउन्ट आफिसर की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—यदि इलाहाबाद नगरपालिका इस प्रकार का प्रस्ताव भेजे तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि आगरा नगरपालिका में एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति करने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—वहां का काम पड़ा हुआ था और हिसाब को ठीक रखना था इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि वहां एकाउन्ट्स आफिसर रखा जाय और वह रखा गया ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि आगरा नगरपालिका में हिसाब-किताब में गड़बड़ होने के कारण इस एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर—गड़बड़ी बहुत अहम तो नहीं थी लेकिन कुछ थोड़ी सी थी जरूर और उसकी वजह से यह जरूरी हो गया था ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह गड़बड़ी क्या थी ?

श्री सैयद अली जहीर—इस वक्त तफसील तो मेरे पास नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में सिंचाई का बढ़ाया गया क्षेत्र

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के कितने एकड़ नये रकबे की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया तथा उसमें कितना रुपया निर्माण कार्य में व्यय किया गया ?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में २,६६,४०० एकड़ नए रकबे की सिंचाई का प्रबंध किया गया तथा उसमें लगभग ११० लाख रुपया व्यय किया गया।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में नकटी नाले की खुदाई

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास १५-१२-५५ और ११-१-५६ को घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के हरदासपुर और पिड़वा-पकड़ी ताल के निवासियों का आवेदन-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि नकटी नाले की खुदाई बरसात आने के पहिले करा दी जाय, क्योंकि प्रतिवर्ष पानी के जमाव के कारण हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाया करती है और गांवों में भी पानी घुस आता है ?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—नकटी नाले को खुदवाने की योजना पर कार्य १० जुलाई, १९५६ को समाप्त हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि नाले की खुदाई कम होने के कारण विगत बाढ़ में इस नाले के आसपास के सैकड़ों गांवों में पानी आ गया था और जिसके कारण सैकड़ों घर घराशायी हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही हो सकती है। नाले की खुदाई कम नहीं हुई, चूंकि बाढ़ इस साल बेहद ज्यादा हुई इसलिए ऐसा हो गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री विगत बाढ़ की बातों का ख्याल करते हुए फिर से नाले की पैमाइश कराने और उसे अधिक खुदवाने की कृपा करेंगे ताकि पानी जाने का मार्ग भी प्रशस्त हो ?

श्री राममूर्ति—वैसे तो ऐसी बाढ़ें जिन्दगी में कभी-कभी ही आया करती हैं, लेकिन अगर इसकी जरूरत समझी जायगी तो वह बढ़ाया भी जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत आयी है कि इस नाले के पानी की निकासी बहुत कम होने के कारण ही ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और आने-जाने का रास्ता तक नहीं रहा ?

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इस नाले पर पहले कोई निकासी का रास्ता नहीं था। अभी बनाया गया। तो जितना पानी साधारणतः बहना चाहिए उसके हिसाब से ही वह रास्ता बनाया गया। और इस प्रकार की अतिवृष्टि हुई इस बार आजमगढ़ में कि ३५ और ४० इञ्च तक पानी बरसा, इसी कारण से ऐसा हो सका। इसलिए अगर आवश्यक समझा जायगा तो उसका प्रबन्ध किया जायगा। मान्यवर, मुझे सिर्फ शिकायत यह है कि इस नाले का नाम बड़ा खराब है।

हाथरस के कोटा ग्राम सभा क्षेत्र में रंगपुरा ग्राम के सम्मिलित किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*७---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या यह सच है कि हाथरस के कोटा ग्राम सभा क्षेत्र में रंगपुरा गांव मिला देने की सूचना १९५५ के गजट में छपी थी, फिर भी इस गांव को चुनाव से वंचित कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश---यू०पी० पंचायत राज अधिनियम, १९४७ की धारा ३ की उपधारा (१) के अन्तर्गत गांव सभा की स्थापना की जो विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित की गयी उस के अनुसार गांव रंगपुरा गांव सभा भांकरी नगला भोजा में सम्मिलित था। तदनुसार ही चुनाव की तैयारी भी की गयी, किन्तु रंगपुरा के निवासियों ने स्वेच्छा से निर्वाचन में भाग नहीं लिया और जिला पंचायत अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया कि गांव रंगपुरा गांव सभा भांकरी नगला भोजा के बजाय गांव सभा कोटा में सम्मिलित कर दिया जाय। उनकी इच्छानुसार गांव रंगपुरा गांव सभा कोटा में सम्मिलित तब तक नहीं कराया जा सकता जब तक यू० पी० पंचायत राज अधिनियम सन् १९४७ धारा ३(१) के अन्तर्गत कार्यवाही संपादित न हो जाय। रंगपुरा के निवासियों का यह प्रार्थनापत्र, संचालक, पंचायत राज, उत्तर प्रदेश के विचाराधीन है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि रंगपुरा गांव सभा भांकरी नगला भोजा से निकाल कर कोटा गांव सभा में चुनाव से पूर्व ही सम्मिलित कर दी गयी थी और इस सम्बन्ध में आदेश भी जारी हो गये थे, परन्तु तहसीलदार की लापरवाही से यह आदेश कार्यान्वित नहीं हो सके? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी?

श्री कैलाशप्रकाश---जो सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध है, उससे यह प्रतीत नहीं होता। यदि माननीय सदस्य को इस प्रकार की कोई सूचना है और वह चाहेंगे तो उसकी जांच जरूर की जा सकती है।

हाथरस माट ब्रांच नहर की नालियों की मरम्मत

*८---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस-माट ब्रांच नहर के दोनों ओर जो पानी चुआन का भर जाता है और खेत गल जाते हैं इससे खेतों की रक्षा के लिए नाली बनाने की योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी?

श्री रामसूर्ति---प्रश्न में दिये हुए क्षेत्र के खेतों की रक्षा के लिए पुरानी नालियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण (remodelling) का कार्य समाप्त हो चुका है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मन्त्री सिंचाई विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां कभी इस प्रकार की नालियां बनी थीं? यदि हां, तो कब, कितनी और वह कितनी लम्बाई की थीं?

श्री रामसूर्ति---जहां-जहां जरूरत समझी गयी ये नालियां नहर के साथ-साथ बनायी गयी थीं। अगर आप आज्ञा दें, तो मैं सूची पढ़ सकता हूं, लम्बी है जरा।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

हाथरस-जलेसर सड़क को पक्की करने की आवश्यकता

*९---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग हाथरस-जलेसर सड़क को पक्का कराने के लिए इसे अपने हाथ में लेने का विचार रखता है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

नैनीताल जिले की भतरोंजखान-बेतालघाट सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न लेना

*१०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने नैनीताल जिले की भतरोंजखान-बेतालघाट रोड को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का निश्चय कर लिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात को देखते हुए कि इस सड़क को जिला नियोजन समिति ने प्रथम स्थान दिया है, जहां तक सिपारिश का सवाल है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में फिर से विचार करेगी और इस सड़क को बनावेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जिला नियोजन समिति ने ८वां स्थान दिया है।

रामगढ़-तल्ला रामगढ़ मोटर सड़क का अपूर्ण निर्माण-कार्य

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को पता है कि रामगढ़ से तल्ला रामगढ़ जाने वाली मोटर सड़क अभी तक नहीं बन पायी है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इस सड़क के निर्माण की लागत २.२ लाख रुपये है जिसमें से १,४१,००० रुपये सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये थे। शेष कार्य श्रमदान द्वारा पूरा हो जाने की आशा थी। सरकार द्वारा दिये गये १,४१,००० रुपये से इस सड़क, जो कि कुल ५ मील ३ फर्लांग लम्बी है, के पहले चार मील पूरे हो चुके हैं। शेष पर श्रमदान होना बाकी है। अभी तक श्रमदान न होने से सारी सड़क नहीं बन पाई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि जनता इस सड़क पर पहले ही ३ मील हिस्से पर श्रमदान कर चुकी है और पी० डब्ल्यू० डी० ने फिर से सड़क बनवाई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी सूचना मुझे नहीं है। किन्तु यह मैं जरूर जानता हूं कि श्रमदान के सम्बन्ध में जिला नियोजन समिति को भी लिखा गया है और उन्होंने कुछ ऐसा भी सरकार को लिखा है कि प्रयास किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस बात को देखते हुये कि जनता अपने श्रमदान का पूरा हिस्सा पहले ही सम्पन्न कर चुकी है सरकार इस बाक़ी सवा मील के हिस्से को बनावेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि इसमें पहले कोई श्रमदान किया जा चुका है। अगर किया जा चुका है और माननीय सदस्य कोई सूचना देंगे तो विचार किया जा सकता है।

पर्वतीय क्षेत्र में कठिन मार्गों पर काम करने वाले मजदूरों को बरसाती एलाउन्स देने की सिफारिश

*१२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कुमायूं के पर्वतीय क्षेत्रों में कठिन राहों पर कार्य करने वाले पी० डब्ल्यू० डी० के मजदूरों को "बरसाती एलाउन्स" (Rainy Season Allowance) देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार कब तक निश्चय कर सकेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचारार्थ नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या पर्वतीय क्षेत्रों के मजदूरों की कठिन स्थिति को देखते हुए सरकार बतावेगी कि उनको क्या सुविधायें देती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वे मजदूर वर्क चार्ज्ड स्टाफ के सदस्य होते हैं और उनको ३३ रु० ८ आ० प्रतिमास दिया जाता है। रविवार की छुट्टी दी जाती है किन्तु बरसात के दिनों में रविवार की छुट्टी नहीं होती और ४० रु० ११ आने वेतन दिया जाता है। वैसे वर्क चार्ज्ड और सारे स्टाफ के बारे में एक कमेटी विचार कर रही है और जो दूसरे मजदूरों को सुविधायें दी जावेंगी उनमें उस क्षेत्र के मजदूर भी सम्मिलित होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इन मजदूरों को वर्क चार्ज्ड से हटाकर परमानेंट में लेने का विचार रखती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह करना सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि पूर्वी इलाकों में मजदूर पी० डब्ल्यू० डी० के १३ रु० ४ आ० से कम वेतन पाते हैं और एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी जाती है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---छुट्टी का जहां तक प्रश्न है, छुट्टी सभी को मिलती है। जहां तक तनख्वाह का प्रश्न है, मुझे जहां तक याद है, तनख्वाह भी प्रायः सभी को मिलती है। लेकिन स्थान-स्थान की दरों को देखते हुए स्थानीय तनख्वाहें भिन्न-भिन्न हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कमेटी जो मुकर्रर की गयी है उसमें कौन-कौन सदस्य हैं और कब नियुक्त की गयी। इसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रायः एक वर्ष हुआ। उस कमेटी में स्वयं मैं हूं तथा सार्वजनिक विभाग के मंत्री हैं, एक सेक्रेटरी हैं और इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग और इलेक्ट्रिसिटी के चीफ इंजीनियर उसके सदस्य हैं। हमारे यहां के चीफ इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर भी उसके सदस्य हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या है और उसकी रिपोर्ट कब तक आयेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---टर्म्स आफ रिफरेंस तो उनके बहुत अधिक हैं किन्तु मोटे तौर पर यह जो अब सार्वजनिक विभाग के पास कार्य हैं, उ की आवश्यकताओं को देखते हुए विभाग में कितने व्यक्ति रक्खे जायं तथा उनका क्या यार्डिस्टिक होगा, कितना वर्क लोड होगा, कितना स्टाफ परमानेंट रक्खा जाय, कितना टेंम्पोरेरी हो तथा और इसी तरह से मजदूरों की तनख्वाह तथा उनकी सर्विस कन्डीशन क्या हो और उनको क्या और अधिक सुविधायें दी जा सकती हैं, इन सब बातों पर विचार होगा। जहां तक मेरा अनुमान है यह रिपोर्ट सरकार के पास अधिक से अधिक २ मास में पहुंच जायगी।

आजमगढ़ जिले के घोसी पश्चिमी क्षेत्र में नलकूपों की आवश्यकता

*१३---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि जब वे अभी हाल में आजमगढ़ जिले में दौरे के लिये गये थे तो उन्होंने घोसी पश्चिमी क्षेत्र में ४ नये नलकूपों के निर्माण की आज्ञा दी थी?

*१४--यदि हां, तो क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वे ४ नलकूप किस स्थान पर निर्मित होंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--नलकूपों के निर्माण के लिये प्रार्थना-पत्र आते रहते हैं जिन्हें चीफ इंजीनियर के पास जांच-पड़ताल और उनकी सम्मति के लिये भेज दिया जाता है। उनकी रिपोर्ट आने पर स्थान के विषय में स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऐसी रिपोर्ट आने पर ही निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकेगा।

बस्ती जिले में कूड़ा नदी के कटाव को रोकने के लिए उसका-सोहास सड़क को ऊंची करना

*१५--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में नगवां व करछुलिया, खालसा व करछुलिया ग्रांट तथा सोहास गांवों के किनारे कूड़ा नदी का कटाव बड़े जोरों पर है ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*१६--**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**--क्या सरकार जांच करा कर और उक्त नदी के कटाव के रोकने की व्यवस्था करा कर उक्त गांवों को कटने से बचायेगी ?

श्री राममूर्ति--बाढ़ विभाग बस्ती द्वारा जिला बोर्ड की एक सड़क को, जो उसका से सोहास होते हुए नैपाल राज्य को जाती है, उच्चतम बाढ़ सतह से २ फ़ीट ऊंचा किया गया है। आशा है कि यह सड़क नदी के कटाव से प्रश्न में दिये हुए गांवों को बचा सकेगी।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर फिर से इस बात की जांच करायेंगे कि नगवां व करछुलिया, खालसा व करछुलिया आदि गांवों के बीच में जो सड़क पड़ती है उसके नदी से कट जाने से उनके बह जाने का भय है तो क्या सरकार इस सड़क को और ऊंची करायेगी ताकि नदी के कटाव से ये गांव न बह सकें ?

श्री राममूर्ति--नगवां गांव और नदी के बीच में सड़क पड़ती है, अतः उसकी सतह को ऊंचा कराने का प्रश्न हमारे सामने है।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--नगवां गांव की सतह को ऊंचा करने पर भी कुछ गांव बाक़ी हैं जो नदी के काटते रहने से नहीं बच सकते हैं और नदी खास कर नगवां गांव के किनारे आ गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह सड़क एक छोटे-मोटे बांध का काम कर रही है। नदी का कटाव है यह बात सही है। कुछ न कुछ प्रबन्ध किया जायगा और इस बात की कोशिश की जायगी कि कोई ठोकर लगाकर या सड़क की सतह को उंचा कर, गांव को डूबने से बचाया जा सके।

बस्ती जिले में पंचायत विभाग में हरिजन कर्मचारी

*१७--**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बस्ती जिले में कुल कितने पंचायत सेक्रेटरी इस समय नियुक्त हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--बस्ती जिले में इस समय कुल ३७२ पंचायत सेक्रेटरी नियुक्त हैं।

*१८—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त कर्मचारियों में से कितने सेक्रेटरी अपनी जगह पर ५ साल से अधिक के हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—उपर्युक्त सेक्रेटरियों में से ८५ आदमी अपने अपने स्थान पर ५ वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं।

*१९—श्री रामसुन्दर राम—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि बस्ती जिले में पंचायत विभाग में कुल कितने हरिजन हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—बस्ती जिले में पंचायत विभाग में कुल २१ हरिजन हैं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण बंगलों में ठहरने के लिए नवीन आदेश

*२०—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि जिले के निरीक्षण बंगले में ठहरने के हेतु कोई सरकारी ऐसी आज्ञा है कि वे केवल सरकारी कर्मचारियों के ठहरने के लिये ही हर समय रिजर्व रहते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ऐसी आज्ञा ऐसे बंगलों में लिखी हुई दिखायी देती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—अब से कुछ दिन पहले तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ निरीक्षण-गृहों में एक सूट रिजर्व किया जाता था उसके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिये, लेकिन वह भी एक आज्ञा के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी सूट किसी भी अधिकारी के लिये रिजर्व नहीं किया जाता।

श्रीमती चन्द्रवती—यह आज्ञा कब दी गयी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तीन माह से अधिक हो चुका।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन निरीक्षण बंगलों में क्या सिंचाई निरीक्षण बंगले भी सम्मिलित हैं, जिनका उन्होंने वर्णन किया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैंने केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग के बंगलों के सम्बन्ध में उत्तर दिया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का आदेश सभी प्रकार के बंगलों के लिये समझा जाय ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपको उत्तर तो मिल गया लेकिन आप विवाद कर रहे हैं।

*२१-२३—श्री देवकीनन्दन विभव—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ तथा गोरखपुर के बांध टूटने के संबंध में श्री गोविन्द नारायण कमेटी की जांच के अनुसार इंजीनियरिंग विभाग के दोषी कर्मचारी

*२४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ तथा गोरखपुर के बांध टूटने के कारणों की जांच करने वाली श्री गोविंद नारायण कमेटी ने इंजीनियरिंग विभाग के जिन संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को असावधानी का दोषी पाया है उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—संबंधित अधिकारियों पर अभियोग पत्र (charge sheets) तामील (serve) कर दिये गये हैं और विभागीय जांच कमेटी द्वारा आगे जांच पड़ताल की जा रही है। यह आरोप केवल मलोनी बांध टूट जाने के सम्बन्ध में लगाये गये हैं, आजमगढ़ में बांध टूटने के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या यह सही है कि रिपोर्ट २२ अक्तूबर, १९५५ को प्राप्त हो गयी थी यानी आज से एक साल पहले ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरी समझ से माननीय सदस्य को ठीक ही सूचना होगी। उसकी निश्चित तारीख इस समय मेरे पास नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विभागीय जांच में इतनी देर क्यों लगती है और उसके पूरी हो जाने की संभावना कब तक है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद वह कैबिनेट के सम्मुख आयी थी। इसके पश्चात् उस पर कुछ निर्णय लिया गया, निर्णय लेने के पश्चात विभाग को यह लिखा गया कि अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट लगायी जाय। चार्जशीट लगने पर नियमानुकूल जितना समय उनको दिया जाना चाहिये था वह दिया गया। उनका उत्तर आ जाने के बाद एक कमेटी विभाग के द्वारा मुकर्रर की गयी और अब उस कमेटी ने अपना कार्य जहां तक मुझे ज्ञात है, पूरा भी कर लिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह चार्जशीट किन अधिकारियों को दिया गया है और किस तारीख को दिया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—चार्ज शीट श्री पी० के० बनर्जी, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जो उस समय गोरखपुर में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और श्री कमल सिंह, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो श्री पी० के० बनर्जी के बाद में गोरखपुर पहुंचे थे और बाढ़ के समय वहां थे, श्री ओ० पी० गुप्त एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और श्री आई०पी० गर्ग को दिया गया है, यह किस तारीख को दिये गये इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इन अधिकारियों में से किसी को सस्पेंड भी किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वैभागिक दृष्टि से ऐसी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि जिन असावधानियों या दोषों की ओर उस कमेटी ने संकेत किया है वह सभी आरोप उन चार्जशीट्स में नहीं आये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मेरे विचार से तो वे सभी उस आरोप-पत्र में आ गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वह कौन से आरोप हैं जो उस चार्जशीट में लगाये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सम्भवतः उन का इस समय बताना उचित नहीं है।

आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ली गयी किसानों की जमीन का मुआवजा

*२५—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में किसानों की कितनी जमीन ली गयी है ?

श्री कैलाश प्रकाश---आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने अब तक किसानों की १६४ बीघा १० बिस्वा १९ बिस्वांसी भूमि ली है।

*२६---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इन किसानों को मुआविजा दिया गया या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश---१६४ बीघा १० बिस्वा १९ बिस्वांसी भूमि में से ९८ बीघा ३ बिस्वा १७ बिस्वांसी भूमि का मुआविजा किसानों को दिया जा चुका है। शेष ६६ बीघा ७ बिस्वा २ बिस्वांसी भूमि का मुआविजा अभी निर्धारित नहीं हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह भूमि कब ली गयी और इसका मुआविजा कितने अर्से बाद मिला ?

श्री कैलाश प्रकाश---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा ली गयी है वह शहर के अन्दर है या बाहर कहीं आसपास में है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो जाहिर है कि वह म्युनिसिपल बोर्ड की हद के अन्दर है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि भूमि पर कब्जा लेने के बाद जल्द से जल्द मुआविजा अदा किया जाय ?

श्री सैयद अली जहीर---हमारी कोशिश तो यही होती है कि जल्द से जल्द मुआविजा अदा हो जाय, लेकिन कभी कभी कुछ कानूनी दिक्कत होती है। एक अफसर इस काम के लिए मुकर्रर है उन के सामने मामला जाता है, उनके सामने सबूत गुजरता है और बाज वक्त मुआविजा लोग मंजूर करने को तैयार नहीं होते और उसमें देर हो जाती है लेकिन जब आखिरी फैसला हो जाता है उसके बाद मुआविजा अदा करने में देर नहीं की जाती।

अदालतों में वकीलों के वृक्षों के नीचे बैठने से कष्ट

*२७---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार को पता है कि प्रदेश की अदालतों में अधिकांश वकीलों के बिस्तर वृक्षों के नीचे लगे रहते हैं जिसके कारण गर्मी व वर्षा ऋतु में वकीलों व मुवक्किलों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

श्री सैयद अली जहीर---अधिकांश स्थानों पर जहां सिविल (civil) अदालतें हैं, बार एसोसिएशन्स (Bar Associations) की इमारतें हैं और ज्यादातर वकील उनमें बैठते हैं। फिर भी यह ठीक है कि जिले की अदालतों में कुछ वकील प्रचलित रीति के अनुसार खुले में व पेड़ों के नीचे तख्त या दरी बिछाकर बैठते हैं। लेकिन यह तो अपनी अपनी मर्जी है और पसन्द की बात है।

*२८---श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर---कुछ नहीं।

*२९---श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार को वकीलों से कितना रुपया लाइसेंस के रूप में प्राप्त होता है ?

श्री सैयद अली जहीर---सन् १९५५ में लगभग १,७९,९०५ रु०।

* ३०-३२--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--[स्थगित किये गये ।]

गाजीपुर सदर अस्पताल के निकट गढ़े को पाटने के लिए नगरपालिका गाजीपुर का आवेदन-पत्र

*३३--श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा स्टेट हेल्थ बोर्ड, उत्तर प्रदेश को कोई प्रस्ताव या आवेदन-पत्र गाजीपुर सदर अस्पताल के दक्षिण तरफ सटे हुए गढ़े को पाटने के लिए भेजा गया था ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, मार्च, १९५३ में नगर पालिका ने एक प्रस्ताव इस विषय में भेजा था परन्तु गढ़ा पाटने पर वर्षा के पानी की निकासी न होने के कारण नाला बनने तक इस प्रश्न को स्थगित कर दिया गया है।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस नाले को पाटने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री कैलाश प्रकाश--अभी तो उसकी देखभाल हुई है। अभी कोई नाले को पाटने की योजना नहीं बनायी गयी है।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार को मालूम है कि इस नाले में इतनी गन्दगी रहती है कि जिसकी वजह से मास्टरों और बच्चों का रहना मुश्किल हो गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--पानी भरा रहता है तो गन्दगी तो रहेगी ही, लेकिन जब पूरी व्यवस्था हो जायगी, तभी उसे ठीक किया जा सकता है।

गाजीपुर जिले की सैदपुर टाउन एरिया में गंगा के कटाव को रोकने के लिए सर्वे

*३४--श्री कमलासिंह--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले की सैदपुर टाउन एरिया में मलाह टोली के अन्दर बहुत दूर तक गंगा नदी ने जमीन काट दी है जिससे मकानों के गिर जाने का बराबर भय बना रहता है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--गाजीपुर जिले के सैदपुर एरिया में मल्लाह टोली में दूर तक कटाव का मुख्य कारण दोनों नालों का, जो शहर से आते हैं, गंगा नदी में गिरना है। गंगा नदी की १९४८ की बाढ़ में, जो उस नदी के इतिहास में सब से अधिक थी इन नालों से कोई घर नहीं गिरा। इस वर्ष भी इन नालों से किसी घर को हानि नहीं पहुंची। कटाव के एरिया की तली बहुत सख्त कंकर की है। जिससे कटाव बहुत धीमा है। इस कटाव को रोकने के लिए जांच (सर्वे) की जा रही है।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह सर्वे कब तक पूर्ण हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--निश्चित तारीख तो नहीं है, लेकिन जो काम शुरू किया जाता है वह जल्दी खत्म किया जाता है।

नोट--तारांकित प्रश्न ३४ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार इस कटाव को रोकने के लिए वहां पर घाट बनाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री रामस्मृति—कोई ऐसा प्रोपोजल तो है नहीं। जवाब में कहा गया है कि बांकड़ वहां बहुत हैं इसलिए उसके कटने की सम्भावना कम है। बहुत जमाने से गांव पर दरिया का हमला होता रहा है, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है।

बस्ती जिले की उसका बाजार—लोटन थाना सड़क को पक्की कराने तथा उस पर पुल बनवाने की आवश्यकता

*३५—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में जो सड़क उसका बाजार से सोहांस होती हुई लोटन थाने तक जाती है उसको वह कब तक पक्की कराने का बिचार रखती है और उक्त सड़क पर दो पुल-एक करछुलिया घाट पर व एक सोहांस घाट पर, कब तक बनाने का बिचार है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—इस सड़क व पुलों के निर्माण के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

अयोध्या में सरयू नदी पर पुल निर्माण योजना

*३६—श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रस्तावित सरजू (अयोध्या) के पुल का कार्य कब से शुरू होगा तथा इस की साधारण रूप रेखा क्या होगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पुल का आगणन केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये जा रहा है। आगणन पर उस सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल निर्माण का कार्य शुरू किया जायगा। यह पुल प्रीस्ट्रस्ड कंक्रीट रिइन्फोर्स्ड का होगा तथा इसमें १६ प्रस्तंभ होंगे इस पर २४ फुट चौड़ी सड़क तथा उस के दोनों तरफ पांच-पांच फुट चौड़ी फुट पाथ होंगे। इसकी लम्बाई ३,४०० फुट तथा इसमें पानी जाने का रास्ता ३,२०० फुट होगा। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिये अयोध्या की तरफ १,३०० फुट लम्बे नये घाट बनाये जायेंगे।

जौनपुर नगरपालिका से पैदाइश रजिस्टर की नकल का न मिलना

*३७—श्री भगवान सहाय—तारीख ३१ जुलाई सन् १९५६ की बैठक में प्रश्न संख्या २० के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २२ दिसम्बर, सन् १९११ की पैदाइश की नकल १२ फरवरी व २५ मार्च, सन् १९५४ को प्रार्थना-पत्र द्वारा मांगने पर नगरपालिका, जौनपुर ने १५ फरवरी व १ अप्रैल, सन् १९५४ को नकल देने से इंकार किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त पत्र-व्यवहारों की एक-एक प्रतिलिपि मेज पर रखेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, जैसा कि प्रश्न संख्या २० के उत्तर में कहा गया था, १९११ के पैदायशी रजिस्टर के उपलब्ध न होने के कारण नगरपालिका ने नकल देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। उक्त सम्बन्धित पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपि मेज पर रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

*३८—श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रार्थना-पत्रों पर इक्जीक्यूटिव आफिसर, नगरपालिका, जौनपुर ने मई, सन् १९५५ में किसी को पक्की नकल मंजूर की है ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं ।

*३९---श्री भगवान सहाय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९११ का पैदायशी रजिस्टर कब तक उक्त कार्यालय में मौजूद था और अब उक्त रजिस्टर कब से उपलब्ध नहीं है तथा उसके उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---सन् १९११ का पैदायशी रजिस्टर आफिस के अन्य कागजों में गुम हो गया था । बाद में वह मिल गया और ८ सितम्बर, १९५६ को उसकी प्रतिलिपि दे दी गई ।

नैनीताल जिले में पंचायत निरीक्षक

*४०---श्री खुशीराम (जिला अलमोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के अन्तर्गत कितने पंचायत निरीक्षक क्षेत्रों में पंचायत निरीक्षक कार्य कर रहे हैं और कितने पंचायत निरीक्षकों की कमी है ?

श्री सैयद अली जहीर---जिले के पुनस्संगठित ५ पंचायत निरीक्षक क्षेत्रों में, ५ पंचायत निरीक्षक कार्य कर रहे हैं । किसी पंचायत निरीक्षक की कमी नहीं है ।

*४१---श्री खुशीराम---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन क्षेत्रों में पंचायत निरीक्षक नहीं है उनके स्थानों पर कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---उपरोक्त पांच निरीक्षक क्षेत्रों के अतिरिक्त जिले में तीन एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं जिनमें सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता तथा पंचायत) कार्य कर रहे हैं ।

*४२---श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---[स्थगित किया गया ।]

दक्षिणी बदायूं के अदालती पंचों का चुनाव

*४३---श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं दक्षिणी के अदालती पंचों के गत चुनाव में कौन-कौन व्यक्ति बैठे थे ?

श्री सैयद अली जहीर---इस चुनाव में जिलाधीश तथा अध्यक्ष जिला बोर्ड बैठे थे ।

*४४-४५---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर-कसया रोड पर काम करने वाले मजदूरों की शिकायत

*४६---श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि गोरखपुर-कसया रोड पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में कटौती करने की शिकायत माननीय मंत्री महोदय के पास आयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इस प्रकार की एक शिकायत कुछ काल पूर्व सरकार के पास आई थी जिसके कि ऊपर एक उच्च अधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल करवायी जा रही है ।

टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में रकम

*४७---श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टांडा-अकबरपुर रेलवे लाइन बनवाने के लिये जुलाई, १९५५ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सिपारिश भेजी थी, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वनारायण शर्मा—सरकार ने जो सिफारिश फरवरी, १९५५ में अकबरपुर-टांडा रेलवे लाइन बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी थी उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने यह सूचित किया है कि उक्त निर्माण के लिये उनके १९५६–५७ के वित्तीय वर्ष के बजट में १० लाख रु० की धनराशि सम्मिलित करली गयी है ।

फैजाबाद जिले में गोविन्दपुर काजी गांव में नहर विभाग द्वारा ईंटों की खरीद

*४८—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में स्थित ग्राम गोविंदपुर काजी में नहर विभाग ने सन् १९५५–५६ में निर्माण के लिये कितनी ईंटें खरीदने का ठेका दिया था और कितनी खरीदीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला कोआपरेटिव सभा फैजाबाद को ग्राम गोविंदपुर काजी में निम्नलिखित ईंटें खरीदने का ठेका दिया गया था—

(१) ईंटें प्रथम श्रेणी	८ लाख	
(२) ,, द्वितीय श्रेणी	२ लाख	
(३) ,, रोड़ा	१०,०००	सी० एफ० टी०

परन्तु उन्होंने केवल निम्नलिखित ईंटें बना कर दीं—

(१) ईंटें प्रथम श्रेणी	२,२६,०२५	नं०
(२) ,, द्वितीय श्रेणी	७८,२५०	नं०
(३) ,, रोड़ा	२,०९२	घनफुट

*४९—श्री रामवचन यादव—क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि उक्त स्थान पर खरीदी हुई ईंटों में से कितनी वहां पर निर्माण में खर्च की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जितनी ईंटें खरीदी थीं उतनी सभी वहां नहर के निर्माण में लग गयीं ।

*५०—श्री राम वचन यादव—क्या यह सही है कि उक्त खरीदी हुई ईंटों में से अधिक मात्रा में ईंटें अन्यत्र भेजी गयीं ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितना-कितना किराया देकर ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं । यह सभी ईंटें इसी नहर के निर्माण में लगीं ।

*५१—श्री तेजा सिंह—[स्थगित किया गया ।]

मेंहदावल टाउन एरिया को अनुदान

*५२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मेंहदावल टाउन एरिया को सरकार की तरफ से सन् १९५३–५४, सन् १९५४–५५ तथा सन् १९५५–५६ में सहायता अथवा कर्ज के रूप में कितना धन दिया गया ? क्या वह धन उपयोग में लाया गया ? अगर नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—मेंहदावल टाउन एरिया को १९५३–५४ में कोई अनुदान व कर्ज सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है ।

१९५४–५५ में इस टाउन एरिया को ५,००० रु० का एक अनुदान मार्च, १९५५ ई० में सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया था किन्तु यह अनुदान अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका है क्यों कि इस अनुदान द्वारा किये जाने वाले कार्यों के व्यय इत्यादि के सम्बन्ध में स्टेट

हेल्थ बोर्ड के सेक्रेटरी की अनुमति टाउन एरिया का हाल ही में प्राप्त हुई हैं। टाउन एरिया कमेटी अब इस अनुदान द्वारा किये जाने वाले कार्यों को शीघ्र कराने का प्रयत्न कर रही है।

१९५५-५६ में इस टाउन एरिया को ६५० रु० का एक अनुदान दिसम्बर, १९५५ ई० में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये दिया गया है।

यह अनुदान भी अभी तक उपयोग में नहीं लाया जा सका है क्योंकि इसके द्वारा किये जाने वाले कामों के अनुमानित व्यय इत्यादि के सम्बन्ध में स्टेट हेल्थ बोर्ड के सेक्रेटरी ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं। उन आपत्तियों की सफाई के पश्चात् सम्बन्धित कार्य शुरू किये जायेंगे।

१९५४-५५ और १९५५-५६ में इस टाउन एरिया को कोई ऋण नहीं दिया गया है।

*५३-५४--श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--[१९ अक्तूबर, १९५६ के प्रश्न संख्या ३२-३३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५५-५६--श्री राजाराम शर्मा--[स्थगित किये गये।]

*५७-५८--श्री धनुषधारी पांडेय--[स्थगित किये गये।]

फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में मुन्सफी खोलने का आदेश

*५९--श्री रामदास रविदास--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में वह मुन्सफी कब तक खोलने का विचार कर रही है?

श्री सैयद अली जहीर--सरकार ने फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील में मुन्सफी खोलने का आदेश दे दिया है।

जालौन जिले में पहुज नदी पर पुल निर्माण योजना

*६०--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यमुना नदी पर शेरगढ़ का पुल तथा एक पुल पहुज नदी पर बनाने का कार्य शामिल किया गया है? यदि हां, तो इन पुलों की अलग-अलग क्या लागत होगी और निर्माण-कार्य कब से शुरू हो जायेगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जिला जालौन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल पहुज नदी पर पुल बनाने का कार्य शामिल किया गया है। इस पुल की लागत लगभग ३ लाख रुपया है और इसका निर्माण-कार्य योजना-काल में आरम्भ हो जायगा।

*६१--श्री व्रज भूषण मिश्र--[स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले की चुनार नगरपालिका के प्रेसीडेंट श्री दौलत सिंह के विरुद्ध शिकायतें

*६२--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले के अन्तर्गत चुनार नगरपालिका के कार्य के विरुद्ध ५ दिसम्बर, १९५५ को व १३ मार्च, १९५६ ई० को कमिश्नर वाराणसी डिवीजन व जिलाधीश मिर्जापुर के पास कोई शिकायतें आई हैं?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

*६३---श्री गणेशचन्द्र काछी---यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और अब तक उनमें क्या हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---शिकायतों में श्री दौलत सिंह प्रेसीडेंट के विरुद्ध पक्षपात और ज्यादतियों के आरोप हैं। जिलाधीश ने जांच कर के उनको अपनी आख्या के साथ कमिश्नर महोदय के पास उचित कार्यवाही के निमित भेज दिया है।

*६४-६५---श्री रामदुलारे मिश्र---[स्थगित किये गये।]

बनारस राज्य के विलीनीकरण से रामनगर पावर हाउस के कर्मचारियों में बेकारी

*६६---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि बनारस राज्य के इस प्रदेश में विलीनीकरण से पूर्व वहां विद्युत् और जल-कल विभाग (Electricity and Waterworks) में कुल कितने कर्मचारी थे ?

श्री सैयद अली जहीर---कुल ३५ कर्मचारी थे।

*६७---श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट---क्या यह सही है कि १ जनवरी सन् १९५४ को रामनगर पावर हाउस को वाराणसी के (Electric Light and Power Co. Ltd,) को सिपुर्द किया गया, जिसके फलस्वरूप रामनगर पावर हाउस के कतिपय कर्मचारी नौकरी से अलग किये गये ? यदि हां, तो कितने और किस आधार पर ?

श्री सैयद अली जहीर---जी हां। कुल २१ कर्मचारी नौकरी से अलग कर दिये गये थे। जिस समय पावर हाउस मारटिन बर्न कम्पनी को एजेंट की हैसियत से काम करने के लिये दिया गया था उस समय २५ कर्मचारी स्थायी तथा अस्थायी रूप में काम कर रहे थे। १ जनवरी, १९५४ से जब कम्पनी को पावर हाउस हस्तांतरित कर दिया गया तो कम्पनी ने उन कर्मचारियों के स्थान पर अपने कर्मचारी रखना उचित समझा और कुल २५ कर्मचारियों को डिस्चार्ज कर दिया। सरकार ने जल-कल के लिये केवल उनमें से ४ उपयोगी कर्मचारी, उनके पिछले अभिलेख तथा उपयोगिता के आधार पर, जल-कल में रख दिये थे।

*६८---श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि ऐसे डिस्चार्ज्ड कर्मचारियों को अभी तक नियमानुसार कोई पेन्शन अथवा मुआवजा आदि नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर---नौकरी से अलग किये गए कर्मचारियों को मुआवजा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार निश्चित किया जा रहा है और धनराशि की व्यवस्था कर दी गयी है और उसके भुगतान के लिये कार्यवाही की जा रही है।

हरदोई जिलान्तर्गत बिलग्राम पूर्वी क्षेत्र के उप-चुनाव में गाड़ियों का अवैध प्रयोग

*६९---श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १५ अप्रैल, १९५६ में बिलग्राम पूर्वी क्षेत्र, जिला हरदोई के विधान सभा के उपचुनाव में वोटरों को किराये की सवारियों पर ढोने के अपराध में कुल कितनी गाड़ियां (lories, trucks, stage-carriers, tractors, trollies, jeeps, pick-up) को सरकारी अधिकारियों ने तथा चुनाव कमिश्नर ने चालान किया, करवाया तथा थाने में बन्द किया ?

*६०—क्या यह सत्य है कि एक पिक-अप सरकारी थी जिसकी नं० प्लेट निकाल दी गयी थी और इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने उसको थाने बिलग्राम में बन्द कराया ? यदि हां, तो सरकार इस प्रकार के अपराध करने वाले गाड़ियों के ओनर्स (owners) और ड्राइवर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

जिला बोर्ड नैनीताल को स्वीकृत अनुदान

*७१—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि जिला बोर्ड, नैनीताल को इस वर्ष (१९५५-५६ में) एक लाख रुपया विशेष अनुदान के रूप में सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ ? अगर हां, तो जिला बोर्ड नैनीताल ने इन रुपयों का किस प्रकार और किन-किन कार्यों में उपयोग किया ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, यह सही है कि जिला बोर्ड नैनीताल को वर्ष १९५५-५६ में एक विशेष अनुदान दिया गया है किन्तु अनुदान की धनराशि एक लाख रुपया नहीं बल्कि डेढ़ लाख रुपया है। जिला बोर्ड ने इन रुपयों को किस प्रकार और किन-किन कार्यों में उपयोग किया है, इसका विवरण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि यह अनुदान बोर्ड के जनरल परपजेज (general purposes) के लिये दिया गया था और इसको बोर्ड ने अपने बजट में शामिल कर लिया होगा।

आगरे में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कथित निर्मित गृह

*७२—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कितने मध्यवर्गीय परिवारों के लिये गृहों का निर्माण किया और उन गृहों का अब क्या उपयोग हो रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरा में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मध्य वर्गों के लिये मकानों का निर्माण नहीं किया है। अतः मकानों के उपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

आगरा कैंट के पास आगरा-जगनेर-तांतपुर सड़क पर पुल बनाने का विचार

*७३—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या निर्माण मंत्री को विदित है कि आगरा केन्ट स्टेशन पर केन्द्रीय सरकार पुल बनाने को तैयार है यदि प्रदेशीय सरकार उस पर सड़क बना दे ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्री से बातचीत कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—राज्य सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि केन्द्रीय सरकार आगरा कैन्ट स्टेशन पर पुल बनाने के लिये तैयार है। परन्तु केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग ने प्रदेशीय सरकार को लिखा है कि वे ऐसी रेलवे क्रासिंग पर, जहां आवागमन, विशेषतः मोटर ट्रैफिक बढ़ गई हैं, पुल बनाने के व्यय का भार उठाने को तैयार है यदि प्रदेशीय सरकार रेलवे परिधि के अन्दर व बाहर की सड़कें (approach roads) तथा अन्य निर्माण-कार्य (incidental works) पर व्यय का भार उठाने को तैयार हों। सरकार कुछ स्थानों के लेविल क्रासिंग को, पुलों (ower or under bridges) में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इसमें आगरा कैंट के समीप आगरा-जगनेर-तांतपुर सड़क पर भी पुल बनाने का प्रस्ताव सम्मिलित है।

घाटे का बजट रखने वाले जिला बोर्डों को अनुदान

*७४—**श्री दर्शनराम** (जिल बांदा)—क्या सरकार उन जिला बोर्डों के नाम बतलाने की कृपा करेगी जिनके बजट बाबत सन् १९५५-५६ व १९५६-५७ घाटे के थ ?

श्री सैयद अली जहीर—सन् १९५५-५६ में जिला बोर्ड देहरादून, बांदा, अल्मोड़ा, लखनऊ, फैजाबाद और बहराइच के अनुमानित बजट घाटे के थे। सन् १९५६-५७ में जिला बोर्ड बांदा, अल्मोड़ा, लखनऊ, फैजाबाद और बहराइच के अनुमानित बजट घाटे के हैं।

*७५—श्री दर्शनराम—प्रत्येक बोर्ड का बजट प्रत्येक वर्ष कितने-कितने घाटे का था?

श्री सैयद अली जहीर—सम्बन्धित बोर्डों के अनुमानित बजट में घाटे के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

१९५५-५६

जिला बोर्ड का नाम	घाटे की धनराशि
	रु०
१—देहरादून	४१,९५१
२—बांदा	९४,१२९
३—अल्मोड़ा	९८,५६४
४—लखनऊ	२०,०६६
५—फैजाबाद	४२,४६५
६—बहराइच	४६,६१७

साल के अन्त में इन सभी बोर्डों के बजट के घाटे पूरे हो गये थे।

१९५६-५७

जिला बोर्ड का नाम	घाटे की धनराशि
	रु०
१—बांदा	२,००,३५३
२—अल्मोड़ा	८१,०९५
३—फैजाबाद	३,८३,७२६
४—लखनऊ	६,०८७
५—बहराइच	४८,४५१

*७६—श्री दर्शनराम—क्या सरकार ने १९५५-५६ के बजट के घाटे को पूरा करने के लिए जिला बोर्डों को अनुदान दिया है? यदि दिया है, तो प्रत्येक बोर्ड को कितना रुपया दिया गया है और धनराशियां किस आधार पर निर्धारित की गयी हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। दिये गये अनुदानों की सूची संलग्न है।

इन अनुदानों की आवश्यकता एवं रूपरेखा को समझने के लिए थोड़ा विवरण आवश्यक है जो इस भांति है।

कानून के मुताबिक जिला बोर्ड को अपने बजट अन्ततः संतुलित (Balanced) तो करने ही पड़ते हैं परन्तु ऐसा करने में आवश्यक रूप से उनके कुछ जरूरी काम धनाभाव के कारण बाकी रह जाते हैं। इस प्रकार लगभग सारे बोर्डों को ही सहायता की आवश्यकता रहती रही है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए १९५५-५६ में बीस लाख रुपये अनुदान के रूप में जिला बोर्डों में बांटे गये थे। प्रत्येक जिला बोर्ड को इस सम्बन्ध में जो धनराशि दी गयी है, वह संलग्न सूची में स्पष्ट कर दी गयी है। इन धनराशियों को निर्धारित करने में मूलतः दो सिद्धान्त बरते गये अर्थात् ९,४६,४७० रु० सड़कों के माइलेज के अनुपात से निकाला गया जो समस्त माइलेज के अनुमानित रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि का १/८वां हिस्सा था। शेष १०,५३,५३० रु० उन बोर्डों को दिया गया, जहां अध्यापकों के वेतन और महंगाई भत्ते का बकाया बोर्डों के जिम्मे पड़ा था।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५२३-५२४ पर)।

१६ जुलाई, १९५६ के तारांकित प्रश्न १७ के उत्तर का शोधन

प्रश्न

*१७--श्री मही लाल--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्वाचन याचिकाओं में से कितनी नामांकन-पत्र अवैध रूप से, खारिज करने से कितनी चुनाव में अनियमितताओं के करने तथा कितनी गलत चुनाव व फल बनाने से सम्बन्धित हैं ?

उत्तर

	तहसील					
	मुरादाबाद	ठाकुरद्वारा	अमरोहा	बिलारी	सम्भल	हसनपुर
*१७--(१) कितने नामांकन-पत्र अवैध रूप से खारिज करने से सम्बन्धित हैं ..		११	११	७	७	१५
(२) कितने चुनाव में अनियमितताओं के कारण ..	३८	१९	३८	१८	५१	५२
(३) कितनी गलत चुनाव फल बनाने के कारण ..	२	३	..	६	..	..

श्री अध्यक्ष--श्री महीलाल जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था उसमें माननीय न्याय मन्त्री दुरुस्ती की सूचना दे दें।

श्री कैलाश प्रकाश--श्रीमन्, प्रश्न १६ का जो उत्तर दिया गया था वही ठीक है। प्रश्न १७ के उत्तर में संभल के नीचे ५१ जहां लिखा हुआ है वहां ४६ कर दिया जाय और पंक्ति ३ में जहां "कितनी गलत चुनाव फल बनाने के कारण" लिखा हुआ है उसमें ५ कर दिया जाय। यही संशोधन है।

२४ अक्तूबर, १९५६ के तारांकित प्रश्न १२ व १३ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर †

श्री अध्यक्ष--माननीय बलदेव सिंह आर्य भी श्री रामेश्वरलाल के प्रश्न के उत्तर को दुरुस्त कर दें।

† २४ अक्तूबर की कार्यवाही में शुद्ध कर दिया गया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य---दिनांक २४ अक्तूबर, १९५६ को प्रश्न संख्या ६२ व ६३ के सिलसिले में श्री रामेश्वरलाल ने एक अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा था कि जिन १९ व्यक्तियों के कालरा से मरने की सूचना सरकार को है उनमें गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस से मरने वालों की संख्या भी शामिल है ? उसका जो उत्तर दिया गया था वह सही नहीं था। उसका सही उत्तर "जी नहीं, वह संख्या उसमें शामिल नहीं है", होना चाहिए था। उसी क्रम में श्री नारायणदत्त तिवारी ने एक अनुपूरक प्रश्न में यह पूछा था कि सरकार ने गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस को भी कालरा के अन्दर मान लिया है ? उसका उत्तर सिर्फ "जी नहीं" होना चाहिए था। अतः निवेदन है कि उस दिन की कार्यवाही में उपरोक्त अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर सही अंकित कर दिये जायं।

श्री अध्यक्ष---गैस्ट्रो एन्ट्राइटिस उस से अलग है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी हां, अलग है।

श्री मोहनलाल वर्मा द्वारा प्रश्नों के उत्तर न मिलने की शिकायत

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---मेरे प्रश्न २७-८-५६ के हैं। दो महीने से अधिक हो गये हैं। इनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए। दो मरतबा ऐडजर्नमेंट हो चुका है।

श्री अध्यक्ष---मेरे कमरे में आप पूछ लें।

अकबरपुर टाउन एरिया कमेटी के कुप्रबन्ध के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष ---श्री रामेश्वर लाल जी ने २५ तारीख को एक कामरोको प्रस्ताव दिया था और चूंकि समय उस वक्त हो चुका था, मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। इसलिये दूसरे रोज के लिये रखा। कल चूंकि वह मेरे घर पर रह गया, मैं उसको ला नहीं सका और आज उसे सदन में लाने का निश्चय किया था, तो उसे मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

"अकबरपुर टाउन एरिया कमेटी की हालत कई साल से खराब है। सरकार का ध्यान भी कई बार आकर्षित कराया गया है। डिवीजन के कमिश्नर ने भी टाउन एरिया के विरुद्ध रिपोर्ट दी है। मगर टाउन एरिया की बदइंतजामी से सफाई, रोशनी, सड़क, सब की व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय हो गयी है और वेतन न पाने से मेहतरों ने हड़ताल कर रखी है। मेहतरों की हड़ताल से पूर्ण बाजार में गंदगी बढ़ गयी है और उसका अत्यन्त ही बुरा प्रभाव जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। अतः जनहित की दृष्टि से उपर्युक्त आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं अब माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्हें इस विषय में कोई आपत्ति है और क्या वाकयात हैं उसके बारे में ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक अकबरपुर टाउन एरिया की हालत खराब होने का मामला है उसमें तो अर्जेन्सी किसी किस्म की है नहीं क्योंकि वहां की सड़कें वाकई खराब हैं। वहां के लिये रुपया सरकार की तरफ से दिया गया। लेकिन उसमें कुछ ऐसी बाधाएं पड़ीं कि वह रुपया इस्तेमाल भी नहीं हो सका और सड़कें भी ठीक नहीं हुईं। उसके ऊपर सरकार विचार कर रही है कि वहां पर किस तरह से हालत दुरुस्त की जाय। लेकिन जहां तक कि मेहतरों की हड़ताल का जिक्र है, जहां तक मुझे इत्तला है, ऐसी कोई बात इस वक्त वहां नहीं है। एक दफा बहुत जमाना हुआ, कई महीने की बात है कि हड़ताल हुई थी, लेकिन उस वक्त मामलात हल हो गये, और मौजूदा कोई ताजी हड़ताल हुई हो इसकी कोई इत्तला सरकार के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं रामेश्वरलाल जी से जानना चाहूंगा कि क्या अभी हड़ताल जारी है ?

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, मैंने अकबरपुर टाउन के मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में जो कामरोको प्रस्ताव दिया है उ..में जो हड़ताली थे वह आज भी काम पर नहीं हैं । वैसे यह सही है कि कुछ इधर-उधर से लोगों को ला कर काम कराया जा रहा है । लेकिन आंशिक रूप में काम हो रहा है । गंदगी का जहां तक प्रश्न है और शुद्धता का वह आज भी बना हुआ है । जो लोग हड़ताल किये थे वह काम पर नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--तो यह टाउन एरिया की व्यवस्था के बारे में जो प्रश्न है कि यह कामरोको प्रस्ताव का कोई विषय नहीं हो सकता क्योंकि स्थानीय संस्था के जितने ब्योरे के कार्य होते हैं उ के बारे में यहां पर कोई बहस नहीं होती है, खासतौर पर टाउन एरिया के बारे में, क्योंकि उसका पूर्ण अधिकार मैं समझता हूं कि कलेक्टर या कमिश्नर तक सीमित रहता है और सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है । लेकिन हड़ताल की वजह से मैंने पूछा था कि अगर कोई तात्कालिक समस्या हो, जो कि जटिल हो गयी है, जिससे लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा हो तो यह विषय विवाद का हो सकता है, अगर वह महत्व का हो । उसमें जो जानकारी दी गयी उससे मुझे यह नहीं प्रतीत होता कि उसमें कुछ अर्जेंसी बाकी है क्योंकि कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ नहीं । ऐसी व्यवस्था है और वैसे पूर्ण हड़ताल हो गई है, ऐसी बात मालूम नहीं होती है । इसीलिये मैं अर्जेन्ट न होने के कारण इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह उपस्थित किया जाय ।

बाढ़ पीड़ित पूर्वी जिलों में बीज के अभाव से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--दूसरा काम-रोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी का है वह आज आया है जो इस प्रकार है--

"आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया आदि बाढ़ पीड़ित पूर्वी जिलों के बीच बाजारों में किसानों की आवश्यकतानुसार रबी का बीज न मिलने, बाजारों में महंगा बीज बिकने तथा सरकार द्वारा बीज के लिये केवल १०-१०, २०-२० रु० प्रत्येक परिवार को, उसके खेतों का खयाल न कर के तकावी देने के कारण, लाखों एकड़ खेत बीज के अभाव में परती पड़ने जा रहे हैं, जिससे भविष्य में विकट अकाल की सम्भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है । विधान सभा के प्रश्नों व भाषणों, माननीय सदस्यों तथा जनता के द्वारा बारबार स्मरण दिलाने पर भी सरकार का ध्यान न जाने के कारण विषम परिस्थिति हो गयी है । अतएव इस विकट परिस्थिति पर विचार करने हेतु सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है ।"

माननीय कृषि मंत्री इस विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--प्रस्ताव की कोई कापी मुझे दी नहीं गई । जिस वक्त अध्यक्ष महोदय ने पढ़ा. . . .

श्री अध्यक्ष--वह आपके पास पहुंचायी नहीं गयी ?

श्री हुकुम सिंह--जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको कल लूंगा ।

इलाहाबाद में चुंगी वापसी प्रथा से उत्पन्न असन्तोष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक और काम रोको प्रस्ताव श्री कल्याणचन्द्र मोहिले का है, वह इस प्रकार है:--

"इलाहाबाद नगर के चुंगी वापसी नान रिफन्डेबिल आक्ट्राय (non refundable octroi) का मामला जो सरकार के समक्ष कई वर्षों से है, मामले को न तय करने के कारण तथा जिला मेरठ के इसी चुंगी वापसी का मामला तय होने से वहां के नागरिकों तथा व्यापारियों में बहुत असंतोष है जिसके कारण वहां का व्यापार दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। इस चुंगी वापसी प्रथा के कारण लोगों में बेईमानी, घूसखोरी तथा बहुत बुरी-बुरी आदतें बढ़ती जा रही हैं।

अगर इस पर शीघ्र कार्यवाही न की गई तो वहां का व्यापार बिल्कुल समाप्त हो जायेगा। इन सब कारणों पर विचार हेतु सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।'

कई वर्षों से यह प्रश्न चल रहा है यह इसमें स्पष्ट दिया हुआ है। तो कोई अर्जेन्सी इसमें नहीं दिखाई देती है, कोई तात्कालिकता इसमें नहीं है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

प्रादेशीय रोडवेज विभाग में भ्रष्टाचार तथा बेकारी उत्पन्न करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक और काम रोको प्रस्ताव श्री रामेश्वरलाल जी का है:--

"उत्तर प्रदेशीय रोडवेज विभाग में अकारण कर्मचारियों को एक महीने की नोटिस देकर निकाल कर, बेकारी उत्पन्न की जा रही है। बाहरी लोगों की अत्यधिक की पास चोरी एवं अनैतिकता बढ़ रही है तथा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। सरकारी डिपो से तेल तथा मशीनरी आदि के चोरी तथा गबन होने के कारण सरकारी कोष को अपार क्षति पहुंच रही है। फलस्वरूप विभाग में असन्तोष तथा अस्तव्यस्तता व्याप्त है और परिस्थिति शोचनीय हो गई है।

अतः जनहित की दृष्टि से आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

अब इसमें कई विषयों को एक साथ सम्मिलित करके पूरे विभाग के ऊपर आलोचना है। तो यह किसी निश्चित विषय पर विचार करने के सम्बन्ध में निश्चित नहीं है। अनिश्चितता के कारण इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

प्रदेश में बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि से पीड़ित जनता को अपर्याप्त सहायता के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी जी का है। "बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि पीड़ित जिलों के सही अनुमान न लगाने, जिसमें फसलों की क्षति, व्यक्तियों तथा पशुओं की मृत्यु और घरों का नष्ट होना, विशेष तौर पर शामिल है, उचित तथा आवश्यक सहायता नहीं हो पा रही है। साथ ही हजारों गांवों के क्षतिग्रस्त की सूची में न शामिल होने से जो विषम परिस्थिति तथा असंतोष उत्पन्न हो गया है, उस पर विचार करने के लिये सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह प्रारम्भ में ही बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि पीड़ित जिलों के सही अनुमान न लगाने इत्यादि से शुरू किया गया है। उसमें कई आक्षेप ऐसे हैं जो इस सम्बन्ध में व्यवस्था है उसके बारे में है। इसमें बाढ़ के सम्बन्ध में दो तीन मर्तबे बहस हो चुकी और उसमें माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दे दिये। तो मैं समझता हूं कि यह विषय कामरोको प्रस्ताव का नहीं हो सकता जिससे इसके ऊपर फिर से विचार किया जाय। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

बनारस काटन मिल्स, चौकाघाट में दो हजार मजदूरों की बेकारी की समस्या पर विचार करने के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है :---

"इसी अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में बनारस काटन मिल्स, चौकाघाट, को जिस ढंग पर प्राविशियल टेक्सटाइल कंट्रोलर उत्तर प्रदेश की सिफारिश पर कानपुर के श्री रामलाल राजाराम जयपुरिया को केवल बुनाई विभाग खोलने का लाइसेंस दिया गया है उससे करीब दो हजार मजदूर बेकार हो रहे हैं और उनके लिये बेकारी की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः इस जनहित की दृष्टि से आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

मैं संबंधित मंत्री जी से यह कहूंगा कि इसके बारे में वाकयात के बारे में कुछ बता दें।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)---अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना बहुत लेट हमें मिली और इसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हो पायी है। हम आशा करते हैं कि आज शाम तक जानकारी प्राप्त हो जायगी तो कल सदन के सामने रखी जा सकेगी।

श्री अध्यक्ष---तो कल आप भी तैयार होकर आयें।

श्री राजनारायण (जिला बाराणसी)---श्रीमन्, एक ही निवेदन मैं कर रहा हूं कि यह तो मैंने एक अलग पत्र लिखकर दे दिया था। २० तारीख को मैंने मुख्य मंत्री जी और २० ही तारीख को मैंने उद्योग मंत्री जी से सारी बातें की थीं, कई बार बातें हो चुकी हैं। उनको पूरी जानकारी है। खैर, आप कल लें। लेकिन कल मैं न रहूं तो माननीय रामेश्वर लाल जी को आप मेरी जगह कर देंगे। मेरी अनुपस्थिति में ऐसा न करें कि उसको न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप एक वक्तव्य उनकी तरफ से दे सकते हैं।

श्री राजनारायण---अगर मैं रहूंगा तो ठीक है लेकिन अगर मैं न रहा तो आप उसको रामेश्वर लाल जी के नाम कर दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में मुझे आपने यदि सूचना भेज दी तो माननीय रामेश्वर लाल जी की तरफ से मैं ले लूंगा।

चुर्क सीमेंट फैक्टरी में एक भट्ठा बन्द हो जाने के फलस्वरूप मजदूरों की बेकारी तथा उनमें व्याप्त असन्तोष के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक और कामरोको प्रस्ताव माननीय राजनारायण जी का है :---

"गत २० अक्तूबर से चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का एक भट्ठा बन्द हो गया है जिससे वहां काफी संख्या में मजदूर बेकार हैं और असन्तोष का वातावरण पैदा हो गया है और परिस्थिति विषम हो गई है,

[श्री अध्यक्ष]

अतः इस आवश्यक विषय पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कुछ प्रकाश डालें।

निर्वाचन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---अध्यक्ष महोदय, यह तो आम तौर से रोलाइनिंग के लिये और फायर ब्रिक्स लगाने के लिये कभी-कभी भट्ठे को बन्द करना पड़ता है। फैक्ट्री के अन्दर दो भट्ठे हैं। उनमें से एक इस वक्त में २० तारीख से बन्द है फायर ब्रिक्स लगाने के लिये और रीलाइनिंग के लिए। हम आशा करते थे कि इस वक्त के जो हमारे केलन के मैनेजर और कंट्रैक्टर हैं श्री हैनरी पूली.....

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि मजदूर बेकार हैं यह जो चीज कही गई है क्या यह सही है?

श्री बनारसीदास---मैं उसी पर निवेदन कर रहा हूं।

हम आशा करते थे कि श्री हैनरी पूली जिन्होंने कि यह मशीन हमको सप्लाई की थी वह जल्दी आ जायेंगे और २६ तारीख तक हम आशा करते थे, लेकिन वह नहीं आ पाये। अब बहुत जल्दी ही वह आने वाले हैं। इसी लिये भट्ठे को अब तक हमने खुला रखा है जिससे कि वह उसको देख सकें। लेकिन किलन के बन्द हो जाने से मजदूरों की बेकारी का कोई सवाल वहां पैदा नहीं होता है। किसी मजदूर को अलग नहीं किया गया है। मजदूर बदस्तूर फैक्ट्री के अन्दर हैं और न उनके अन्दर किसी प्रकार का असन्तोष है। तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) यह आप "मजदूर बेकार हैं", इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं?

*श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि माननीय मंत्री जी की जानकारी बिलकुल अधूरी है और यह प्रश्न आज ही केवल कामरोको प्रस्ताव के रूप में नहीं आया, बल्कि मैंने २५ तारीख को और २४ को भी कामरोको प्रस्ताव दिया था। लेकिन उसमें कई बातें आ गई थीं और आप ने व्यवस्था दी थी कि कई बातें आ गई हैं मजदूरों की बेकारी है, भट्ठे का बन्द होना है, इसलिये कई बातें रहने से इस पर विचार आज नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप के द्वारा यह बतलाऊं कि वहां के सरकारी कर्मचारी सरकार को अंधकार में रखे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि वह बेकार क्यों हैं।

श्री राजनारायण---यही तो मैं बतला रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आप साहित्यिक भाषा छोड़ कर स्पष्ट सीधी बात बतायें।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये डायरेक्टली नहीं कहता हूं कि आपने कहा था कि तुम्हारी चोट ऐसी पड़ती है जिससे सरकार घबरा जाती है, इसलिये मैं इनडायरेक्टली बतला रहा था। वहां के मजदूर बेकार हैं और उन्होंने टाटा की फैक्ट्री में भर्ती होने के लिये प्रार्थना-पत्र दे दिये हैं। मैं यात्रा में गया था, वहां मुझे मालूम हुआ और चूर्क सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने बतलाया कि सीमेंट का प्रोडक्शन ७०० टन बताया जाता है, लेकिन ४५० टन से ज्यादा नहीं होता है। वह निकाले जाते हैं और भर्ती बन्द है, इसलिये वह दूसरी जगह जा रहे हैं। इसमें सरकार का नुकसान हो रहा है और जनता के हित की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिये इस पर विचार होना चाहिये।

---

*पूरता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि उनकी सूचना मुझे कुछ भ्रमात्मक मालूम होती है। मैंने कहा था कि प्रत्येक फैक्टरी में बिलन में लाइनिंग की जरूरत होती है और हमारे यहां भी जरूरत होती है और एक बिलन बराबर काम करता रहता है। हमारे यहां करीब ७०० मजदूर .....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठ जाइये।

मैं समझता हूं कि दो रायें स्पष्ट दिखाई देती हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि मजदूर बेकार हैं और सरकार कहती है कि बेकार नहीं हैं। जहां तक जानकारी का मामला है वह सरकार की अधिक विश्वसनीय मानी जायगी, क्योंकि फैक्टरी उन्हीं के हाथ में चल रही है और माननीय सदस्य को ब्योरा मालूम नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जांच करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं आपको दुबारा मौक़ा दूंगा जब आप ब्योरे से जांच कर सबूत देंगे क्योंकि इसमें कोई सबूत नहीं दिया है और न नाम ही दिये हैं कि फलां व्यक्ति बेकार है। उनकी जानकारी खाली घूम फिर कर सरसरी तौर पर आपको मिली, उसकी तहकीकात नहीं की गई कि फलां आदमी बेकार है, उसकी लिस्ट भी पेश नहीं की गई है। यदि इस तरह की कोई बात सही है तो फिर से कामरोको प्रस्ताव लाने की इजाजत दे दूंगा, जब तस्कीन के बाद आप उसे सही करेंगे। इस समय यह बात अनिश्चित है। सरकार की जानकारी विश्वसनीय मानी जायगी जो उनके विभाग से आई है। वह इंकार करते हैं और कहते हैं कि कोई बेकार नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता हूं।

बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि पीड़ित जिलों के छात्रों की फीस-माफी के आदेश के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव श्री उमाशंकर जी का है। वह इस प्रकार है कि "बाढ़, सूखा तथा अतिवृष्टि पीड़ित जिलों के छात्रों की फ़ीस माफी का आदेश अनावश्यक विलम्ब से तथा ऐसे उलझनों से भरा भेजा गया है कि फीस-माफ़ी मिलना एक कठिन कार्य हो गया है।"

मैं इसको पूरा पढ़ना उचित नहीं समझता हूं क्योंकि यह बहुत फुटकर-सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण मालूम नहीं होता है। इसमें सरकार की नीति पहले ही इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर दी गई है। माननीय सदस्य ऐसी चीजें तो पत्र-व्यवहार वगैरह से ही तय कर सकते हैं, इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता है। कुछ प्रश्न इस सम्बन्ध में किये जा चुके हैं उतना ही काफी है। मैं इसको महत्व की बात नहीं समझता हूं। इसलिये इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी की अपने कार्य-स्थगन प्रस्तावों के संबंध में श्री अध्यक्ष से प्रार्थना

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कल हाजिर नहीं होऊंगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरी अनुपस्थिति में केदारसिंह जी को अनुमति दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मुझसे मेरे कमरे में परामर्श कर लें। अगर कोई अड़चन कामरोको प्रस्ताव के बनाने में हो जाती है और उसके कारण वह स्वीकार नहीं होता है तो मुझसे वह सलाह भी ले सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, जो कामरोको प्रस्ताव मैंने दिया था वह अस्वीकृत हो गया है, लेकिन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और सरकार ने जो अनुमान से आंकड़े दिये हैं वह दो तरह से दिये हैं.....

श्री अध्यक्ष---आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---हमारे कामरोको प्रस्ताव के बारे में, श्रीमन्, अभी माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा था कि वे कल अपनी राय जाहिर करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं कल रहूंगा नहीं। तो अगर हमारे कामरोको प्रस्ताव के आने की इजाजत दें तो उस सम्बन्ध में माननीय गेदासिंह जी यदि मेरी ओर से कुछ कहना चाहें तो कह सकें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

श्री राजनारायण द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है। कल से सदन उठेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब आप यहां नहीं थे तब माननीय हुकुम सिंह ने संविधान की धारा १८७ के अनुसार अध्यक्ष ने जो रूल्स यहां के सचिवालय की व्यवस्था के लिये बनाये थे उनके सम्बन्ध में कुछ कहा.....।

श्री अध्यक्ष---इस सम्बन्ध में जब आपने फोन पर बातचीत में कहा था तो मैंने आप से कह दिया था कि मुझे आप लिखित दे दीजिये। यदि उनके उत्तर में कोई गलती हो तो उसके लिये आप अपना लिखित आक्षेप भेज दें। आपने लिखकर नहीं दिया और अब आप सदन में यह प्रश्न उठाते हैं। मैं इस तरह से इस बात के लिये अब सदन का समय लेने की आपको इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---मैं इसके लिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठाऊंगा यह सूचना मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप यह सूचना दे रहे हैं। काफी है।

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६ पर विचार---(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९५६, पर विचार जारी रहेगा। श्री राजनारायण कल उठते समय अपना भाषण दे रहे थे वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

‡श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, कल जो संशोधन था कि जजों को औद्योगिक न्यायाधिकरण में रखना चाहिये उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था। मैं अब भी उसी मत का हूं। मैं समझता हूं कि यदि जज या जज के समकक्ष योग्यता रखने वाला व्यक्ति उस न्यायाधिकरण में नहीं रहेगा तो जो विषय उस संगठन के सामने

---

*२२ अक्तूबर, १९५६ को पुरःस्थापित किया गया।

†२९ अक्तूबर की कार्यवाही से क्रमागत।

‡वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार करने के लिये सुपुर्द किये जायेंगे उन पर न्याय नहीं हो पायेगा । क्योंकि, श्रीमन्, शिड्यूल प्रथम व द्वितीय दोनों में ऐसे विषय आते हैं जिनमें वैधता अवैधता के सम्बन्ध में विचार होते हैं । स्थायी आदेशों के औचित्य अनौचित्य पर वहां विचार होगा और उसमें मजदूरों के वेतन की भुगतान की अवधि किस तरह से होगी, बोनस सम्बन्धी, अनुशासन सम्बन्धी प्रश्न भी उसके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं । मजदूरों की छटनी के बारे में भी उसमें आ सकता है । यह तमाम बातें जिस समिति के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हों उस समिति में अगर जज नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा ? अगर जजों की कुछ भी उपयोगिता है और कहीं भी किसी भी समिति में रहना अनिवार्य है तो माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें क्योंकि आज जो उद्योग-धंधे चल रहे हैं उनमें मजदूरों के साथ कितने अहितकर कार्य हो रहे हैं और मजदूरों में असंतोष होने के कारण किस तरह से उद्योग-धंधे के विकास में बाधा पड़ रही है । उनके बोनस के सवाल के साथ और कितनी बातें हैं जिनके साथ सरकार की मशीनरी का जो काम अब तक रहा है वह उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है और यह बारबार दोहराने की आवश्यकता नहीं है । श्रीमन्, "हाथ कंगन को आरसी क्या" फैक्ट्स सरकार के पास है और उन को देखते हुये यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस समिति में जजेज का होना नितांत आवश्यक है । अगर कोई सम्मानित सदस्य अपने तर्क की पुष्टि में यह कहें कि जजेज ऐसे वातावरण में पले हैं या उनके मस्तिष्क ऐसे बने हुये हैं कि आज की जो सामाजिक परिस्थिति है उस पर वे ठीक तरीके से विचार नहीं दे पायेंगे तो मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा . . . ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । जिस खंड ६ के ५-क(१) पर विचार हो रहा है उसका आधार धारा ४-ट पर है कि यदि उसके अधीन कोई झगड़ा किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाय । तो जब तक धारा ४-ट पर विचार नहीं हुआ है तब तक इस पर कैसे विचार हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---धारा ४-ट का इसमें कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---यदि धारा ४-ट के अधीन कोई झगड़ा नहीं है तो वह सौंपा किसे जायेगा ? जब झगड़ा आयेगा तभी तो जज मुकर्रर करने का सवाल आयेगा ।

श्री अध्यक्ष---तो पहले धारा ४-ट को लेना चाहिये ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---धारा ४-ट पर जब विचार हो रहा था उस समय वह स्थगित कर दी गई थी ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है । लेकिन यदि इस समय धारा ४-ट पहले ले ली जाय तो सारा झगड़ा खत्म हो जायेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने रूलिंग दे दी है कि इस खंड ६ की धारा ५-क पर विचार किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं उपस्थित किया गया होगा । खैर, अब मैं फैसला देता हूं कि इसको ले लिया जाय पहले, क्योंकि अगर वह नामंजूर हो गई, वैसे होगी नहीं, किन्तु संभावना को भी लेलें तो इस धारा पर विचार करना बेकार हो जायेगा । इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि पहले धारा ४ को ले लेना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आपने पहले एक रूलिंग दी थी कि अगर उपाध्यक्ष ने कोई रूलिंग दी है तो उसको मैं बदल नहीं सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---अभी प्रश्न उठाकर मुझ से एक रूलिंग मांगी गई और उस पर मैंने

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय तेजप्रताप जी ने कल व्हाइट आफ आर्डर उठाया था और उस पर माननीय उपाध्यक्ष जी की यह रूलिंग थी ।

श्री अध्यक्ष---अभी जो प्रश्न उपस्थित किया गया उस पर मैंने रूलिंग दी । अगर मेरी रूलिंग उपाध्यक्ष जी की किसी रूलिंग के विरुद्ध जाती है तो मेरी रूलिंग कायम रहेगी, उनकी नहीं । लेकिन अगर आप कहें कि उन की रूलिंग को मैं बदल दूं तो वह मैं नहीं बदलूंगा, दोनों बातों में इतना ही अन्तर है ।

खंड ४ (क्रमागत)*

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---यह मेरा संशोधन जिस तरह से छपा हुआ है उसमें एक शब्द 'न' छपने से रह गया है ।

श्री अध्यक्ष---तो आप अपना संशोधन शब्द 'न' के साथ उपस्थित कर दें ।

श्री नवलकिशोर---कल मैंने जो संशोधन दिया था उस में "न" नहीं था और जो मैंने किया था उसमें "न" था ।

श्री राजनारायण---अब हमारा क्रम क्या होगा ? जब उस संशोधन पर विचार होगा तो मैं अपना भाषण रिज्यूम करूंगा ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, वह फिलहाल स्थगित है ।

श्री नवलकिशोर---मेरे संशोधन का आशय यह है कि हमारा सेंट्रल ऐक्ट जो संशोधित हुआ है तो उस में यह है कि हमारे लेबर कोर्ट्स के प्रीसाइडिंग आफीसर कम से कम वह तो हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो । हमारे प्रदेश की सरकार ने यह महसूस किया कि उनके पास इतनी संख्या हाई कोर्ट के जजेज के स्तर की मिलना मुश्किल होगा । दूसरे, उन्होंने यह भी समझा कि उनकी मौजूदा ऐडजुडिकेशन मशीनरी बिलकुल बेकार हो जायगी और जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं वे काम नहीं कर सकेंगे । इसलिए वह चाहते हैं कि इसके स्कोप को बढ़ाया जाय और इसी भावना से मैंने यह संशोधन रखा है । हमारे प्रदेश में ऐसे सिलियेंट ऐडवोकेट्स हैं जो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं । इसमें काम करने के लिए ऐडवोकेट्स के लिए गुंजाइश होनी चाहिए ताकि हम अच्छे ऐडवोकेट्स को प्रीसाइडिंग आफिसर बना सकें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं । अगर कोई ऐडवोकेट जज बन सकता है तो उसे यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह इस ट्रिब्यूनल का भी अध्यक्ष या मेम्बर बन सके । यह बहुत अच्छा संशोधन है और मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसे स्वीकार करेंगे । हमको जब इतने जज नहीं मिलेंगे तो फिर कहीं से तो लेना ही है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नवलकिशोर जी के संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---हेयर, हेयर!

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मेरे मित्र तिवारी हेयर-हेयर कर रहे हैं । मैं उनको इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि पिछले ८ वर्षों में श्रम अदालतों में मुझे यहां से लेकर बम्बई तक यह अवसर प्राप्त हुआ है कि खड़े होकर मजदूरों के मुकदमों में बहस करूं । यह कहने की बात है कि मुझे उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ है आज इस संशोधन के पेश होने पर उसे

* १९ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही से ।

व्यक्त करने का अवसर मिला। जिन लोगों का सिविल और क्रिमिनल अदालतों से सम्बन्ध होता है उनका किस हद तक न्याय अदालतों से सम्बन्ध होना चाहिए इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार है कि इस काम के लिए अगर वकील लोगों को इसमें लाया जाय तो मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छी बात न होगी। मैं उन लोगों में से हूं जो यह महसूस करते हैं कि उन लोगों का सारा दृष्टिकोण सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स का रहा है और "ला आफ एविडेंस" में ही सत्य को ढूंढते हैं, वे श्रम के कामों के लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकते। हमारे प्रान्त में कन्सिलियेशन मशीनरी से जिन लोगों का सम्बन्ध रहा है, जो उसमें काम करते चले आये हैं उन लोगों के फैसले मिल मालिक और मजदूरों में जो झगड़े रहे हैं उनके बारे में स्टैन्डर्ड रूप के रहे हैं और सारे देश ने उनको स्वीकार किया है। इन लोगों के झगड़े भी क्या होते हैं? वही बोनस के, छुट्टी के, आदि आदि। उनमें "ला आफ एवीडेंस" क्रिमिनल एवीडेंस के दृष्टिकोण से अधिक लाभ होने की गुंजाइश नहीं मालूम देती। इसलिए इन कामों में वकील लोगों का अधिक हिस्सा बटाने का मैं मूल रूप से विरोध करता हूं और जिनका दिल मजदूरों के हित में काम करने का है, जिनके दिल में मजदूरों को उठाने की भावना है, लेकिन अगर उनके दिलों में यह बात है कि उनका भला हम वकील और वकालत के जरिये से कर सकते हैं तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे मजदूरों पर रहम खाकर इस बात को स्वीकार करें कि वकीलों के द्वारा इसमें अधिक से अधिक पैरोकारी होने से उलझनें और भी अधिक बढ़ सकती हैं।

सन् १९५० तक जब तक कि लेबर ट्रिब्युनल में हाई कोर्ट के जज की बात नहीं थी तब तक हमारे देश और प्रदेश में वे समस्याएं मिल मालिक और मजदूरों के बीच में नहीं उठती थीं जो उसके बाद उठने लगीं। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस तरह से न्यायालयों से अधिक कल्याण नहीं हो सकता है। यह संशोधन वकील वर्ग के केवल उन लोगों के लिए हो सकता है जो हाई कोर्ट के जज हो सकते थे, लेकिन नहीं हो सके। अब उन लोगों के लिए कितना स्कोप हमारे यहां होगा, कितनी तनख्वाह हम लोग दे सकेंगे, उनकी काबलियत का फायदा गरीब मजदूर लोग कितना उठा सकेंगे, यह सोचने की बात है क्योंकि वह तो गरीब केवल यह जानता है कि उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए। इससे अधिक की जानकारी उसको नहीं होती है। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं निवेदन करूंगा कि माननीय नवलकिशोर जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नवलकिशोर जी के संशोधन में एक संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूं। वह यह है कि "वह उस स्तर का एडवोकेट हो" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और नीचे लिखे शब्द जोड़ दिये जायं--"जो अपर जुडीशियल सर्विस के लिए नियुक्त किये जाने की योग्यता रखता हो।"

श्री अध्यक्ष--क्या आप यह संशोधन मेरे पास लिखकर भेज देंगे?

श्री जगदीश सरन--जी, मैं अभी भेज दूंगा।

अपने संशोधन के साथ माननीय नवल किशोर जी के संशोधन का मैं हृदय से समर्थन करता हूं। जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उससे माननीय नवलकिशोर का जो मंशा है, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। मेरे इस संशोधन को प्रस्तुत करने का अभिप्राय केवल इतना है कि जहां तक मेरी जानकारी है कोई भी जज सीधा नियुक्त नहीं किया जाता और न कोई ऐसी प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ही है कि जिनके आधार पर कोई जज सीधा नियुक्त किया जा सके। इसलिए माननीय नवल किशोर जी की जो मंशा है उस शब्दावली को, जो उन्होंने रक्खी है, उसको रखने से पूरी नहीं हो सकेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश सरन]

मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके द्वारा वह मंशा पूरी हो सकेगी। इतना तो मुझे अपने इस संशोधन के विषय में निवेदन करना है।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना पड़ता है कि मुझे बड़ा विस्मय हुआ माननीय बहुगुणा जी की बात को सुनकर। मैं समझता यदि वे आपत्ति करते जजों के रहने की धारा पर भी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैंने आपत्ति की थी।

श्री जगदीश सरन--मैं आभारी हूं बहुगुणा जी का कि उन्होंने मेरी गलतफहमी को दूर कर दी यानी माननीय बहुगुणा जी को वह व्यक्ति जो कि जज नियुक्त हो सकता है उसके ऊपर भी आपत्ति है। ऐसा वे समझते हैं कि इस ट्रिब्युनल कोर्ट के लिये वह उचित नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश और प्रदेश पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि हमारी जुडिशियरी ही प्रजातांत्रिक ढांचे में एकमात्र टेक है। हमारी जुडिशियरी ने इतने ऊंचे आदर्श हमारे देश में रखे हैं कि हम उसके द्वारा जितना नतमस्तक न हों वह थोड़ा है। अतीत में जितने प्रोनाउंसमेंट हुए हैं, जितने जजमेंट हुए हैं उससे हमारे देश और प्रदेश का स्तर और मस्तक ऊंचा उठता है। मैं तो समझता था कि जब भी इस तरह की कोई बात सदन के सामने आयेगी कि किसी जज की नियुक्ति का सवाल होगा तो उन सभी व्यक्तियों को जो लेबर के हितों से अधिक सम्बन्ध रखते हैं प्रसन्नता होगी, सन्तोष होगा और उनको निश्चिन्तता का अनुभव होगा। क्योंकि जजों के बारे में यही समझा जाता है कि वे निष्पक्ष होते हैं और वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते लेकिन मुझे तो विस्मय हुआ कि इस अनुभव के न होते हुए एक भी सदस्य को यह कहना पड़े कि किसी भी ट्रिब्युनल में किसी भी कोर्ट में यदि किसी जज की नियुक्ति हो तो उसे आशंका हो सकती है कि उसके द्वारा मजदूरों के हितों का संरक्षण न होगा। मैं समझता हूं कि जज रखने का प्राविजन बहुत ठीक है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सारी आशंकायें बेकार हैं। आखिर जज को नहीं रखेंगे तो किसको रखेंगे?

श्री अध्यक्ष---यह जज रखने का सवाल नहीं है, एडवोकेट रखने का सवाल है। आप बहस में बहुत ज्यादा आगे चले गये।

श्री जगदीश सरन---जहां तक एडवोकेट का सवाल है, कंस्टिट्यूशन के रूप में जो आपत्ति उनको जजेज की नियुक्ति के बारे में थी वही एडवोकेट के बारे में भी है। वे कहते हैं कि जज भी नियुक्त न हो और जो एडवोकेट जज नियुक्त होने लायक हो उसकी भी नियुक्ति न हो, इसलिये मैं थोड़ा उधर चला गया था। लेकिन अब मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक एडवोकेट का सवाल है कि जो जज बनने वाले हों, और जज बनने की योग्यता रखते हों, उसकी क्षमता रखते हैं उनकी भी नियुक्ति न करना यह अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि इस सदन में किसी भी सदस्य को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि यह वह वर्ग है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे अधिक हिस्सा लिया है. . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---फिर पंचायती अदालतों के मेम्बर क्यों नहीं बनाये?

श्री जगदीश सरन--पंचायती अदालतों के मेम्बर न बनाने के बिलकुल दूसरे कारण हैं। उनका इतना ऊंचा स्तर नहीं है जहां इतनी पेचीदगियां पैदा हों जिससे वहां एडवोकेट की आवश्यकता हो। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है, इसका कारण यह तो नहीं कि किसी एडवोकेट को वहां एडवोकेसी करने की इजाजत दी जाय। लेकिन जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है उसके द्वारा केवल यह मांग कर रहा हूं कि वह एडवोकेट जो कि जज बनने की योग्यता रखता है वह यदि इन ट्रिब्युनल कोर्ट का या न्यायालय का मेम्बर बन जायगा तो इससे

कौन सी आशंका हो सकती है, मैं नहीं समझ सका। जब तक यह प्रश्न सामने न हो और यह समझते न हों कि कोई भी सदस्य जो एडवोकेट होगा या कोई भी व्यक्ति होगा वह निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकेगा, तब तक इस तरह की आशंका करना सर्वथा निर्मूल है। यदि अतीत की ओर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि एडवोकेट्स वर्ग ने देश की आजादी की लड़ाई में जितना कंट्रिब्यूशन किया है वह किसी से कम नहीं है; हमारे देश के बड़े-बड़े नेता इसी वर्ग से आये हैं और उन्होंने ही राष्ट्र के नायक का पद ग्रहण किया है, आज भी और कल भी इसी वर्ग के लोगों के त्याग और तपस्या से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वह व्यक्ति जो सिविल लिबर्टीज के चेम्पियन रहे हैं वे अधिकतर इसी वर्ग से आये हैं और वह यदि आगे न बढ़ते तो हम इतने अच्छे ढंग से अपने कार्यों का सम्पादन नहीं कर सकते थे। इसलिये मेरी सानुरोध प्रार्थना है कि इस संशोधन को मेरे संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय और माननीय नवल किशोर जी मेरे संशोधन को मान लें तो अच्छा होगा और यदि इसको नहीं माना गया तो मेरी आशंका है कि श्री नवलकिशोर जी के संशोधन का जो वास्तविक अर्थ है वह नष्ट हो जायगा क्योंकि जजों की नियुक्ति होने का कोई नियम नहीं है।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बहुगुणा जी के तर्कों को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन मैं उनसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि वह स्वयं अपनी अगल-बगल में बैठने वाले वकील साहबान की ओर देखें और मैं तो अपने अगल-बगल में बैठने वाले वकील साहबान को देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि उनका यह कहने का मौका नहीं है कि उनकी तरफ के लोग या कानून पेशा लोग सोशल जस्टिस के मामले में अनभिज्ञ हैं। उस बात की तरफ मैं जाना नहीं चाहता कि वह उस तरफ जाना नहीं चाहते।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---वह वकालत छोड़ देते हैं।

श्री गेंदासिंह---ऐसा भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वे वकालत छोड़ देते हैं क्योंकि भूलाभाई देसाई, मोती लाल नेहरू और पंडित गोविंद वल्लभ पंत ऐसे लोग हैं जो बराबर सब कुछ करते रहे, देश रत्न चित्तरंजन दास जैसे लोग कि जिन्होंने सामाजिक न्याय में विश्वास कर के बड़ी-बड़ी कुरबानियां कीं लेकिन फिर भी उन्होंने वकालत के पेशे से इन्कार नहीं किया। मुझे तो कभी-कभी अफसोस होता है और मैं पछताता हूं कि मैं भी वकालत सीखे होता तो मजदूर, किसानों के मामले में जहां पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका आता है तो जैसे यहां अपने भाव व्यक्त करने के लिये मैं आप से इजाजत ले लेता हूं वैसे मुझे इजाजत लेने की जरूरत न पड़ती और मैं अपनी ओर से प्लीड कर सकता और सम्भव था कि मजदूरों, किसानों के हित में उनका कुछ अधिक लाभ कराने में सफल हो सकता। कई बार ऐसा मौका हुआ है कि मैं चाहता रह गया कि अमुक बात जिरह की जाय तब ही न्याय मिल सकता है लेकिन कसूर मेरा है मैं वकील को नहीं समझा सका कि मैंने क्या देखा और मैंने उस ढंग से सारा मामला उसके सामने नहीं मोहइया किया। मैं समझता हूं कि यह दृष्टिकोण हमारा गलत है, सवाल केवल इतना है कि जो कानून पेशा काम करने वाले व्यक्ति जज होने की योग्यता रखते हैं वह उन मजदूरों की अदालत के न्याय पद के योग्य क्यों नहीं हो सकते, वह जज बनाये जाने पर सारे देश के भाग्य का निर्णय कर सकते हैं और हमारा सारा कानून जो देश के लोगों का बनाया हुआ है और बड़े-बड़े पंडितों का बनाया हुआ है उस पर भाष्य दे सकते हैं, उसको वेलिड और इनवेलिड करार दे सकते हैं तो फिर उनको मजदूरों के हित और अहित के कानून को समझने में क्या दिक्कत होगी? मैं अब उनसे निवेदन करूं कि उन्होंने ही एक बार नहीं अनेक बार श्री बिन्दवासनी प्रसाद को मजदूरों के बोनस के फैसले के बारे में कहा है, लेबर ट्रिब्युनल की बात क्या---वह लेबर कानून जरूर जानते होंगे। लेकिन जो बात बहुगुणा जी जानते होंगे उसे बिन्दवासनी प्रसाद जी नहीं जानते होंगे क्योंकि उन्होंने ट्रेड यूनियन में काम नहीं किया है लेकिन बराबर यह कहा गया कि बिन्दवासनी प्रसाद जी को ही उसका जज नियुक्त किया जाय और मैंने देखा है उनके दिये हुए फैसलों को जिसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने जो फैसले दिये उन फैसलों से मजदूर नेता और मिलमालिकों को शिकायत थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

मैं समझता हूं कि इस मामले में हमको कुछ कड़ाई मालूम होती है और मालूम यह होता है कि नवल किशोर जी ने अपने मामले को जिस ढंग से वह अपने मामले को इस हाउस में बराबर रक्खा करते हैं उस ढंग से नहीं रक्खा। इसलिये माननीय बहुगुणा जी को कुछ भ्रम हो गया। अगर भ्रम पहले हो गया है तो देर आयद दुरुस्त आयद। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि इस बात की जिद छोड़ दें और फिर अपने दोस्तों की तरफ ध्यान रक्खें जो सोशल जस्टिस के नाम पर अपनी सारी वकालत की कमाई को और अपनी वकालत के सारे प्रोफेशन को छोड़कर के भी हमारी सेवा करने के लिये, देश की सेवा करने के लिये जिन्दगी कुरबान करते हैं। मैं उसकी कुछ कीमत नहीं चाहता लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उस तबके में, उस समूह में ऐसे लोग पर्याप्त मिल सकते हैं जो आकर मजदूरों के साथ न्याय कर सकें और मैं फिर उनसे यह आग्रह करता हूं कि वे जरा अपने ही बीच में बैठे हुए कानून पेशा लोगों को देखें कि वे कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं और आज नहीं कल भी हमें उन्हें उपयोगी मानकर चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे कानून, हमारी सारी अर्थ व्यवस्था इस ढंग की है कि बगैर वकील के काम चलने वाला नहीं है। पहले बहुगुणा जी को यह सोचना चाहिये कि सारी अर्थ व्यवस्था जो अपने देश की है उसमें वह वकील समूह को समाप्त करने का तो कोई फैसला करें। वह फैसला बात की बात में होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी बहुत दिन लड़ना झगड़ना पड़ेगा तब हो पायेगा। इसलिये इस वकील समूह की आवश्यकता है जिसमें उस वकील समूह में से जो क्रीम हो सकती है, जो अच्छे से अच्छे लोग हो सकते हैं उन लोगों का उपयोग उन मजदूरों के मामले के फैसले में क्यों न लायें। मैं समझता हूं कि उनकी मदद लेने में, उनको नियुक्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। ऐसा हमें विश्वास करना चाहिये और माननीय नवल किशोर जी के संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इस प्रकार का एक संशोधन आया था जिस पर सुबह तक श्री राजनारायण जी बोले। उस समय श्री बहुगुणा जी ने यह उद्गार प्रकट किये थे और मैंने थोड़े से शब्दों में उनका विरोध किया था। माननीय गेंदासिंह जी ने बहुत अच्छे शब्दों में समझा दिया है। मैं समझता तो नहीं था कि अब कुछ कहना पड़ेगा लेकिन फिर भी मुझे कहने की आवश्यकता पड़ गई। माननीय बहुगुणा जी का जो विचार है कि जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं या ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूरों के नेता कहलाते हैं वे इन मजदूरों और मिलमालिकों के झगड़ों में अच्छी सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेरा विचार तो इसके विपरीत है। माननीय नवल किशोर जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मालिक और मजदूर का जो झगड़ा है उस में किसी भी प्रकार से कोई नेता निर्णय नहीं दे सकता। वह पक्षपात कर सकता है। जो सरकारी निर्णय है या जो पार्टी के निर्णय हैं, नेता लोग उनको कार्यान्वित नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान जौनपुर में अभी जो कांफ्रेन्स हुई है उसमें माननीय नेहरू जी ने जो उद्गार प्रकट किये हैं वे यही हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी और नीति जो है, उसे पार्टी विशेष या नेता लोग कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं इसलिये कि उनको शंका है कि अगर करी आउट करेंगे सरकार की नीति को तो उनको वोट प्राप्त नहीं होंगे। तब इस प्रकार का खतरा है नेताओं को तो जो झगड़े होंगे मजदूरों के और मिल मालिकों के उनमें अगर जजों को नहीं रक्खा जायगा जो कि डेमोक्रेसी की सब से बड़ी कसौटी है, तो ठीक निर्णय नहीं हो सकेगा और माननीय नवलकिशोर जी ने जैसा अभी कहा है कि हमारी जो जुडीशियरी है उस पर हम गर्व कर सकते हैं। और वही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ढाल है। जब जजों के ऊपर या उस स्तर के जो एडवोकेट हैं हम शक कर सकते हैं कि वह सोशल जस्टिस नहीं कर सकते तो हमारी डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा? मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के एडवोकेट्स को सूची में जरूर सम्मिलित कर लेना चाहिये।

माननीय बहुगुणा जी की जो दलील है वह समाज के लिये बहुत घातक होगी। उस पालिसी से या उनकी ऐडवोकेसी से एक लाभ अवश्य हो सकता है कि बहुगुणा जी ऐसे व्यक्ति उस ट्रिब्यूनल में रख दिये जायं तो मजदूरों के फैसले कर देने से उनको वोट अवश्य अधिक मिल सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि मिलमालिक के विरुद्ध वह जस्टिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हृदय में यह भावना हो सकती है जैसे अध्यक्ष महोदय, अक्सर होता है मजदूर और मिलमालिक जब लड़ता है तो जो आदमी जिस पक्ष का होता है वह अपने पक्ष की अधिक अच्छे ढंग से कहता है और दूसरी चीज को सुनना नहीं चाहता है और सुनना चाहता है तो ठीक से न्याय नहीं कर सकता। इसको तो तीसरा ही व्यक्ति अच्छा निर्णय दे सकता है और मैं समझता हूं कि जो जज हैं या उनके स्तर के ऐडवोकेट हैं, जो सोशल जस्टिस और कायदा कानून समझते हैं और गवर्नमेंट की नीति को समझते हैं वही इस प्रकार के निर्णय दे सकते हैं और इस प्रकार के एडवोकेट्स को प्रोवाइड करने का अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये माननीय नवल किशोर जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और बहुगुणा जी ने जो विरोध किया है मैं बहुगुणा जी के भाषण और विचारों का घोर विरोध करता हूं। जैसा मैंने अभी कहा है हमारे सर्वमान्य नेता नेहरू जी ने जो अभी भाषण जौनपुर में दिया है . . .।

श्री अध्यक्ष--वह बात आप दोहरायें नहीं।

श्री जोरावर वर्मा--मैंने फिर से उनका ध्यान आकर्षित किया है कि वह जस्टिस नहीं कर सकते हैं। निर्णय वही व्यक्ति दे सकता है जो जज हो या जो जज बनने के योग्य हो।

*__श्री मदनमोहन उपाध्याय__ (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नवलकिशोर जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो अध्यक्ष महोदय, जरा डेलीकेट सा प्रश्न हो जाता है। मैं भी वकील पेशे का हूं और वकालत आज नहीं करता हूं लेकिन वकालत पढ़ी है और वकालत की भी है। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं इस सदन में भी वकालत के पेशे में आज हैं। मुझे आश्चर्य तो नहीं हुआ माननीय बहुगुणा जी को सुनकर लेकिन दुख अवश्य हुआ। आश्चर्य तो इसलिये नहीं हुआ कि माननीय बहुगुणा जी तो यह चाहते हैं कि लेबर ट्रिब्यूनलस में ऐसे लोग बैठे रहें जो कानून को तो कुछ जानें नहीं और लेबर लीडर्स बहस करें और रोज धमकी देते रहें कि हड़ताल कर देंगे, सोडावाटर की बोतलें फेंकेंगे, ऐसे डराना चाहते हैं। और अगर लेबर प्राबलम्स को हल करने वाला कोई कानूनदां बैठा होगा तो कंपेंसेशन ऐक्ट, वेजेज ऐक्ट दुनिया भर के ऐक्ट पड़े हैं जिनका इंटरप्रिटेशन करने के लिये अगर कोई वकील होगा तो मैं समझता हूं कि कानून के जरिये से जो अधिकार मिले हैं उन पर ज्यादा अच्छी तरह से एक वकील ही, जिस को तजुरबा है, निर्णय कर सकता है। या माननीय बहुगुणा जी चाहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट वाले चलें, उनसे जैसा चाहें वह करवा लें। मुझे दुख है कि एक लेबर लीडर होकर चाहते हैं कि कानून की शरण लेकर, कानून के जरिये अधिकार इस्तेमाल करते हुए, वह ऐतराज कर रहे हैं, कि जो कानून जानने वाला है वह वहां पर न बैठे। तो क्या उनकी मंशा है कि सारे फैसले लेबर लीडर की इच्छा के मुताबिक कर दिये जायं? हमारी जितनी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूनल्स हैं, रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल है, जितने जजेज हैं सब ऐडवोकेट्स और बैरिस्टर्स हैं। एक सरकारी अफ़सर नहीं।

सब से बड़ी हमारी इंडस्ट्री रेलवे है, उसके जो रेट्स बनते हैं उसका एक ट्रिब्यूनल है उसमें वही हैं सारे इलेक्शन पेटीशन्स जितने होते हैं उनमें एक ऐडवोकेट अवश्य होना चाहिये। और हाई कोर्ट की एक लिस्ट बनी हुई है उसमें प्रायरिटी के हिसाब से वह ऐडवोकेट उस ट्रिब्यूनल का मेम्बर बना दिया जाता है और जितने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें हमेशा इस बात की कोशिश की जाती है कि वही लोग रखे जायं जो कानून को जानते हों। और यह कहना कि साहब कानून वाले तो कुछ इंसाफ नहीं करेंगे, बड़े अफ़सोस की बात है। यही कानून

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

वाले लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज बनते हैं। हमारी तो यह मांग थी कि आई० सी० एस० और आई० ए० एस० क्लास के लोग हाई कोर्ट के जजेज न बनाये जायं। ऐडवोकेट्स में से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज बनने चाहिये अगर लॉ का इंटरप्रिटेशन ठीकतौर से होना है। अध्यक्ष महोदय, जो ब्योरोक्रेसी में बहुत दिन तक रहा हो जिसने सारी गवर्नमेंट को चलाने में हाथ बंटाया हो उसको जज बनाने में हमें एतराज है। हम तो चाहते हैं इंडिपेन्डेंट आदमी जो कानून समझता हो वही हो। हाई कोर्ट के अन्दर हमारे चीफ जस्टिस स्वयं बैरिस्टर हैं और ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हो रहे हैं। मुझे दुख है माननीय बहुगुणा जी इस बात पर एतराज करते हैं कि जज ऐडवोकेट्स में से नहीं होना चाहिये। सिर्फ एक लेबर लीडर हो जाय।

मैं समझता हूं इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है कि ऐडवोकेट्स में से हों। आखिर कहां से आयेंगे जजेज? कितने आई० ए० एस० आफिसर्स होंगे जो जज बन कर के आयेंगे और वही वकील अगर जो वकालत कर के हाई कोर्ट का जज हो जाय तो जज हो सकता है। बहुगुणा जी उसके भी खिलाफ हैं। मुझे अफसोस है, कानून उन्होंने पढ़ा है या नहीं। वे डरते क्यों हैं। कौन सी ऐसी डर की बात है। अगर कानून की शरण लेनी हो तो कानून जानने वालों को बनाना चाहिये। अगर उनका यह कहना हो कि हमारे कानून वाले लोग मिल वालों से मिल जायंगे तो अध्यक्ष महोदय, फिर तो अगर ऐसे सस्पिशन होने लगे तो जुडिशियरी से लोगों का भरोसा हट जायगा। मैं यह नहीं कहता कि सब वकील ही हों। हिन्दुस्तान के नेता वकील लोग ही थे और अब भी रहेंगे। यह ठीक है जिनको प्रैक्टिकल साइड का तजर्बा है वह अवश्य बन सकते हैं। प्रत्येक देश की लड़ाई में चाहे वह डेमाक्रेटिक हो, चाहे किसी किस्म की हो आज हिन्दुस्तान के ही वकीलों का नहीं दुनियां के किसी देश में चले जाइये वहां के वकील लोगों का ही देश की राजनीति को चलाने में हाथ रहा है और यह सब जानते हुये लेबर ट्रिब्यूनल्स के जज ऐडवोकेट्स बनाये जायं, इसका विरोध किया जाय तो मुझे दुःख होता है।

मैं चाहता हूं कि लेबर्स की प्राबलम्स को स्टडी करूं। लेकिन अगर लेबर लीडर्स की यही मंशा है कि वहां कानून की बात नहीं वहां तो इमोशन की बात है, तो मैं कुछ नहीं कहता। अध्यक्ष महोदय, एक दफा कानपुर गया और मिल के सामने एक जलूस देखा। मैंने देखा कि किस जोश और फरोश से लेबर लीडर्स बोल रहे थे। तो मैंने सोचा क्या यही राजनीति है। जो चाहते थे वही लेबर लीडर्स उनको भड़का सकते थे। उनका तो यह मकसद है कि लेबर ट्रेड यूनियन्स को कायम रखना हो तो कोई न कोई झगड़ा हमेशा कायम रखें, अगर सब झगड़े तय ही हो जायं तो हमें कौन मानेगा। और चाहते हम भी हैं कि लेबर प्राबलम्स हल हों, लेबर को जो हम यहां से पास करके देते हैं उसका पूरा हक मिलना चाहिये। लेकिन उनका यह कहना कि एक जगह तो कम से कम किसी इंसाफ वाले को बैठाओ, एक जगह पर तो किसी ऐसे को बैठाओ जो कानून जानता हो, फैसला सही कर सके, इसे भी आप कहते हैं कि न रखा जाय। बड़े दुख की बात है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ज्यादा न बोलकर के माननीय नवल किशोर जी ने जो संशोधन रखा है उसका हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय बहुगुणा जी भी उसको मान लेंगे। माननीय बहुगुणा जी अगर कानून न पढ़े हों तो मैं उनसे कहूंगा कि वह एक बार कानून पढ़ें और फिर उसके बाद हम तैयार हैं उनको ला करके हम वहां पर बैठायेंगे। इसलिये मैं माननीय नवल किशोर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्रममंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नवल किशोर जी ने इस भवन के समक्ष रखा है उसके सिलसिले में मुझे एक बात खास तौर से कहनी है। कोई इस ख्याल से मैं इस संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं कि मुझे कुछ इस बात की शंका हो कि जो ऐडवोकेट्स हैं वह इस काम को नहीं कर सकेंगे। वरन् मुझे तो इस बात

का आश्चर्य होता है उन्होंने यह रखा है कि वही ऐडवोकेट्स जो कि इस स्तर के हों कि जज बनाये जा सकें, मैं नहीं समझता कि दूसरे ऐडवोकेटस क्या इतने निकम्मे हैं कि वह न्याय नहीं कर सकते। वह तो एक व्यावहारिक दृष्टि से रखा गया है कि सेलेक्ट करने में दिक्कत न हो। उसमें यह रखा गया है कि जो सात साल तक जुडिशल सर्विस में रहा हो और उसमें यह लिखा गया है कि एक लिस्ट बनायी जायगी और उस लिस्ट में भी वही व्यक्ति होंगे जिनको कि कुछ न कुछ तजुर्बा हो। या तो वह जुडिशल का होगा या लेबर कोर्टों का होगा। इससे उनके सेलेक्शन में सहूलियत होगी। तो यों तो फिर यह कहने की जरूरत ही क्या रही कि सात साल की जुडिशल सर्विस कोई हो। भी व्यक्ति जो न्याय करने लायक हो और जिसको गवर्नमेंट समझती है न्याय करने योग्य उसको रखा जाय, वह ज्यादा अच्छा है बजाय उसके जो अभी माननीय उपाध्याय जी ने कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक वह ज्यादा अच्छा है। लेकिन उसके रखने से कितनी दिक्कतें गवर्नमेंट के लिये हो जातीं हैं। लेबर कोर्ट के लिये प्रेसीडेंट नियुक्त करने के लिये हमें प्रदेश के सारे वकीलों और सारे विद्वान् पुरुषों में से छांटना पड़ता और फिर निर्णय करना पड़ता। इसी कारण यह कोई ऐडवोकेट्स के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, न हमें किसी और व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत है। हमतो समझते हैं कि हर एक व्यक्ति जिसको कि न्याय की कुर्सी पर बैठाया जायगा वह उस काम को करेगा। उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिये। इसलिये इसका विरोध मैं करता हूं। तो इसी ख्याल से कि यह अव्यावहारिक होगा और ज्यादा उपयुक्त यह होता, गो मैं उससे सहमत नहीं होता, कि उस लिस्ट में यह कह देते कि यह भी व्यक्ति होंगे, तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है और सम्भव है कि माननीय सदस्य कुछ और विचार रखते, यद्यपि मैं उससे भी सहमत नहीं हूंगा, परन्तु इस स्थान पर कोई इसकी उपयोगिता नहीं है और मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं नवल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने इस संशोधन के समर्थन और विरोध में जो विचार इस सदन में प्रस्तुत किये गये, उनको बड़े गौर से सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा माननीय बहुगुणा जी को सुनने के बाद कि वह यह चाहते हैं कि जो माननीय नवलकिशोर जी का संशोधन है वह इसलिए न माना जाय कि जो पुरानी परिपाटी या प्रथा आज से पहले प्रचलित थी वही कायम रहे। माननीय बहुगुणा जी का विचार है और मैं यह समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी समझते हैं कि जैसी प्रथा प्रचलित थी पहले वही उचित प्रथा है और हो सकता है कि इस संशोधन को मान लेने के बाद कोई हेरफेर या तब्दीली हो जाय। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है माननीय बहुगुणा जी के विचार को कि उनका विचार है कि जैसे कंसीलियेशन आफिसर वगैरह थे, ऐडजुडिकेटर थे, वह वैसे ही बने रहें और दूसरा अर्थ यह लगाया जा सकता है कि माननीय लेबर कमिश्नर साहब के मातहत जो लोग काम करते रहे हैं इन विभागों में वही काम करते रहें, ऐसा समझा जा सकता है, कम से कम मैं ऐसा ही समझा। और श्रीमन्, अगर आप देखेंगे तो माननीय नवलकिशोर जी का प्रस्ताव है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४—क के भाग (३) में उपखंड (ख) के बाद एक नया उपखंड (ग) जोड़ दिया जाय। उनका संशोधन सदन के सामने है। मैं खंड ४—क का जो (३) है उसको पढ़ना चाहता हूं—

"कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के रूप में नियुक्त होने के लिये तब तक अर्ह न होगा जब तक—

(क) उसने सात वर्षों से अन्यून अवधि तक के लिये भारत में कोई न्यायिक पद (Judicial Office) न ग्रहण किया हो, अथवा

(ख) धारा ४ (घ) के अधीन तैयार की गई सूची में उसका नाम दर्ज न हो।"

अब मूल अधिनियम में ४ का उपखंड (ख) है उसमें जो रेफर किया गया है ४ (घ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

वह इस प्रकार है कि "धारा ४—क के अधीन श्रम न्यायालय तथा धारा ४—ख के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण निर्मित करने के प्रयोजन से राज्य सरकार—

(क) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें, तथा

(ख) उन सभी व्यक्तियों की एक सूची जो किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये जा सकें,

बनवायेगी तथा उस सूची को उसमें ऐसे परिवर्तनों (alterations) का समावेश करते हुये रखेगी, जिनकी सूचना धारा ४—ङ के अधीन नियुक्त समिति समय समय पर प्रस्तुत करे।

इससे यह स्पष्ट है कि सरकार को यह अधिकार है कि यदि वह ऐडवोकेट को रखना चाहे तो ट्रिब्युनल में आने के लिये उसको भी आवश्यक है कि उनकी एक लिस्ट बने और उसको नामिनेट करे। यह स्पष्ट है कि सरकार की इच्छानुसार ही किसी ऐडवोकेट को मौका मिलेगा कि उसकी नियुक्ति जज के स्थान पर हो सके।

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइंट आफ आर्डर सर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और कोरम होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर लाल—इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी को इसके स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि बहुगुणा जी के विचारों के विरुद्ध मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, जिसको मैं आपके द्वारा उनकी सेवा में पेश करूंगा। उनके भाषण का तथ्य यह निकला कि पुरानी जो व्यवस्था थी वही ठीक थी उसमें दोष पाये गये हैं। मैं रिफेंस के लिये यह निवेदन करूं कि कानपुर में एक मिल के सम्बन्ध में मुकद्दमा नम्बर ८८ मार्च, ५६ में दायर हुआ और अगस्त ५६ में कहीं जाकर वह तथ्यहीन घोषित हुआ। इस तरह से बहुत से मुकद्दमात हैं। वहां पर रात्रिकाल में मजदूर काम करते थे जिनकी संख्या अधिक थी, वह चाहते थे कि उनको उस समय की मजदूरी मिले। उसको तथ्यहीन कहने में ६ महीने का समय लगा जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों रुपये की मजदूरी का मजदूरों का नुक्सान हुआ और उस अतिरिक्त श्रम से मिल मालिकों ने खूब मुनाफा कमाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो पिछली व्यवस्था थी वह दोषपूर्ण थी जहां तक जजों का सम्बन्ध है.....

श्री अध्यक्ष—आप बाद में अपना भाषण जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, माननीय नवल किशोर जी के संशोधन पर ही मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। मुझे सिर्फ माननीय मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना है कि अब तक जो व्यवस्था रही है यदि सीधे शब्दों में कहा जाय तो यह होगा कि कंसीलियेशन अफिसर्स वगैरः जिनके हाथों में यह ताकत रही है वे लेबर और जनता दोनों का विश्वास खो चुके हैं और उसके कारण भी हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि उस विश्वास को प्राप्त किया जाय और उसके प्राप्त करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन को स्वीकार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवल किशोर के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जजों की हमारे यहां यों ही कमी है। जहां तक वकीलों का सम्बन्ध है वे तो अपना मेहनताना लेते हैं और अपना पेशा करते हैं। वे तो हमारे कंट्रोल में हैं नहीं। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियन्स है चाहे बड़े एडवोकेट हों चाहे छोटे बिना मेहनताना लिये हुये बात नहीं करते और अपने मुवक्किल को चूस लेते हैं। हमारे अपोजीशन के भाई डिमोक्रेसी का नारा लगाते हैं। लेकिन यह डिमोक्रेसी नहीं होगी कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है उनको हम रखें और उनकी शिकायत होने पर उनके विरुद्ध कुछ न कर सकें। सरकारी अफसर होंगे तो कोई शिकायत होने पर हम उनको सस्पेंड कर सकते हैं सजा दे सकते हैं लेकिन एडवोकेट हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सात वर्ष का जुडीशियल आफिसर कितने मुक़दमों का फैसला कर चुका होगा और आफिशियल वर्क का भी उसको ज्ञान होगा वह वेलट्रेन्ड भी होगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो रखा है वह बिल्कुल ठीक है और मैं इसलिये फिर माननीय नवल किशोर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने अमेंडमेंट को वापस ले लें।

आचार्य जुगल किशोर---मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूं और अपनी दलीलें भी दे चुका हूं। मैंने पहले कहा था कि मुझे वकीलों पर कोई आपत्ति नहीं है और न उनकी ईमानदारी पर शक है किन्तु व्यावहारिक रूप में यह जरूरी है कि जिस हद तक समिति में ऐसे व्यक्तियों को रख सकें जिनकी श्रम के मामलों से जानकारी हो उतना ही अच्छा होगा और विशेष कर ऐसे कोर्ट्स और ऐसे ट्रिब्यूनल्स के लिये। मैं इसलिये इसका विरोध करता हूं और नवल किशोर जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको वापस ले लें।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के सम्बन्ध में जिन साथियों ने समर्थन में भाषण किया है उनका मैं बहुत आभारी हूं। मुझे अपने मित्र माननीय बहुगुणा जी का भाषण सुनकर बहुत तकलीफ़ हुई। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके जीवन का यह कटु अनुभव है कि हाई कोर्ट के तथा अन्य ऐडवोकेट्स जो सिविल और क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उनसे सामाजिक न्याय की आशा करना उचित नहीं है। मान्यवर, मेरा अपना मत बिलकुल उनके विपरीत है। मैं सर्विसेज़ के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता। जितना आदर उनके लिये उनके दिल में है उतना ही मेरे में भी है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विसेज़ ही सोशल जस्टिस की ठेकेदार है यह बात मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। उन्होंने मिसाल इस बात की दी कि बिना कानूनी लोगों ने कैसे-कैसे जजमेंट दिये और वह कैसे ब्रिलियेन्ट जजमेंट थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसी हाईकोर्ट में जो एडवोकेट जजेज़ हुये हैं वह ऐसे डिस्टिंगुइश्ड हुए हैं कि एक समय हमारे कई प्रमुख नेताओं की यह स्पष्ट राय थी कि हाई कोर्ट के जजेज़ जो बनाये जायं वह सिर्फ एडवोकेट ही बनाये जायं और आई० सी० एस० न बनाये जायं। यह दूसरी बात है कि जो मैंने अपने खयालात बतलाये उनके लिये वह दिमाग़ में प्रिज्यूडिस्ड हों। मैं समझता हूं कि यह बात ग़लत है। वह चाहें इस प्रोफेशन का समर्थन करें या न करें लेकिन इस तरह का आक्षेप लीगल प्रोफेशनल्स के लिये, उनके ऊपर लगाना, उचित नहीं है और मैं चाहूंगा कि वह इस प्रकार की भावना को छोड़ दें।

मेरे दोस्त की घुमा कर के नाक पकड़ने की आदत है....

एक सदस्य---कौन दोस्त?

श्री नवलकिशोर---बहुगुणा जी की। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने तो मान लिया कि हाई कोर्ट के जज ही ट्राइब्युनल में आयें और प्राविंशियल गवर्नमेंट ने भी यह माना है कि उनको लिया जाय। यद्यपि बहुगुणा जी इसके भी विरोधी हैं। आप देखें कि जो एडवोकेट हाईकोर्ट का जज हो जायगा उसको तो ट्रिब्यूनल में जाने का हक़ होगा चाहे उसकी मेंटेलिटी चेंज हुई हों या न हुई हो लेकिन उसका जो डाइरेक्ट एप्वाइंटमेंट है उस में आप को आपत्ति है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सोशल जस्टिस पैदा करने में, उसकी भावना लोगों

[श्री नवलकिशोर]

में जाग्रत करने में ज्यादातर हाथ उन लोगों का रहा है जो कि अधिकांश रूप से लेबर आन्दोलन से संबंधित रहे हैं। तो यह विरोधी बात उनकी मेरी समझ में नहीं आई कि वही लोग कैसे सोशल जस्टिस नहीं दे पायेंगे। मैं यह भी सोचता हूं कि एक वकील असेम्बली का मेम्बर हो सकता है, श्रम मंत्री बन सकता है, लेबर की पालिसी को गाइड कर सकता है और मैं आशा करता हूं कि वह आदमी निहायत प्रोग्रेसिव व्यूज के साथ उसको गाइड कर सकता है और साथ-साथ प्रेक्टिस भी करता रहेगा लेकिन वह डिस्टिंगुइश्ड एडवोकेट उस ट्रिब्युनल का एडजुडिकेटर नहीं बन सकता। एक एडवोकेट श्रम नेता बन सकता है, किसी यूनियन का आफिस बियरर बन सकता है और उस नाते से एडजुडिकेशन के जो कोर्ट्स हैं, जो ट्रिब्युनल्स हैं उनमें जा सकता है और सामाजिक न्याय मजदूरों को दिलवा सकता है लेकिन अगर वह एडजुडिकेटर खुद हो जाय तो सामाजिक न्याय नहीं दे सकता, यह दलील मेरे दिमाग में नहीं आती।

इसके बाद जहां तक माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध है मुझे खुशी है कि वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि एडवोकेट इतना निकम्मा तबका है कि जिसके अन्दर कोई सामाजिक ज्ञान नहीं है और उसके लिये कोई अहसास नहीं है और क्षमता नहीं है कि वह सामाजिक न्याय कर सके। अगर आप ने बताया कि उनकी कुछ कठिनाइयां हैं। एक बात तो उन्होंने यह बतलाई। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि मेरा यह संशोधन अगर इस स्थान पर न आकर दूसरे स्थान पर आता तो अधिक मुनासिब होता। उनको इसके सिद्धांत से कोई मतभेद नहीं है। तो मैं स्थान बदलने के लिये तैयार हूं यदि वह मान लें। और कोई दिक्कत अगर उनको हो तो मुझे उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ह्वेयर देयर इज विल, देयर इज एवे। अगर आप मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस सिद्धांत को तो आप को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। उसके लिये नियम बन सकते हैं। जब हाई कोर्ट्स में इस तरह से लोग लिये जाते हैं तो उसके लिये नियम होते हैं, उनमें कोई धांधलेबाजी नहीं होती। तो इसके लिये भी नियम बन सकते हैं। इसके अलावा मेरे संशोधन में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि आप एडवोकेट को ही लें। खाली दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है उस को तबदील करने में कठिनाइयां पड़ेंगी तो मैं आप की बात को मानते हुए और यह समझते हुए कि सिद्धांततः यह बात सही है, अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, मैं आप की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि: खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४—ग के भाग (२) में अंक "६५" के स्थान पर अंक "६०" रख दिया जाय। इन ट्रिब्यूनल्स में नियुक्त लोगों की एज लिमिट ६५ साल रखी गयी है। मैं समझता हूं कि ६० साल की अवस्था ऐसी है जिसमें मनुष्य काफ़ी काम और मेहनत करने के बाद थक जाता है। ऐसी अवस्था में उन लोगों पर अधिक बोझ डालना उचित नहीं है। ६० साल की अवस्था के बाद हमारे लोगों को इस बात का मौक़ा मिलना चाहिये कि वे कुछ आराम और दूसरी चीजें करें। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बजाय ६५ साल के वह ६० साल की एज लिमिट रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि धर्म शास्त्रों में भी लिखा है कि ६० साल के बाद आदमी सठिया जाता है। इसलिये इस अवस्था के बाद आदमी को नहीं रखना चाहिये और उसे आराम का मौक़ा देना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे। यह बहुत ही लाभदायक संशोधन है।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमारा देश इस बात की लालसा करने लगा है कि लोग पहले से अधिक वर्ष तक जियें और कार्य करने योग्य बने रह सकें। इसलिये अगर आप इसमें ६५ वर्ष की उम्र कर देते हैं तो आदमी अधिक दिनों तक जिन्दा रहने का और स्वस्थ रहने का प्रयत्न करता रहेगा, अधिक देर तक देश का काम करता रहेगा। इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि हम उम्र को कम न करें बल्कि ज्यादा करें।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जब कोई रिटायर होता है तो वह इस बात का प्रयत्न करता है कि उसको एक्सटेंशन दिया जाय या उसको रिएम्प्लाय कर लिया जाय। इससे प्रतीत होता है कि आदमी की अवस्था बराबर ऐसी बनी रहती है, ६० बरस के बाद भी, कि वह काम कर सके और रिटायरमेंट के बाद बहुत दिनों तक वह काम करने के योग्य बना रहता है।

इसके अतिरिक्त जो लोग पोलीटिकल फील्ड में काम करने वाले हैं वे तो ७०–७५ वर्ष तक भली भांति काम करते रहते हैं। तो क्या वजह है कि यहां पर भी ६० से अधिक वर्षों तक वे काम न कर सकें।

तो इस दृष्टिकोण से कि लोगों की उम्र अधिक बढ़े, लोग अधिक दिनों तक स्वस्थ्य रहने की कामना करें तथा लोगों की योग्यता का लाभ बहुत दिनों तक उठा सकें, मैं यह उचित समझता हूं कि इसको इसी प्रकार रहने दिया जाय और जो माननीय नवलकिशोर जी का संशोधन है, स्वीकार न किया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरा तो ख्याल यह है कि आजकल जो नये ख्याल के लोग हैं उनमें जो कहावत प्रचलित है कि 'लाइफ बिगिन्स एट सिक्सटी', इसको माननीय नवलकिशोर जी भूल गये। आप तो ६० का शब्द सुन कर ही घबरा गये। आज जब कि हमारे देश में अनेकों योजनायें चल रही हैं, लोग अपने जीवन की लोंगिविटी को बढ़ा रहे हैं, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि ६५ की अवस्था ऐसी है जबकि लोग इस योग्य रहते हैं कि वह देश के लिये उपयोगी कार्य कर सकें। इसके अतिरिक्त ६० से पूर्व हाईकोर्ट के जजेज अवेलेबिल भी नहीं हो सकते, वे साठ के बाद ही अवेलेबिल होंगे। इस ख्याल से मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो उपस्थित किया गया वह अनुपयुक्त है और माननीय नवलकिशोर जी इसको वापिस ले लें।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ६५ वर्ष रक्खा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय नवलकिशोर जी का जो संशोधन है उसकी मुखालिफत करता हूं।

हमारे यहां गांवों में कहावत है 'साठा सो पाठा'। सबूत में हमारे सामने एक भूतपूर्व मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। इस उम्र में भी वे एजीटेशन चला रहे हैं। अभी हमारे मुल्क में इंगलैन्ड के भूतपूर्व प्राइमर मिनिस्टर आये थे, ७३ वर्ष की उनकी उम्र थी और वे अब भी इतना अधिक कार्य चला रहे हैं। फजलुल हक़, सोहरावर्दी को देखिये किस उम्र के हैं। हमारे एम्स चीफ मिनिस्टर पंडित गोविंद वल्लभ पंत को ही ले लीजिये, ६० से ऊपर हैं और कितने राइट पाथ पर वे हमको ले चल रहे हैं, हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी ६० से ऊपर ही हैं। एक मर्तबा एक लड़की वाले ने कहा कि बरात में नौजवान ही नौजवान लाये जायं। वे लोग एक बुड्ढे को पिटारे में बंद करके ले गये। बरातियों ने एक-एक खस्सी दे दिया और कहा कि इनको खा जाओ। वे लोग बड़े चक्कर में पड़े कि किस तरह से इनको खाया जाय। बुड्ढे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

ने सलाह बतायी कि एक-एक को मारो और बांट कर खाओ, इस तरह से खा जाओगे। और इस तरह से वह सब को खा गये। घरातियों ने कहा कि इसमें कुछ रहस्य जरूर है कोई इसमें बुड्ढा अवश्य है।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहब खुद ६० वर्ष के ऊपर के हैं जो आज कितनी ऐफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी का हममें से कोई भी नहीं है, जितने कि यहां बैठे हुये हैं सिवा माननीय शिवनारायण को छोड़ कर। दूसरा कोई भी उनके मुकाबिले में अच्छे हेल्थ वाला नहीं है। तो ६०, ६५ वर्ष के बाद तो आदमी परिपक्व होता है, पूरा पंडित हो जाता है। युधिष्ठर ने भी अपने भाइयों से कहा था कि हस्तिनापुर छोड़ कर राज्य से इस्तीफा देकर जंगल में चलो। तो वह भी ७०, ८० और १०० वर्ष की अवस्था के बाद की ही बात है। ७५ वर्ष तक तो हम अपनी संस्कृति के अनुसार काम कर सकते हैं। ७५ वर्ष के बाद ही रिटायर होने का समय है जबकि कोई बनवास में जाकर, जंगल में जाकर तपस्या करे। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने जो रखा है, बहुत ही सुन्दर है। मैं समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी और हमारे वे मित्र भी जो उधर बैठे हुए हैं, वे मेरे साथ सहयोग करेंगे। मैं एज ए सोशलिस्ट कहता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं, वे सब इसमें सहयोग करेंगे।

*श्री जगदीश सरन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बल के साथ माननीय नवलकिशोर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैंने माननीय शिवनारायण जी के भाषण को सुना। मालूम ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ कसम खायी है कि सरकार द्वारा जिस रूप में जो भी संकल्प हो उसका वे समर्थन करेंगे ही। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनारायण जी ने अपने भाषण के शुरू में जो मिसाल दी, वह तो मैं समझता था कि संशोधन के पक्ष में जा रही है। उन्होंने कहा कि साठा तो पाठा। यहां से शुरू करके उन्होंने संशोधन का विरोध किया। उन्होंने कई बड़े-बड़े नेताओं का नाम भी इस मामूली विवाद में ले डाला। मैं आदर के साथ निवेदन करता हूं कि अपवाद नियमों को सिद्ध नहीं करता है। अगर हमारे देश के सौभाग्य से पिछली जेनरेशन के कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो ७० और ७५ वर्ष में पहुंच कर भी अपने कीर्ति कलापों से देश और प्रदेश को देदीप्यमान कर रहे हैं लेकिन हमको तो साधारण व्यक्तियों के स्तर को ही देखना पड़ेगा। जो संशोधन माननीय नवलकिशोर जी ने रखा है वह सर्वथा उचित है। इस संशोधन के बारे में एक बात और कही गयी। माननीय विभव जी ने अपने तर्क में कहा कि अगर हम ६० साल की अवधि रखते हैं तो हाईकोर्ट के जजेज नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं बड़े अदब के साथ और बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस संशोधन को पढ़ने की कृपा नहीं की ऐसा मालूम होता है।

इस संशोधन के द्वारा जहां तक हाईकोर्ट के जजेज का सम्बन्ध है, उनके लिये तो साफ-तौर से कह दिया गया है "यदि अवकाश प्राप्त हाईकोर्ट के जज हों"। इस तरह से वह तो ठीक है। दूसरा जो संशोधन है उसमें यह आशंका तो बिलकुल साफ कर दी गयी है। इसलिये इस पर कोई आशंका करना निर्मूल है। अब सवाल रह जाता है कि ६० वर्ष की अवधि हो या ६५ वर्ष की अवधि हो। उपाध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि आज हमारे देश में अनएम्प्लायमेंट फैला हुआ है, तमाम देश में बेकारी फैली हुई है और आमतौर से यह बात मानी गयी है कि इसके बाद हम अवधि ऊंची नहीं कर सकते हैं। अब नीचे के जीवन में ही ऐसे आदमी मिलते हैं जिनको अनुभव है, ज्ञान है। तो फिर कोई वजह नहीं है कि उस अवधि को हम बहुत ऊंचा करें। दूसरी बात यह है कि ६० वर्ष की अवधि के बाद साधारणतया लोगों के मानसिक विकास का स्तर इतना ऊंचा नहीं रहता कि उनके अनुभव से हम कोई बहुत अधिक फायदा उठा सकें। यह हो सकता है कि हजार में दो व्यक्ति ऐसे हों जो ६० वर्ष की अवधि के बाद भी काम करने की योग्यता और क्षमता रखते हों लेकिन यह साधारणतया मान्य है कि जो नियम हम बना रहे हैं, वह उस साधारण जनता के लिये बना रहे हैं जो कि हमारे देश में पैदा हो रही है। सारे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश और प्रदेश में देखें तो कितने जवाहरलाल हैं, कितने पंत हैं ? साधारण व्यक्तियों की सीमा को देखें तो मालूम होगा कि ६० वर्ष की जो अवधि है वही माननी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

*श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है मैं समझता हूं यह ऐसा बहुत ज्यादा महत्व का नहीं है कि इस पर कोई बड़ी बहस की जाय। सवाल केवल इतना है कि यह एज लिमिट ६० की रखी जाय या ६५ की हो। वह लास्ट लिमिट क्या हो जिस तक के आदमी रखे जा सकें। गवर्नमेंट के लिये यह आप्शन ६५ की लिमिट रखने पर भी रहता है कि चाहे वह ५५ वर्ष, ५०वर्ष या २५ वर्ष किसी उम्र के आदमी को रखे लेकिन अगर हम यहां ६० वर्ष की लिमिट मान लेते हैं तो गवर्नमेंट को पाबन्दी हो जाती है और फिर हमें अगर कोई योग्य आदमी भी मिलता है तो उसको ६० से ऊपर की उम्र का होगा तो नहीं ला सकेंगे, वह काबिल भी होंगे तो डिबार हो जायेंगे, जब आप ६० को मानते हैं तो ६५ में ही क्या बात है, अगर किसी को सरकार योग्य समझेगी तो उसके लिये आप्शन रहेगा वर्ना वह कम के लोगों को रखेगी ही, इस तरह से अगर कोई एक्सेप्शनल केस होगा तो उसको ६० से ऊपर की आयु में भी लिया जा सकेगा, हम ऐसी जगह एक्सेप्शनल आदमी ही तो लाना चाहते हैं, हमें वहां साधारण जनता को भेजना होता तो इस की जरूरत ही नहीं थी। यह तो केवल एक ५ साल के ड्योढ़ की बात है मुमकिन है कि बाज वक्त हमें इसी एज लिमिट में ठीक आदमी मिले और नीचे ठीक आदमी न मिलें तो यह तो हमारे लिये आप्शन है और सेफ साइड है। हमें सरकार पर विश्वास रखना चाहिये, यह नहीं हो सकता कि ऐसे आदमी रख दिये जायेंगे जिन में काबलियत न हो। इसलिये मैं समझता हूं यह संशोधन महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिये हमें जिस प्रकार बिल में ६५ साल की लिमिट रखी गई है उसे स्वीकार करना चाहिये।

आचार्य जुगल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कुछ भ्रामक बातें हैं जिन को मैं दूर करना चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई भी नियुक्ति की जायगी वह ६५ वर्ष की अवस्था तक जरूर रहेगी बल्कि इसमें इतना है कि गवर्नमेंट को केवल अधिकार होगा कि वह ६५ वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी, नियुक्ति के समय सरकार उसको १ २, ३, या ५ साल के लिये एक शर्त के साथ रख सकती है। सरकार स्वयं इस बात का ख्याल कर के नियुक्ति करेगी कि ज्यादा उम्र की बात न आये, यह बात नहीं है कि ६५ साल की उम्र वाले ही रखे जायेंगे। वैसे सर्विसेज के लिये ५५ साल तक के और जजेज के लिये ६० साल का कायदा है और एक बार अगर कोई सर्विस में पहुंच जाता है तो ५५ या ६० साल तक उसको गवर्नमेंट को रखना पड़ता है लेकिन यहां पर केवल ६५ की लिमिटि रखी जा रही है और नियुक्ति का समय या अवधि तो सरकार ही निर्धारित करेगी। इसलिये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री नवल किशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक यह बात कही गई कि यह संशोधन महत्वपूर्ण नहीं है, इससे तो मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक एक लिमिट रखने की बात है तो कहीं न कहीं तो लिमिट रखनी ही होगी। आप ने ६५ साल रखा है, वह और आगे ७० और ७५ भी हो सकती है, ५ साल ही अधिक आपने क्यों रखे यह सवाल है। हमारे एक साथी ने जो यह बताया कि हमारे देश में अब उम्र बढ़ गई है यह ठीक बात है लेकिन इसके साथ ही साथ अनएम्प्लायमेंट भी बढ़ गया है और उन्होंने यह भी कहा है कि एक्सटेंशन इस बात का सबूत है कि वह व्यक्ति इस काबिल है कि वह काम ज्यादा कर सकता है। लेकिन मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार यह कह दे कि रिटायरमेंट एज बजाय ५५ के ६० होगी। लेकिन रिएम्पलायमेंट की बात जो कही जाती है उसमें बहुत शिकायतें पैदा होती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवल किशोर]

एक मिसाल दी गई सोशल वर्कर्स की कि उनकी उम्र ७०, ८० साल की है। माननीय पंत जी और न जाने कितने लोगों की मिसाल दी गई। पोलिटिकल लाइफ में कोई नियम नहीं है ५५ साल में रिटायर होने का। गवर्नमेंट सर्वेन्ट को भी अधिकार है कि रिटायरमेंट पाने के बाद वह पोलिटिकल फील्ड में आ सकता है और प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन सकता है लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उनके लिये कुछ नियम बना दिये गये हैं। तो हमको उन नियमों को देखना है। या तो यह कहा जाय कि एम्पालायमेंट अपटु डेथ आर टिल फिजिकल इनएबिलिटी"। तब तो ठीक है।

एक बात विभव जी ने बहुत उम्दा बताई "लाइफ बिगिन्स एट सिक्स्टी"। मुझे उनकी बात बहुत पसन्द आयी। मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा आपके द्वारा कि वह गवर्नमेंट को इस बात का एक प्रस्ताव दें कि गवर्नमेंट सर्विस में लोगों को ६० साल की अवस्था से शुरू किया जाय। जब जीवन ६० साल से ही शुरू होता है और उसके नीचे जब जीवन नहीं है। हाई-कोर्ट के जजेज की बात भी आई। हाई कोर्ट के जजेज का तो एक्सेप्शन है। ६५ साल कर दीजिये। मेरी मंशा स्पष्ट थी कि इसमें हाई कोर्ट के जजेज भी होंगे और भी सर्विसेज के लोग होंगे। आमतौर से ५५ साल के अन्दर आदमी रिटायर हो जाता है और ५५ साल के बाद ६५ साल तक एक नया दौर शुरू किया जा रहा है उस में थोड़ी एहतियात बरतने की बात है। जहां तक गवर्नमेंट की बात है कि गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है यह तो मैं भी नहीं कहता कि ऐसी बात है और जितनी उनको श्रद्धा है उतनी ही मुझको भी है लेकिन मैं सिर्फ इतना ही चाहता था कि कोई सीमा होनी चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सीमा ६५ पर होनी चाहिये।

श्री नवलकिशोर—६५ क्या कोई बहुत बड़ा सेंकटिफाइड फीगर है और ६० नहीं है। आप हाई कोर्ट के जजेज की बात करते हैं तो दूसरा संशोधन इसमें कर दें कि वह ६५ वर्ष की उम्र तक काम कर सकें। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और जो और सर्विसेज के आदमी हैं उनको ६० साल तक की सीमा। फिर भी अगर आप नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो अन्त में जो आप की राय है वही ठीक है।

आचार्य जुगलकिशोर—मैंने तो अपनी राय दे दी कि ६५ वर्ष के रखने का कोई अर्थ नहीं है। यह कोई जरूरी नहीं है कि ६५ वर्ष तक ही किसी व्यक्ति को रखेंगे। यह अधिकार दिया गया है कि अगर ६०–६५ वर्ष के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसके योग्य हो तो उसको भी रख सकते हैं, बस इतना ही है।

श्री नवलकिशोर—जैसा कि मंत्री जी कहते हैं कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम ६५ साल तक मौका दें ही तो मैं यह आशा करूंगा कि वह इस बात की कोशिश करेंगे कि ६० साल के बाद लोगों को आगे न बढ़ाया जाय। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड ४ (ङ) के भाग (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "तीन" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "चार" रख दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल—हम इसका विरोध करते हैं, श्रीमन्।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, ४ (ङ) (१) इस प्रकार है—

"अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुये जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, तीन व्यक्तियों की एक समिति संघटित की जायगी,....." वगरह वगैरह।

तो इसमें दूसरी पंक्ति में "तीन" निकाल कर "चार" कर दिया जाय।

इससे आगे दूसरा श्रीमन्, और संशोधन है जो कि खंड ४ के उपखंड (४) ङ के भाग (१) की पंक्ति चार में आपको मिलेगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। क्या एक साथ चार-पांच संशोधनों का चूं चूं का मुरब्बा बना कर रखा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि संशोधन एक ही खंड पर है।

श्री राजनारायण—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर यह उठा रहा हूं कि एक ही खंड में, व्यवस्था यह है कि अगर एक ही खंड में पहली लाइन में संशोधन हो तो पहले उसको ले लिया जाय। और उस पर सम्मति ले ली जाय। फिर दूसरे लाइन में जो संशोधन हो उसको ले लिया जाय इसके बाद जो तीसरी लाइन में संशोधन हो उसको ले लिया जाय। क्योंकि आप के सचिवालय की यह व्यवस्था रही है कि इसी तरह से वह संशोधनों को प्रिंट भी करते रहते हैं अजेंडा में। अब माननीय सदस्य एक नयी व्यवस्था कर रहे हैं। एक ही खंड में अगर विभिन्न अर्थ रखने वाले संशोधन हों, तो एक साथ ही पेश कर दे रहे हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि पहले तो मेरी यह आदत नहीं है, मैं प्वाइंट आफ आर्डर बहुत कम रेज करता हूं। वरना पहले ही आपने सदन का अपमान यह कह करके किया कि यह आपका अमेंडमेंट नहीं है बल्कि अवस्थी जी के कहने पर किया है। अगर आप वैधानिक व्यवस्था देखेंगे तो यह कहना नहीं चाहिये। तो मैं सदन का ज्यादा समय व्यर्थ में प्वाइंट आफ आर्डर उठाकर नष्ट नहीं करना चाहता। अगर वह संशोधन आपने अवस्थी जी के कहने पर किया है तो अवस्थी जी ही पेश कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—दो सदस्य मिल कर दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—मेरा एतराज यह है कि एक संशोधन एक ही . . . .

श्री उपाध्यक्ष—जितने संशोधन होते हैं अगर एक ही खंड में हों तो एक साथ भी दिये जा सकते हैं।

श्री राजनारायण—हमारे पास संशोधनों की कापी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा सुझाव यह होगा कि माननीय बहुगुणा जी पहला सुझाव रख दें और उसी में समझा दें. . . .

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, मैंने जो संशोधन रखा है वह उस सिलसिले में है जो कमेटी बनेगी जिसमें उन लोगों के नाम चुने जायेंगे जो ऐडजुडीकेटर और दूसरे-दूसरे कामों के लिये होंगे। बिल में तीन आदमियों के लिये है जो उस कमेटी के मेम्बर होंगे, एक चीफ सेक्रेटरी, दूसरा हाई कोर्ट का जज और तीसरे लेबर सेक्रेटरी। तो हमने उसमें एक आदमी की और व्यवस्था की है। वह है उत्तर प्रदेशीय सरकार का लीगल रिमेम्बरेंसर। इसलिये हम उसमें ४ की व्यवस्था करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो तीनों को एकदम पेश कर दूं और नहीं तो फिर दूसरे २ संशोधन बाद में पेश करूंगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, तीनों एक ही साथ ले लें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इसी संशोधन के अन्तर्गत दूसरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड ४ के उपखंड ४ (ङ) के भाग (१) की पंक्ति ४ में शब्द 'दो' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।" और, तीसरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड ४ के उपखंड ४ ङ के भाग (१) के अन्त में पूर्ण विराम के स्थान पर अर्ध विराम रख दिया जाय और निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"और तीसरे उत्तर प्रदेश सरकार के लीगल रिमेम्बरेंसर"।

श्रीमन्, इसके पेश करने का कारण यह है कि जितनी भी हमारे यहां के कानूनों की व्यवस्था होती है, जितनी भी हमारे यहां के जजेज और दूसरे लोगों के सिलसिले में सरकार को जानकारी करनी होती है वह सब ला डिपार्टमेंट से की जाती है ऐसी परम्परा रही है। जुडिशियल डिपार्टमेंट हमेशा देखता रहा। इसीलिये मैं समझता हूं कि जुडिशियल डिपार्टमेंट में जो लीगल रिमेम्बरेंसर हों उनसे भी सलाह इसमें ले ली जाय कि जो लोग इस कार्य के लिये नियुक्त किये जाने के लिये हैं, जिनकी सूची बन रही है वह लोग उनकी राय में ठीक है या नहीं। कहा गया कि यह वकील होंगे और इसलिये मुझे कुछ डराने की कोशिश मेरे मित्रों ने की। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि वकील वकालत बन्द करके किसी काम में जुट जाता है तो वह क्या-क्या काम नहीं कर सकता। तो लीगल रिमेम्बरेंसर साहब को लेबर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट तो करना नहीं, वह तो एक कमेटी में बैठेंगे जो समझा सकेंगी कि इस नियुक्ति में कोई ऐसी बात तो नहीं हो रही है जो औचित्य के विरुद्ध हो। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इस संशोधन में चूंकि कोई बड़ी बात नहीं है इसलिये मुझे आशा है भवन इसको स्वीकार करेगा।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं माननीय बहुगुणा जी के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। मैं तो इस समिति के ही निर्माण के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि केन्द्रीय एक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार किसी समिति आदि की व्यवस्था नहीं है। केन्द्रीय एक्ट में तो सीधे ही सीधे बतला दिया गया है कि किस क्वालीफिकेशन के व्यक्ति ट्रिब्यूनल या कोर्ट के मेम्बर हो सकते हैं और उसमें यह भी विधान किया गया है कि अगर कोर्ट इस बात को आवश्यक समझे तो अपनी सहायता के लिये दो असेसरों को रख लेगा। तो केन्द्रीय ऐक्ट के विरुद्ध, या केन्द्रीय ऐक्ट के विपरीत यहां पर यह विधान किया जा रहा है। अब इसमें जो समिति बनायी जा रही है उसमें चीफ सेक्रेटरी महोदय भी यू०पी० गवर्नमेंट के रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी महोदय लीगल रिमेम्बरेंसर की राय जिस समय भी चाहें ले सकते हैं। इसी तरह से लेबर सेक्रेटरी महोदय भी जिस समय चाहें लीगल रिमेम्बरेंसर की राय ले सकते हैं। इसीलिए एक निरर्थक रूप से लीगल रिमेम्बरेंसर को भी इसमें बढ़ाना मैं उचित नहीं समझता। वैसे तो आप चाहें जितनी बड़ी समिति बना लें, सेक्रेटरी जूडिशिल डिपार्टमेंट को भी उसमें रख लें। तो उससे तो कोई काम होने वाला नहीं है। उसमें यह बात ध्यान में रखने की है कि जो सूची बनायी जायगी उसके अध्यक्ष होंगे या रहे होंगे—एक हाईकोर्ट के जज। तो उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी उसको एक इतना विस्तृत रूप देना कि और लोग भी हो जायं, यह कुछ उचित नहीं है। फिर लेबर यूनियन का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता उसको रखने की बात होती तो कुछ ठीक भी होता। आप केवल एक सरकारी अधिकारी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसको मैं उचित नहीं समझता।

श्री जगदीश सरन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बहुगुणा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मुझे हर्ष है कि उन्होंने, किन्हीं भी कारणों से सही, यह आवश्यक समझा कि इस समिति में एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जिसको लीगल रिमेम्बरेंसर कहते हैं और प्रत्यक्ष है कि जो लीगल व्यक्ति होता है उसकी लीगल नालेज रहती है। वह उस प्रोफेशन से आता है जिसमें उसको दृष्टिकोण विशाल रखने का अवसर मिला होता है, जो चीजों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बिशाल दृष्टिकोण से देख सकता है। ऐसे व्यक्ति के इसमें बढ़ने से मैं समझता हूं कि इस समिति की उपयोगिता अवश्य बढ़ सकेगी। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र बहुगुणा जी मुझको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे यदि मैं यह कहूं कि उनके इस संशोधन से मैं सहमत नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दिया इस बात का कि वह चौथे व्यक्ति को इसलिये चाहते हैं कि चूंकि कमेटी को उनसे कानूनी मशविरा मिल सकता है। जब एक हाईकोर्ट का जज उस कमेटी का चेयरमैन है तो मुझे इसका पूरा विश्वास है कि हाईकोर्ट का जज जहां तक कानूनी बातों का ताल्लुक है, वह उनकी पूरी जानकारी रखता है और वह कानूनी जानकारी उसके सम्बन्ध में दे देगा और दूसरी चीज यह कि नम्बर भी आपका चार हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर उनमें कुछ मतभेद हो गया किसी अप्वाइंटमेंट के मामले में और दो-दो आदमी एक-एक तरफ हो गये तो बड़ी दिक्कत हो जायगी। मैं समझता हूं कि ऐसी समितियों में नम्बर तीन, पांच, सात ही ज्यादा अच्छा होता है। लिहाजा मैं यह समझता हूं और एक अन्देशा मुझे और भी है कि लीगल रिमम्बरेंसर जो होगा, यह सही है कि वह ऐडजुडिकेट तो करेगा नहीं मगर ऐडजुडिकेटर्स को छांटेगा। अगर उसने किसी ऐसे आदमी को छांट दिया जो सोशल जस्टिस को मानने वाला न हुआ तो एक बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये यह आपकी जो तीन आदमियों की समिति है वह ज्यादा अच्छी है। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने लेबर यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव की बात कही। लेकिन लेबर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उसको लेबर की काफी जानकारी रहती है। तो मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी जो उनका एक आइडिया है ऐडवोकेट्स की बाबत उसको वह क्यों यहां छोड़ें और बेहतर यही है कि इसको वह वापस ले लें।

*__श्री पद्मनाथ सिंह__—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन आया है वह बिलकुल निरर्थक सा है और उसका रखना बिलकुल आवश्यक नहीं प्रतीत होता है। सरकार की तरफ से अगर कोई संशोधन आये तो उसी समय आना चाहिये जब उसकी अत्यन्त आवश्यकता हो। इस कमेटी में एक और नाम जोड़ देना कोई महत्व नहीं रखता है न किसी कमी को पूरा करता है।

एक दूसरी बात और है लीगल रिमेम्बरेंसर का इस कमेटी में ही नहीं बल्कि किसी कमेटी में रखना उचित प्रतीत नहीं होता है सरकारी दृष्टिकोण से भी और यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इसकी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है और इसको लाना क्यों आवश्यक है। सरकार की तरफ से कोई ऐसा संशोधन रखा जाय कि जिससे कोई सार्थक माने न हों तो वह बेकार है। इसके बेकार होने की एक वजह और है जैसा कि मेरे एक भाई नवलकिशोर जी ने कहा कि इस कमेटी में एक रिटायर्ड जज होगा तो वह लीगल ओपीनियन दे देगा। वैसे कमेटी का सेक्रेटरी भी कानूनी राय दे सकता है। लेकिन एल०आर० का रहना ठीक नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको वापस होना चाहिये। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

*__श्री मदनमोहन उपाध्याय__—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन बहुगुणा जी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका कारण यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि इससे बहुगुणा जी को कोई दुख हो जाय। यह संशोधन तो किसी दूसरे जरिये से रखाया गया है क्योंकि लीगल टेलेंटस से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और वह चाहते भी नहीं है। वह तो लेबर लीडर हैं और लेबर से ही उनका सम्बन्ध है।

दूसरी बात यह है कि जब इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी है तो फिर किसी और सेक्रेटरी की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सब सेक्रेटरीज उसके अंडर में हैं। चाहे वह लेबर सेक्रेटरी हो या जुडीशियल सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी सबको डोमिनेट करता है। क्या लेबर सेक्रेटरी या जुडीशियल सेक्रेटरी की हिम्मत है कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कुछ कह सकें। इसमें चीफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

सेक्रेटरी और हाई कोर्ट के जज ही काफी थे। लेकिन तीन आदमियों को यदि इसमें रख लिया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कमेटी में लेबर सेक्रेटरी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा और हाई-कोर्ट का जज होगा तो लीगल रिमेम्बरेंसर को जोड़ना बेकार है। जिस बात को वह चाहते नहीं हैं और यह उनके सिद्धांत के खिलाफ भी है। अब यह प्रस्ताव उनके द्वारा हो जायगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वह लोग इसको वापस ले लें और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार न करे। उनके बगल में बैठने का कुछ असर हो सकता है, इसलिये मुझे डर लगता है और मैं इसकी मुखालफत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे।

*श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं माननीय बहुगुणा जी के संशोधन का विरोध करता हूं सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं चाहता हूं। कि खंड ४ (ङ) का प्रथम सम्पूर्ण भाग निकाल दिया जाय। मैं इसे क़तई नापसन्द करता हूं कि एक अनावश्यक ढंग से यह कमेटी बने क्योंकि सरकार इस सीधे-सादे कानून को क्यों उलझाना चाहती है। अच्छी सरकार का तो यह काम होता है कि वह कानून के जंगल को साफ़ करे और कानून सीधे-सादे बनें और मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री जी हमारे इस तर्क से सहमत होंगे कि प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास करने वाली सरकार सीधे, सरल और सुगम कानून बनाती है, उसको उलझाती नहीं है।

अब यह भी देखा जाय कि यदि यह क्लाज नहीं रहता है तो इससे क्या बिगाड़ होता है। कोई कोर्ट बने या न बने, श्रम न्यायालय बने या न बने इसकी व्यवस्था की गई है कि कैसे होगा और कौन-कौन होगा। और फिर यह बात समझ में नहीं आती है कि माननीय अवस्थी जी माननीय बहुगुणा जी को यह सलाह क्यों देने लगे कि बहुगुणा जी इस तरह का संशोधन पेश करें। जैसा उन्होंने कहा यदि सत्य होता, मगर कारण प्रतीत नहीं होता है कि बहुगुणा जी ऐसा क्यों करेंगे। अवस्थी जी मजदूरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और उनको राय देना चाहिये थी और अगर वह राय देते तो यही कहते कि मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि लिये जायं। मेरी राय तो यह है कि इसको निकाल दिया जाना चाहिये और यदि सरकार इसको रखना ही आवश्यक समझती है तो जरा क़ायदे से रखें। इस ढंग से रखे जिससे जो सम्बन्धित व्यक्ति हैं उनको न्याय का आभास मिले। अध्यक्ष को राज्य सरकार नियुक्त करेगी यानी सारे का सारा मामला राज्य सरकार के हाथ में सेन्ट्रलाइज करता है। भविष्य में यदि जनतंत्र का इतिहास लिखा जायगा तो वह लेखक इसकी व्याख्या करेगा। जब तक इस प्रकार की चीजों की व्याख्या नहीं होगी तब तक इतिहास की पूर्ति नहीं हो सकती।

खैर, तो एक जज होगा, एक अध्यक्ष हो गया और दो आदमियों की नियुक्ति और होगी। एक मुख्य सचिव रहेगा और एक उत्तर प्रदेशीय सरकार के श्रम विभाग के सचिव होंगे। मेरा कहना यह है कि तीन से ज्यादा तो इस डिपार्टमेंट के सदस्य बढ़ाये न जायं और अगर तीन हों तो उसमें एक जज का रहना आवश्यक ही है, एक अध्यक्ष होगा और इन दोनों में से एक रहे। मेरा मत ज्यादातर मुख्य सचिव के पक्ष में होगा और उसका कारण यह है कि इस समय श्रम विभाग जनरल तरीके से उसका होल ऐटीट्यूड इस प्रकार का बन गया है जो लेबर के अगेंस्ट है। उस विभाग के सचिव को रखना उचित नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यह श्रम विभाग का पोथा है। हमें मालूम है कि केसेज के बारे में कितनी डिले की गई और उसके लिये कौन उत्तरदायी है। जब अवसर आयेगा तो फिर बतलाऊंगा लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि दो-दो साल तक मामले लटका दिये जाते हैं। मैं तो इंडस्ट्रियल अटोनोमी जिसका मैंने हवाला जेनरल डिस्कशन के समय दिया था, का हामी हूं और उसको मैं दुहराना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल मजदूरों से सम्बन्धित जितने मामले हों वहां की जो सब से बड़ी यूनियन हो उसके प्रतिनिधि उसमें होने चाहिये। आज देखा जाय कि व्यवहार में क्या है? जो भी यूनियन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं उनसे बहुगुणा जी, अवस्थी जी संबंधित हैं। वह उन यूनियन्स के नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और श्रम के मामलों को समझते हैं। उनको क्यों न रखा जाय जिससे मजदूरों को इस बात का बोध हो कि जो न्यायाधिकरण संगठन होगा या जो लेबर कोर्ट होगा उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी होगा कि जो मजदूरों के हित की कामना रखे। इसलिये मैं बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन पर मेरा यह परिवर्तन मान लें और इसको स्वीकार कर लें और तीन ही रहने दें। श्रम विभाग के सचिव को हटा कर वहां जिस तरह की इंडस्ट्री हो उसकी जो सब से बड़ी मान्यता प्राप्त यूनियन हो, उसका एक प्रतिनिधि उसमें रखें। उसके लिये क्वालीफिकेशन रख दें कि जो प्रतिनिधि होगा उसकी यह यह क्वालिफिकेशन्स होंगी। यह मैं समझता हूं होना चाहिये।

इसमें यह टर्म लीगल रिमेम्बरेंसर का कैसे आ गया यह सोचने की बात है। यह एक गम्भीर चीज है। आखिर जिस दिमाग से यह बात निकली होगी वह कहां गया होगा? उसको किस नर्क कुंड के कीड़े ने चाटा होगा कि जिसके असर से यह संशोधन निकला क्योंकि लीगल रिमेम्बरेंसर जिस तरह से सरकार के लिये है उसी तरह से हमारे लिये है। उस को हमको सलाह देनी चाहिये। क्या उचित है? क्या अनुचित है? इसको हमको उसे बताना चाहिये। उसको एक कमेटी के सदस्य के रूप में लेकर रखना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं एक मौलिक उलझन है और उससे उद्भूत इस प्रकार का यह संशोधन है। तो मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, मैं सदन का समय बचाने वाले लोगों में से एक हूं और इस लिये बहुगुणा जी से निवेदन करूंगा कि वह भावावेष में न आयें और यहां पर जो सम्मतियां प्रकट की गई हैं उनको देखते हुए अपने संशोधन को वापस ले लें और अगर वह इसको पास ही कराना चाहते हैं तो इसमें इस प्रकार का परिवर्तन और परिमार्जन करें और मेरे संशोधन को उसमें स्वीकार कर लें।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुगुणा जी ने भावावेश में ऐसी बातें कह दी हैं कि जिनके कारण से मुझे इस सदन के सामने खड़ा होना पड़ा है इस सिलसिले में। वास्तव में यह संशोधन क्यों आया इस पर विचार करने की जरूरत है। इस संशोधन को लाने का कारण यह है कि इसी धारा के साथ-साथ अगर धारा ३ को आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि "कोई भी व्यक्ति जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या स्टेट हायर जुडिशल सर्विस या स्टेट जुडिशल सर्विस या स्टेट लेबर सर्विस....."। कहने का मंशा यह है कि जज जो आयेगा, रिटायर हो या उस समय कार्य कर रहा हो वह तो होगा उसका अध्यक्ष। लेबर डिपार्टमेंट का लेबर सेक्रेटरी अपने यहां के लोगों को करवाना चाहेगा। उसके लिये वह अपने यहां के लोगों के करेक्टर रोल अच्छे रखेगा, उनकी तारीफ़ के पुल बांध देगा। दूसरी तरफ आयेंगे चीफ़ सेक्रेटरी। वह एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट पुलिस आदि की तरह के लोगों से उनका संपर्क होगा और वह उनको रखेंगे लेकिन यहां की जुडिशल सर्विसेज को कोई पूछने वाला नहीं है। अभी-अभी आपने देखा कि सभी लोगों ने कहा कि जुडिशल सर्विसेज का इस देश में इतना ऊंचा स्थान है कि हम सब को उसके लिये गर्व है। तो जिन्होंने मेहनत से काम किया, ईमानदारी और समझदारी से काम किया, ऊंचा स्थान प्राप्त किया, क्या उनका प्रतिनिधित्व कहीं न हो? इसलिये हमारी मंशा थी कि जुडिशल सर्विसज के लिये यह जो लीगल रिमेम्बरेंसर हैं यह जुडिशल सेक्रेटरी भी है, उसको रखा जाय और इसलिये हम चाहते हैं कि यह भी रहे ताकि यहां की जुडिशल सर्विस को भी प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो संशोधन बहुगुणा जी ने किया है वह स्वीकार किया जाय और मैं आशा करता हूं कि अब भाई राजनारायण जी को मालूम हो गया होगा कि यह नाम क्यों आया।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल---प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री जी समर्थन करते हैं या स्वीकार करते हैं।

आचार्य जुगलकिशोर---समर्थन करते हुये स्वीकार करता हूं उन्हीं कारणों से जिनका जिक्र माननीय अवस्थी जी ने किया है। जुडिशयरी, ऐडमिनिस्ट्रेटिव और स्टेट लेबर सर्विस के सेक्रेटरीज अपने विभागों के व्यक्तियों के बारे में जो जानकारी रखते हैं, रेकार्ड से और अनुमान से उसके आधार पर एक लिस्ट बनेगी। मैं आशा करता हूं कि अवस्थी जी भी इसे मानेंगे और इस संशोधन से सहमत होंगे।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुगुणा जी के संशोधन में संशोधन रखता हूं। तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा निर्वाचित...

श्री उपाध्यक्ष---यह बहुत देर में है, अब नहीं आ सकता। पहले नोटिस देना चाहिये था। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शिवनारायण---मान्यवर, मैंने दोनों ओर की बातें सुनीं लेकिन मैं इसका विरोध इसलिए करता हूं कि ३ इसमें पहले ठीक हैं। लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की राय से यह कानून बना है। अगर वह समझते कि हमारा रहना जरूरी है उस कमेटी में तो वह रख देते। जैसा हमारे मित्र बहुगुणा जी ने कहा, लीगल आदमी हाई कोर्ट के जज से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकता है जैसा यह बिल आया है वह बिल्कुल ठीक है और अगर आप किसी चौथे को रखना चाहते हैं तो जैसा आप कहते हैं कि मैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाता हूं तो इलेक्टेड मेम्बरों में से गवर्नमेंट किसी को करदे तो अच्छा होगा। चीफ सेक्रेटरी जब इस कमेटी में रहेगा तो वह लीगल, पुलिस सब विभागों का हेड होता है। एक पोलीटिकल आदमी को भी कर दीजिये ताकि विरोधियों को यह कहने की गुंजायश न रहे कि डेमोक्रेटिक नहीं है। एक जनता का चुना हुआ आदमी भी इसमें होना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय अवस्थी जी को सुनने के बाद मेरे कुछ मित्रों ने आवाज लगाई कि मेरा संशोधन स्वीकृत है। मेरे दाहिने हाथ नवलकिशोर जी की आवाज ऐसी थी। एक चाय के प्याले में तो तूफान आया और चला गया। हमारे उपाध्याय जी की राय है कि जहां चीफ सेक्रेटरी हो वहां बाकी लोगों की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी को हमेशा सलाहकारों की जरूरत पड़ती है। चीफ मिनिस्टर को भी कैबिनेट मिनिस्टरों की जरूरत पड़ती है। तो इन बातों पर विचार करके और जो कुछ मेरे मित्र अवस्थी जी ने कहा है उसे मान कर भवन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। अगर ऐसा हो जायगा तो मेरी वह बात भी पूरी हो जायगी जैसी कि मेरी मंशा थी।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड ४-ङ के भाग (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'तीन' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द 'चार' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड ४-ङ के भाग १ की पंक्ति चार में शब्द 'दो' निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द 'तीन' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड ४-ङ के भाग (१) के अन्त में 'पूर्ण विराम' के स्थान पर अर्द्ध विराम रख दिया जाय और निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं।

"और तीसरे उत्तर प्रदेश सरकार के लीगल रिमेंम्बरेन्सर"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नवल किशोर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ङ के भाग (३) की पंक्ति १ में शब्द 'जो' के बाद में "इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अथवा" निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसको पढ़ा जाय तो संशोधन होने के पश्चात् यह इस प्रकार हो जायगा--

"(३) कोई भी व्यक्ति, जो स्टेट हायर जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी समकक्ष सेवा का सदस्य न हो, उपधारा (२) के अधीन निर्मित सूचियों में दर्ज किये जाने का पात्र न होगा।"

मान्यवर, मेरा इस संशोधन को पेश करने का मंशा इस बात से नहीं है कि इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इस कार्य के योग्य नहीं है, उसमें यह कार्यक्षमता नहीं है, ऐसा मेरा अभिप्राय कतई नहीं है लेकिन उससे मेरा अभिप्राय केवल यह है कि हमारे जुडीशियल कोर्ट्स में जो लोग काम करते हैं, हम उन्हीं लोगों को अधिक महत्व दें। जो लोग जुडीशियल सर्विस में हैं उनको श्रम का भी बहुत बड़ा अनुभव होता है। इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और इस देश के बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनमें ऐसे लोगों का बहुत शार्टेज रहता है और हमारे देश को अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटरों की बहुत आवश्यकता रहती है। इसलिये इन सर्विसेज के ऊपर इस तरह का बोझ और डालना उपयुक्त न होगा। इसलिये इन ट्रिब्यूनल्स के अन्दर मेरे ख्याल से उनको घसीटना उचित नहीं है।

एक बात और भी है वह यह कि जो जुडीशियल सर्विसेज में काम करते हैं उनका माइंड एक जुडीशश माइंड हो जाता है और वे उसी माइंड से चीजों को समझने का प्रयत्न करते हैं। ऐक्जीक्यूटिव लाइन में जो आफीसर्स होते हैं उनको एक्जीक्यूटिव काम करना पड़ता है। इसमें सन्देह नहीं कि चीजों को ऐक्जीक्यूट करने की उनमें बड़ी काब्लियत होती है लेकिन जुडीशियल वर्क के लिये माइंड के मेक अप की आवश्यकता होती है वह शायद वहां कम होता है। केवल इसी दृष्टिकोण से मैंने इस संशोधन को पेश किया है। मुझे आशा है कि मेरे इस संशोधन का मेरे भाई बहुगुणा जी समर्थन करेंगे।

*श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन् जो संशोधन सदन के सम्मुख माननीय नवलकिशोर जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि अभी बहुत से संशोधन पड़े हुए हैं। इस तरह से एक-एक संशोधन पर भाषण होने लगे तो मैं समझता हूं कि कल तक भी वे खतम नहीं होंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि थोड़े शब्दों में ही कह दूं। बहुगुणा जी के ही शब्दों में। और वह यह कि वे जजेज को इस काबिल नहीं समझते हैं कि वे ठीक-ठीक फैसला कर सकेंगे। इसी आर्गूमेंट के मुताबिक ये एक्जीक्यूटिव वाले तो चौपट ही कर देंगे यदि उसमें रखे गये। तो मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी जो माननीय मंत्री जी के बगल में बैठे हुए हैं उनको समझावेंगे यदि वहां की हवा उनको न लग गयी हो कि यह चीज बिल्कुल गलत है। वे बिल्कुल इस काबिल नहीं हैं, वे तो कुछ जानते ही नहीं हैं लेबर ला और जुडिशियल ला के बारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ला]

में जब जजेज की समझ में ही कुछ नहीं आवेगा तो फिर ये एक्जीक्यूटिव का काम करने वाले वहां जाकर क्या फैसला करेंगे? वहां का एक्जीक्यूटिव का काम तो है नहीं, वहां तो फैसला देना है। इसलिये मैं समझता हूं कि जो संशोधन प्रस्तुत है उसे माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

आचार्य जुगलकिशोर---इस संशोधन का मुझे खेद के साथ विरोध करना पड़ रहा है। सम्भव है कुछ गलतफहमी हो जिसके कारण यह संशोधन पेश किया गया हो। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वे व्यक्ति जिनका श्रमिक कार्य से परिचय है, ज्ञान है, उन्हीं व्यक्तियों को इसमें रखने का सवाल है। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हर व्यक्ति को जब तक कि उसका लेबर ला के सम्बन्ध में कुछ अनुभव न हो, कोई ज्ञान व तजुर्बा न हो तब तक इस कोर्ट में रखना या वहां उनको बैठने का मौका देना मैं समझता हूं कि गलत होगा लेकिन अगर यह संशोधन मान लिया गया तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऐसे व्यक्ति भी उससे वंचित हो जायेंगे। यदि उनको लेबर ला के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान हो। यदि उनको अनुभव हो, ज्ञान हो, तो फिर क्यों न उनको लिया जाय? इसलिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्तियों के लिये भी इसमें रख दिया गया है। इसके लिये तो एक कमेटी कायम होगी और उसका काम है कि वह जिसको चाहे उसको ले। उसको अधिकार होगा कि जिस व्यक्ति को चाहे चुने। तो यह चीज इस विधेयक में इसी ख्याल से रखी गयी है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ऐसा ही व्यक्ति लिया जायगा जिसको लेबर के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान हो, लेबर ला से पूरा परिचय हो। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि यह बड़ा सीधा-सादा संशोधन है और जहां तक और लोगों के लेने की बात है आप देखेंगे कि इसमें लिखा है, हायर जुडिशियल सर्विस, स्टेट लेबर सर्विस, स्टेट जुडिशियल सर्विस यानी इस तरह से तीन तरह की सर्विसेज के लिये इसमें गुंजायश है। उसके बाद हाई कोर्ट के जज जो कि मौजूदा हैं और वे जो रिटायर हो चुके हैं ६५ वर्ष की अवस्था तक सेवा कर सकते हैं। मैं तो समझता था कि इसमें काफी गुंजायश है अच्छे लोगों के मिलने की, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उन्हीं लोगों को लिया जायगा जिनका सम्बन्ध लेबर ला से हो। मैं समझता था कि स्टेट लेबर सर्विस में हमको काफी अनुभवी आदमी मिलेंगे जिनका कि लेबर के मामले से तालुक रहता है। इसके बाद एक और मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया कि इस सर्विस के लोगों की अन्य सर्विसेज में भी मांग रहती है, उनके लिये बोझ की सीमा भी होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे और अगर नहीं मानते हैं तब मैं इसको वापस तो लेता ही हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ड के भाग (३) की पंक्ति २ में शब्द "अथवा" के बाद के शब्द "स्टेट लेबर सर्विस" के स्थान पर शब्द "दस साल से स्टेट लेबर सर्विस में हो" रख दिये जाय।

यह बहुत सीधा-सादा संशोधन है। मेरा मतलब है कि जो व्यक्ति लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में लिये जायं उनकी एक सेवा अवधि रख दी है कि वही व्यक्ति लिये जायं जिनकी सर्विस १० साल से कम न हो। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायगा, क्योंकि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि यह तो उस कमेटी के उपर रहेगा कि वह किस व्यक्ति को रखे और किस को न रखे। वह जरूर इस बात का विचार करेगी कि जिसको हम स्टेट लेबर सर्विस में से रख रहे हैं उसको तजुर्बा है या नहीं। इसलिये वह तजुर्बेकार व्यक्ति होगा या नहीं या उन्हीं पर छोड़ दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। वह स्वयं देखेंगे कि उस को कितना तजुर्बा है इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४-घ के प्रस्तावित खंड ४-ङ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में से शब्द "अथवा" से लेकर शब्द "समकक्ष सेवा" तक निकाल दिये जांय।

श्री जगदीश सरन---उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले १३-ख-पर मेरा एक संशोधन था वह पहले आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---वह बाद में लिया जायेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अभी हमारे मित्र श्री नवल किशोर जी जब अपना संशोधन "इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अथवा" को निकालने का पेश कर रहे थे तो उन्होंने इशारा किया था कि मैं उनके उस संशोधन को स्वीकार करूं। मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा लेकिन उसको सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसका एक कारण यह भी था कि उन्होंने उस संशोधन में केवल इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को ही निकालने का प्रस्ताव किया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल---प्वांइट आफ आर्डर, जिस संशोधन पर बहस हो चुकी और वह खत्म हो चुका उसी का जबाब क्या अब दिया जा सकता है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---जी हां, वह हमेशा हो सकता है, यह उसी सिलसिले में कह रहा हूं। इस खंड ४-ङ के (३) में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, जो इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अथवा स्टेट हायर जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट लेबर सर्विस अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी समकक्ष सेवा का सदस्य न हो, मैं इसमें से यह निकाल देना चाहता हूं कि "अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य किसी समकक्ष" इस से सरकार वाइड पावर लेना चाहती है और कल कहा जा सकता है कि नायब तहसीलदार भी इस सेवा में आने के काबिल है तो वह भी लिये जा सकेंगे। इसलिये मैंने यह महसूस किया कि इतनी वाइड पावर सरकार को लेने की आवश्यकता नहीं है और न इसको मानने से कोई अन्तर पड़ता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

आचार्य जुगलकिशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि ४-घ के प्रस्तावित खंड ४-ङ के उपखंड (३) की पंक्ति ३ में से शब्द "अथवा" से ले कर शब्द "समकक्ष सेवा" तक निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री जगदीश सरन---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४--ङ के भाग (३) में शब्द "सदस्य" के बाद निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

"ऐसा एडवोकेट जो कम से कम १० वर्ष प्रैक्टिस कर चुका हो और जो अन्यथा स्टेट जुडीशियल सर्विस के लिये नियुक्त किये जाने के योग्य"।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विवाद आज पहले इस सदन में हुआ और स्वयं माननीय मंत्री जी ने उत्तर एक दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में दिया उसमें यही सिद्धान्त था जिससे प्रोत्साहित हो कर मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं। मैंने यह समझा कि जहां तक इस माननीय सदन का सम्बन्ध है इसके सभी माननीय सदस्यों ने एक-बहुत बड़ी संख्या में इस बात को माना कि इस वर्ग का होना उचित हो सकता है। स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि सिद्धान्तः वह इसका विरोध नहीं करते हैं लेकिन कदाचित कुछ कठिनाई उनको इसमें है . . . .

श्री ब्रजभूषण मिश्र---प्वांइट आफ आर्डर, सर। अभी जो संशोधन स्वीकार हुआ है "अथवा राज्य सरकार द्वारा घोषित किसी समकक्ष सेवा का सदस्य न हो" इसके बाद आगे इस संशोधन का लाना निरर्थक है। जब सदस्य ही नहीं रहा तो कैसे यह इसमें फिट इन हो सकता है और कैसे यह संशोधन लाया जा सकता है।

श्री नवल किशोर---जो संशोधन पास हो चुका है उसमें यह है कि कोई दूसरी गवर्नमेंट सर्विस के लोग नहीं लिये जायेंगे यह कोई प्वांइट आफ आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री जगदीश सरन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया ही है कि इस प्रकार के लोगों को इसमें रखने से लाभ हो सकता है। लेकिन कदाचित कठिनाई यह मालूम होती थी ४--क के अन्तर्गत प्रेसाइडिंग आफिसर का प्रश्न था लेकिन यहां पर सारी अनुसूची का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने एक आपत्ति यह बताई कि अगर हम ऐसी कोई कंडीशन रक्खें तब उसमें शायद यह भी दिक्कत पड़ सकेगी कि हम ऐसे एडवोकेट्स को कैसे प्राप्त कर सकें। इसलिये मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कठिनाई का तो मसला ही नहीं रहता जब कि अपर जुडीशियल सर्विस के लिये एक निश्चित योग्यता निर्धारित है दस वर्ष की जिसकी प्रैक्टिस होती है वह अपर जुडीशियल सर्विस के लिये लेजिबिल होता है। जिस तरह आज इस में स्टेट जुडीशियल सर्विस के लिये स्थान रख दिया गया वैसे ही जो स्टेट जुडीशियल सर्विस के लिये लेजिबिल हो उसे भी रक्खा जा सकता है। सभी प्रगतिशील लोगों ने इसका समर्थन किया है कि हाई कोर्ट के जजेज में भी एडवोकेट्स में से ही लिये जायं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या जुडीशियल सर्विस में से न लेकर क्यों कि वे ज्यादा लाभ कर हो सकते हैं और न्याय के संचालन में ज्यादा सहायक हो सकते हैं। जब इस तरह की मांग है, जब इस बात का समर्थन चारों तरफ हो रहा है तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह सादर निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा संशोधन स्वीकार न करके सदन के जो चारों तरफ स्वीकृत मांग है उस के प्रति कोई आदर प्रकट नहीं कर सकेगा। माननीय मंत्री जी जिस कठिनाई का उस जगह कदाचित अनुभव करते थे इस जगह उस कठिनाई का अनुभव न करते हों तो मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जगदीश नारायण जी ने जो मेरा मतलब था वह गलत समझा। मैंने इसका विरोध इसलिये नहीं किया था कि मैं उस संशोधन को फिट इन नहीं समझता था। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं इस कारण उस संशोधन को स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने जो दलीलें दी थी वह यही थीं कि हम क्षेत्र को नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बढ़ाना चाहते । इसके लिये भी हम ज्यादा क्षेत्र नहीं बढ़ाना चाहते । क्या उस का रेकार्ड रहा है और क्या उसका रिकार्ड नहीं रहा है इसका सवाल नहीं है । स्टेट जुडीशियल सर्विस और हायर स्टेट जुडीशियल सर्विस दोनों ही सर्विसेज जो हैं उनमें वही व्यक्ति होंगे जो या तो वकील रहे हों या कमीशन के जरिये से आये हों । तो वकीलों का प्रश्न नहीं है इसको स्वीकार करने में बल्कि हमारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से हम क्षेत्र न बढ़ाकर सीमित रखना चाहते हैं उन व्यक्तियों में । इसीलिये मैंने उसका भी विरोध किया था और अब भी करता हूं । मैं आशा करता हूं कि वह इस को वापस ले लेंगे ।

श्री जगदीश सरन--जब माननीय मंत्री जी अब भी वही सम्मति रखते हैं तो वापस लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ङ की उपधारा (३) की पंक्ति ३ के अन्त में शब्द "या न रहा हो", बढ़ा दिये जायं ।

सदन ने यह निश्चय कर लिया है कि अब वह रखेंगे जो इंडियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होंगे या स्टेट हायर जुडीशियल सर्विस के लोग होंगे या स्टेट जुडीशियल सर्विस के लोग होंगे या स्टेट लेबर सर्विस के लोग होंगे । जब यह निश्चय हो गया तो आवश्यकता यह रह जाती है कि जो सदस्य इस समय हों या रहे हों ऐसे लोगों को रखा जाय । इसलिये मैं सिर्फ इतना बढ़ाना चाहता हूं "या न रहे हों" ऐसे आदमियों को न रखा जाय ।

आचार्य जुगलकिशोर--मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४ -ङ की उपधारा (३) की पंक्ति ३ के अन्त में शब्द "या न रहा हो" बढा दिये जायं :

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ङ के भाग (३) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय ।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि भाग (३) के अनुसार बनायी गयी सूची के व्यक्तियों का वेतन और सम्मान एक समान होगा" ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं कह यह रहा हूं कि आप जो कोर्ट बनायेंगे, जो सूची तैयार करेंगे, जो और तरह की सर्विसेज के लोग होंगे उन के साथ-साथ आप चाहते हैं कि स्टेट लेबर सर्विस के लोग भी होंगे, जो स्टेट लेबर सर्विस में पुराने लोग होंगे, कंसीलिएशन आफिसर्स जिनका वेतन ढाई सौ से साढ़े आठ सौ तक होता है । आप उनको लाकर हाई कोर्ट जज के बराबर रख देंगे और उनका वही स्तर होगा जो हाई कोर्ट के जज का होगा । मैं मानता हूं कि पैसे से किसी आदमी को नहीं नापा जाता है उस समय जब कि आनरेरी हो । लेकिन जब वेतन पाता है तो आवश्यकता होती है कि उसका वेतन और सम्मान उसी तरह का हो जिस तरह से उस के और साथी लोग हों । इसलिये बड़ा साधारण सा संशोधन है । मेरा खयाल है कि श्रम मंत्री जी स्वीकार कर ही लेंगे । उन्हीं के आदमियों की बढ़ोत्तरी है ।

आचार्य जुगलकिशोर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को स्वीकार करने में जरा दिक्कत हो जायेगी क्योंकि सर्विस में जो ग्रेड होता है उसके मुताबिक पाते हैं । अगर वह इस लिस्ट में आते हैं और नियुक्त किये जाते हैं तो वह उसी पे के अधिकारी होते हैं । इसलिये इस बात की कोशिश तो की जायेगी कि जहां तक हो सकता हो जो ऐसे व्यक्ति हों

[आचार्य जुगल किशोर]

जो सर्विस में न हों उन को लिया जाय। तो वेतन बराबर ही दिया जाय लेकिन कोई नियम-बद्ध होकर न रखा जाय। इसलिये मेरा सुझाव और निवेदन है कि वह इस को वापस ले लेंगे। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक कोशिश होगी जो सर्विस में नहीं रहेंगे उनके वेतन में समानता रखने की कोशिश की जायेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का समर्थन करता हूं और वह इस लिये कि जैसे आप कहते हैं कि एक ही वेतन पाने वाले आदमियों की लिस्ट बनायी जायगी। तो मैं कहता हूं कि लिस्ट बन ही नहीं सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि अवस्थी जी इसको समझें और वापस ले लें। लिस्ट ही नहीं बन सकेगी। वह कहते हैं कि एक ही समान वेतन वालों की लिस्ट हो। अगर एक रुपया ज्यादा हो गया तो हटा दिया जायेगा। जो चार सौ रुपये पाते हों उसकी लिस्ट बने अगर एक रुपया ज्यादा पाता हो तो उस लिस्ट में आ ही नहीं सकता। शायद भूल कर उन्होंने यह संशोधन रख दिया है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री ने इसका विरोध किया वह तो समझ में आया। लेकिन समाजवादी नेता ने जो सबका स्तर एक रखने के हामी हैं, उन्होंने विरोध किया तो मुझे आश्चर्य है। मैं अपने समाजवादी नेता को बताना चाहता हूं कि ग्रेड होता है, एक रुपये का सवाल नहीं होता। किसी का ग्रेड होता है २५०--४५०, किसी का ५००--१२०० किसी का ७००--१४०० रु० तो ७०० के ग्रेड का अगर ७१० पा रहा रहा है तो वह १२०० वाले के साथ कैसे बैठे। यह चीज नहीं देखी जाती। देखा जाता है वेतन क्रम। एक की वेतन क्रम में कोई ज्यादा पाता है कोई कम, लेकिन वह माने बराबर एक ही ग्रेड के जायेंगे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि इस सर्विस में जो लोग आवें उनका एक वेतन क्रम हो और उस वेतन-क्रम के अन्दर उन लोगों को लिया जाय। माननीय श्रम मंत्री जी उसको माने ले रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं। अब चूंकि मंत्री जी विश्वास दिला रहे हैं कि वेतन क्रम उन लोगों का एक सा रखने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४--ञ के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं :

"इस धारा के अधीन दी गई मुक्ति (exemption) का प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों के समक्ष रखा जाय।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो इस ४--ञ में यह अधिकार सरकार लेना चाहती है कि:---

"जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं (establishment) के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४--म के उपबन्धों के लागू होने से, तत्सम्बन्धित मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कि सम्बद्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, आदेश दे सकती है कि इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जायं।

तो इसमें अन्त में सार्वजनिक हित जो यह एक शब्द जोड़ दिया गया है असली उद्देश्य को कुछ छिपाने और दबाने के लिये या उसको कुछ ज्यादा शुगर कोटेड बिल बनाने के लिये लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो सरकार को उस उद्योग

को मुक्त करने का अधिकार रहे। जिस उद्देश्य से यह इतना बड़ा औद्योगिक झगड़ा विधेयक लाया गया है। यह जो झगड़ा खड़ा किया गया है उससे वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, जब यह अधिकार सरकार ले लेती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

एक तो वैसे ही अधिकार स्वयं अपने में अच्छा नहीं होता। अधिकारों के बारे में लार्ड ऐक्टन ने कहा है कि "पावर करप्ट्स ऐंड ऐबसोल्यूट पावर करप्ट्स ऐबसोल्यूटली"। सत्ता और अधिकार भ्रष्ट करते हैं और जिसको पूर्ण सत्ता, अनियंत्रित सत्ता सौंप दी जावे उसका तो पूर्ण पतन हो जाता है। तो सरकार के हित में भी आवश्यक है कि इस प्रकार के अनियंत्रित अधिकार वह न ले। लार्ड ऐक्टन की बात तो बाहर की है। यहां हमारे देश में सन्त विनोबा भी यह कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर यह जो षड्रिपु हैं उनसे बड़ा रिपु मानव का यह सत्ता का मोह है क्योंकि यह सार्वजनिक है और इसके जरिये से जनता को बहुत भारी हानि पहुंचायी जा सकती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि उस पर अंकुश रखने के उद्देश्य से यह शब्द रख दिये जायं। जैसा कि मैंने बताया अगर अधिकार अनिवार्यतः आवश्यक हों अंग्रेजी में जिसे नेसेसरी इविल कहते हैं। आवश्यक या अनिवार्य बुराई हो तो ले भी लिया जाय, लेकिन उस पर कुछ अंकुश अवश्य होना चाहिये। वह अनियंत्रित नहीं होना चाहिये। ऐसा अनियंत्रित अधिकार सरकार के हाथ में देना बहुत ही अनुचित होगा। जिसे अंग्रेजी में टेंटिलाइजिंग कहते हैं वह हो जायगा। एक कहावत अंग्रेजी में यह भी है कि डोन्ट टेम्प्ट दी डेविल। यानी किसी के मार्ग में भी प्रलोभन मत डालिये जिससे कि परिस्थितियों से विवश होकर के वह उन प्रलोभनों का शिकार हो जाय और उनका दुरुपयोग करे। इसी उद्देश्य से इसाइयों के यहां एक प्रार्थना है—टेम्प्ट मी नाट, लीड मी नाट अनटू टेम्प्टेशन। तो यह सब जो प्रलोभन दिया गया है उसका दुरुपयोग होने की पूरी आशंका है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम यह अंकुश अवश्य लगा दिया जाय। यह परिस्थिति भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल स्पष्ट है और वह परिस्थिति यह है कि आम चुनाव सामने आ रहे हैं और आम चुनाव के समय इस प्रकार का अधिकार इस सरकार को देना जैसा मैंने कहा उसको टेम्प्ट करना है अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए। सरकार और हर पार्टी को चुनावों के लिये फंड की, रुपये की आवश्यकता होती है....

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आम चुनाव के समय इन परिस्थितियों में ऐसे अधिकारों को सरकार के हाथ में देना और भी अनुचित है।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर कम से कम, अंकुश रहे। हम यह देख सकते हैं कि अगर मुक्त करने का अधिकार दे दिया जायगा तो चुनावों में उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता और अपने लाभ के लिये उस प्रभाव से काम किया जा सकता है। हम लोग यह देखते हैं कि वैसे ही उद्योगपति तरह-तरह से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से शासन को प्रभावित करने की सत्ता को अपने कहने के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं और जब ऐसे अधिकार सरकार के हाथ में हो जायेंगे तो उनका क्षेत्र और भी अधिक बढ़ जाता है।

मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि जिस सिद्धांत के आधार पर सरकार ने यह आदेश निकाला है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिलाधीश किसी गैर सरकारी सदस्य के यहां दावत नहीं खायेगा या डाली नहीं लेगा तो इसका आधार क्या है? इसका आधार

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

यही है कि सरकार यह मानकर चलती है और सरकार ने यह सोचकर इसीलिये निकाला है कि कोई भी आदमी इस तरह की चीज से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकता। तो फिर समझ में नहीं आता है कि जो सरकार इस तरह के आदेश निकालती है सरकारी कर्मचारियों के लिये वही अपने हाथ में इस तरह के अधिकार लेती है और उनको ओब्लाइज करने के लिये लेती है। क्या सरकार यह कहना चाहती है कि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि सरकार के अधिकारी प्रभावित हो जायेंगे लेकिन मंत्रिमंडल प्रभावित नहीं होगा या सत्ताधारी पार्टी का कोई सदस्य प्रभावित नहीं होगा। मैं यहां पर सत्ताधारी पार्टी कह रहा हूं। किसी पार्टी विशेष से कहने का मेरा सम्बन्ध नहीं है फिर चाहे वह पार्टी किसी दल की हो और कभी भी हो। मैं तो सिद्धांत की बात कहता हूं कि यह नहीं माना जा सकता है कि वह प्रभावित नहीं होगा। किसी आधार पर हम यह नहीं मान सकते हैं कि सरकारी अधिकारी ह्यूमन बीइंग्स हैं और वह दावत वगैरह खाने से तथा डांसी इत्यादि होने से प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन जब कोई मिनिस्टर हो जाता है तो वह इतना सुपर ह्यूमन हो जाता है कि वह दावत खा ले, चन्दा ले ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वह प्रभावित नहीं हो सकता। ऐसे जल कमलवत मानव समाज में मिलते नहीं हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आवश्यक समझता हूं कि ये शब्द रख दिये जायं और जो अंकुश मैंने लगाया है, उसकी भी आवश्यकता है कि ऊपर से वह अंकुश रहे। स्वयं सरकार ने इसी विधेयक में यह अंकुश धारा १५ (२) में लगाया है। वह इस प्रकार है कि:—

"१५ (२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।"

जब इस विधेयक की धारा १५ (२) में सरकार स्वयं आवश्यक समझती है कि यह अंकुश रहे और सरकार इसको सदन के सामने रखे। अगर सदन समझता है कि कोई ऐसी बात कही गई जो आलोचना के योग्य है तो वह उसकी देखभाल कर सके और संशोधन की बात कर सके और सरकार की आलोचना कर सके और सरकार से जवाब तलब कर सके। तब इस अधिकार के सम्बन्ध में सदन को यह अधिकार रहना चाहिये, इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? इसलिये मैं यह समझता हूं कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिये कि यह अंकुश रहना चाहिये। इसमें कोई हानि की बात नहीं है। जो कुछ वह करे उसको सदन के सामने रखा जाय तो फिर उसे डरने का कोई कारण नहीं है। उसे किसी अफसर से किसी बात को छिपाना नहीं है। उसे कुलिया में गुड़ नहीं फोड़ना चाहिये। सदन के सामने रखने से कोई हानि नहीं होगी। मुझे आशा है कि जो मेरा प्रस्ताव है उसको सरकार स्वीकार कर लेगी

(श्री अध्यक्ष ने श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा का नाम पुकारा।)

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं एक संशोधन देना चाहता था। इसके बाद बहुगुणा जी बोल लें।

श्री अध्यक्ष—वह पहले बोल लें। इसके बाद आप अपना संशोधन दे दीजिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो अपना संशोधन दिया था वह तो केवल इतना ही था कि जो शक्ति सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है उसको जब वह इस्तेमाल करे तो सदन को अवगत करा दे, सदन को सूचित कर दे। और उनका दूसरा संशोधन यह है कि सरकार को मुक्त करने का मौका मिला हुआ है। पालीवाल जी ने शायद दोनों को मिला दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपना एक ही संशोधन प्रस्तुत किया है और यह समझ कर किया है कि यदि मेरा वह संशोधन स्वीकार हो जाता है

तो मैं दूसरे संशोधन को प्रस्तुत नहीं करूंगा। यदि मेरा यह संशोधन स्वीकृत नहीं होता है तो मुझे अपना दूसरा संशोधन पेश करना पड़ेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--जहां तक सवाल है वह यह है कि वह इस शक्ति को सरकार के पास रहना दोषपूर्ण मानते हैं और उसके ऊपर एक अंकुश रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सवा छै करोड़ जनता के द्वारा चुने हुये विधान सभा के माननीय सदस्य हैं, उनके सामने आने से यह प्रश्न हल नहीं होगा, क्योंकि सरकार किसी कोने में यह काम करने नहीं जा रही है। अगर पूरा क्लाज पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि जब सरकार इस शक्ति का प्रयोग करेगी तो वह उसे हुक्म से या आज्ञा से प्रयोग करेगी और फिर वह गजट में प्रकाशित होगी। तो गजट तो सब माननीय सदस्यों की सेवा में जाता है इस भवन के बाहर भी सब के पास पहुंचता है। तो मेरे ख्याल में अगर कोने में शरारत करने की नीयत होती तो कभी भी सरकार अपने ऊपर इस तरह की बन्दिश खुद नहीं लगाती कि जब भी वह इस शक्ति का प्रयोग करेगी उसकी विज्ञप्ति गजट में कर देगी। तो पालीवाल जी का डर खत्म हो जाता है।

दूसरी बातें जो उन्होंने कहीं उनको सुन कर मुझे अफसोस हुआ। एक तो यह कि सत्ताधारी लोग जब पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं तो वह बुरा हो जाता है लेकिन जब दूसरे लोग लेते हैं सत्ता में आने के लिये तब वह जरा कुछ अच्छा हो जाता है। इस बहस में जाना न चाहते हुये भी यह कहता हूं कि इस देश में जितने भी दल हैं...

श्री अध्यक्ष--यह न कहा जाय तो उचित है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, पालीवाल जी ने इस प्रश्न को उठाया था तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। रुपये लेने देने का प्रश्न तो उन्होंने उठाया था। अगर आज्ञा न हो तो जवाब न दूं।

श्री अध्यक्ष--है तो असंगत ही।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--असंगत तो है लेकिन उन्होंने कहा था इसलिये कह रहा हूं। इसमें किसी को भी शर्म नहीं आनी चाहिये कि पैसा कहां से आता है। पैसा किस काम में लगता है और उसका क्या असर पड़ता है यह देखने वाला है। इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये कांग्रेस ने जो कदम उठाये हैं वह निश्चय ही पूंजीवादी लोग समझते हैं और उसके बावजूद भी पैसा देगा इसलिये कि एक क्लाज की परेशानी से मुक्त हो जायेंगे जिसके लिये वह २१ दिन का नोटिस भी दे सकते हैं। तो ऐसी बातों से मुक्त होने के लिये कौन रिश्वत दे देगा? यह बात समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह का भ्रम माननीय पालीवाल जी जैसे परिपक्व राजनीतिज्ञ जिन्होंने कभी इस प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस दल में रह कर बड़ा काम किया है और वह कभी इस प्रदेश के चलाने वालों में रहे हैं उनके दिमाग में ऐसी छोटी बातें न आवें तो हमारे लिये सौभाग्य की बात होगी। इन शब्दों के साथ उन्होंने जो संशोधन दिया है वह मेरे विचार से उन्होंने जो कसौटी रखी है उस पर पूरा नहीं उतरता है इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जब गजट में विज्ञप्ति करने की बात है तो पालीवाल जी अपने संशोधन को निश्चय ही वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप संक्षेप में कहें तो अच्छा है नहीं तो कल तक सब संशोधन सदन में उपस्थित न हो सकेंगे।

*श्री राजनारायण---वह तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी गिलोटिन के लाने से ही उनका काम चलेगा जिसका हमें विरोध करना ही पड़ेगा।

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि पालीवाल जी के संशोधन में शब्द "आदेश" के आगे तथा "राज्य विधान सभा" के पूर्व निम्नांकित जोड़ दिया जाय---

"आवश्यक संशोधन तथा परिवर्द्धन करने के लिये आदेश लागू होने के पूर्व" तथा शब्द "दोनों सदनों के" निकाल दिये जायं।

यदि आप आज्ञा दें तो मैं उनसे निवेदन करूं कि यह राज्य विधान सभा के समक्ष ही रखा जाय। केवल इतना ही रहे तो काम चल जायगा और शब्द "दोनों सदनों के" इसमें से निकाल दिया जाय। दोनों सदनों के स्थान पर केवल "राज्य विधान सभा" रहे यह मेरा दूसरा संशोधन होगा।

मैं समझता हूं कि इस तरह से पालीवाल जी के भाव की पूर्ति मेरे यह संशोधन करेंगे क्योंकि माननीय पालीवाल जी चाहते हैं कि जो एक्जेम्प्ट करने का अधिकार सरकार को है, उस सम्बन्ध में आदेश सदन के सामने रखा जाय। अब, श्रीमन्, आप देखें इस शब्द "मुक्ति" को। यह बहुत पुराना शब्द है। हमारे देश से बहुत संबंधित है और इसमें सरकार को मुक्ति-पत्र जारी करने का अधिकार दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको बदल दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---कालिदास ने और अर्थ में भी इसका उपयोग किया है इसलिये कोई आक्षेप की बात नहीं है।

श्री राजनारायण---तो यह सरकार मुक्ति-पत्र देने जा रही है कुछ औद्योगिक संस्थाओं को। अगर सम्मानित सदस्य इस पूरे क्लाज को पढ़ेंगे तो उसका अर्थ यह आयेगा कि राज्य सरकार जिस उद्योग-धंधे से संबंधित, जिस झगड़े के बारे में जो भी अंतिम निर्णय ले ले उसी के मुताबिक काम हो जाय और अगर वह देखे, मैं इसको पढ़ दूं। यह इस प्रकार है :---

"जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४--झ के उपबन्धों के लागू होने से, तत्सम्बन्धित मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका कि सम्बद्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता हो और साथ ही सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, आदेश दे सकती है कि उक्त धारा के उपबन्ध औद्योगिक संस्थाओं के उस वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के उस वर्ग पर लागू न होंगे अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कर दिये जायं।"

तो श्रीमन्, आप देखें कि अगर मजदूरों के हित के प्रतिकूल पड़ता हो तो सारी बात इसमें नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि "तत्सम्बन्धी मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े"। इसमें साफ लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे बहुगुणा जी ने सिर हिला दिया मेरे संशोधन पर। हम देखते हैं, श्रीमन्, कि जितने सरकारी आदेश हुए हैं आज तक उनसे कितना मजदूरों का अहित हुआ है और उनसे मजदूरों को बचाना है या नहीं। मैंने इसके पूर्व ही इसीलिये निवेदन कर दिया था कि मैंने यह देखा है और एक पूरी लिस्ट मैंने बना रखी है कि कंसीलियेशन बोर्ड ने जितने मामले सरकार के पास भेजे उनका दो-दो साल तक जवाब नहीं आया। क्योंकि सरकार को ही अंतिम अधिकार है कि वह जिसको चाहे उसको आगे भेजे और जिसको चाहे न भेजे। तो, श्रीमन्, दो-दो साल हो गये हैं और यह जो लेबर कमिश्नर साहब हैं उनके यहां से यह सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक नहीं दी गई कि यह मामला भेजा गया या नहीं। मुझसे ज्यादा बहुगुणा जी जानते होंगे। सेंट्रल ऐक्ट में लिखा हुआ है कि अगर किसी मामले को सरकार नहीं भेजना चाहती तो सरकार उसका उचित कारण देगी। मगर, श्रीमन्, मुझे आज एक फार्म मिला है जो कि बिल्कुल छाप लिया गया है और उसमें स्थायी रूप से लेबर कमिश्नर साहब की तरफ से लिख दिया जाता है कि--

"The applicant is hereby informed that after careful consideration of the matter the Government consider it enexpedient to refer the matter to adjudication as no case has been made out for such a reference. The case has, therefore, been filed."

यह एक कापी है जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर...

श्री अध्यक्ष--यह प्रति आपको मेरे पास भेजनी चाहिये।

श्री राजनारायण-- मैं भेजता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। जो भाषण दिया जा रहा है उसका सम्बन्ध इस संशोधन से नहीं है। संशोधन किन्हीं खास नौकरी की शर्तों को बदलने के सिलसिले में २१ दिन का नोटिस मालिक को देने का अधिकार उठाने के सिलसिले में है। यह उठाया जाय या न उठाया जाय? पालीवाल जी का विचार है कि न उठाया जाय। तो इसमें सरकार के और किसी आर्डर की बहस करना असंगत है।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने रेफरेंस इसलिये दिया कि ये आर्डर जो हो जाते हैं वे कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं जो ठीक नहीं हैं। उसका एक नमूना सिर्फ वह पेश कर रहे हैं। वे बारबार अगर उदाहरण पेश करेंगे तो मैं उन्हें रोक दूंगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--वह असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का है, गवर्नमेंट का नहीं है।

श्री राजनारायण--मैं समझता हूं कि माननीय बहुगुणा जी के भ्रम का माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था से निराकरण हो गया होगा। पूरी लिस्ट हमारे पास है, उसे मैं बाद में दूंगा। अगर यहां पर मौका नहीं मिल पायेगा तो मैं उसे सरकार के पास भेज दूंगा कि २-२ वर्ष तक मामले की सूचना क्यों नहीं दी गई। इस पूंजीशाही व्यवस्था में श्रम और सरकार का अविच्छिन्न संबंध हो गया है। एक के स्वार्थ में दूसरे का अस्वार्थ सन्निहित है। अगर मिल मालिक का स्वार्थ ज्यादा है तो मजदूर के हित का कुठाराघात जरूर होगा। माननीय बहुगुणा जी इसे समझते होंगे। मैं इस पर आ रहा हूं कि जहां मालिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की व्यवस्था होगी उसे सरकार रोक सकती है। अगर ऐसे संशोधन के साथ आदेश को लागू करा सकते हैं जिसे सरकार उचित समझे तो पालीवाल जी के कथन से माननीय बहुगुणा जी को रोष नहीं होना चाहिये और उनके दिल में कोई ठेस भी नहीं होनी चाहिये। "coming events cast their shadows before" आगे आने वाली घटनायें अपनी छाया फेंकती हैं। अब सारे अखबार और कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन भी चिल्ला रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--यह असंगत है।

श्री राजनारायण--मैं केवल यह कह रहा हूं कि सरकार के हाथ में इस समय इतना बड़ा अधिकार नहीं रहना चाहिये कि वह जो भी चाहे स्याह या सफेद कर दे। यह सरकार के लिये भी अशोभनीय है और यह नहीं होना चाहिये कि सरकार किसी भी संशोधन विधेयक के जरिये अपने हाथ में सब अधिकार ले ले। किसी भी नुक्तेनजर से देखा जाय, यह बात अनुचित होगी। इसलिये मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता

[श्री राजनारायण]

हूं कि माननीय पालीवाल जी के संशोधन को माना जाय। इसमें सरकार आदेश दे देगी और वे कार्यान्वित हो जावेंगे और उसकी सूचना यहां दे देगी। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार के आदेश के कार्यान्वित होने के पूर्व विधान सभा में वह आवे। यहां के सम्मानित सदस्यों की प्रतिक्रिया उस पर जानी जाय और जो संशोधन हम लोग देना चाहें दें। सरकार का बहुमत है, वह चाहे तो हमारे सुझाव को न माने। सब के मत यहां प्रकट हो जायेंगे और जनमत जैसा बन जायेगा, बन जायगा। जब ऐसा अधिकार सरकार ले रही है तो इस अधिकार को एक मर्यादा में हम बांधें और इस अधिकार को नियंत्रित करने के लिये ही मैंने पालीवाल जी के संशोधन में संशोधन पेश किया है कि आदेश लागू होने के पूर्व आवश्यक संशोधन तथा परिवर्द्धन करने के लिये विधान सभा के समक्ष रक्खा जाय। दूसरा संशोधन हम यह कर रहे हैं कि श्री पालीवाल जी ने जो रक्खा है उससे मालूम होता है कि उनका मतलब विधान मंडल के दोनों सदनों से है। इसलिये हमने रक्खा है कि विधान सभा के समक्ष रक्खा जाय क्योंकि वह ही सारी जनता के भावों को व्यक्त कर देगी। इसलिये हमने यह संशोधन रक्खे हैं।

*श्री देवकीनन्दन विभव--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इस संशोधन पर बोलने का नहीं था लेकिन अभी माननीय राजनारायण जी ने एक बात कही, मैं समझता हूं कि उसका उत्तर देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों का जो हित है वह मालिकों का हित होगा और मालिकों का जो अहित होगा वह श्रमिकों का हित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता और विशेष तौर से हम जिस विचारधारा से सोचने के आदी हो गये हैं वह हमारे पूज्य महात्मा गांधी की विचारधारा है। उस विचारधारा में हमने इस प्रवृत्ति को कभी उत्साहित नहीं किया। हमारा ख्याल यह है कि आज भी जब इस देश में औद्योगीकरण की आवश्यकता है, जबकि इस देश में इस बात की आवश्यकता है कि इसकी बढ़ती हुई आबादी के लिये और बेकारी तथा अर्द्ध बेकारी को रोकने के लिये देश में नये उद्योगों को जन्म दिया जाय उस समय मैं समझता हूं कि जिस प्रवृत्ति का माननीय राजनारायण जी ने उल्लेख किया है, मेरे ख्याल से उसका अन्त होना चाहिये। विशेष तौर से मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा। माननीय राज नारायण जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि चीन में इस बारे में क्या कहा गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय चीन, जापान और बिलोचिस्तान का सम्बन्ध कहां से चला आया ?

श्री अध्यक्ष--अगर कोई सिद्धान्त की बात आप कहना चाहते हैं तो संक्षेप में ही उसको कहें।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं केवल उसका उल्लेख ही करना चाहता हूं। उन्होंने मिल मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध में कहा है--

"The alliance of the working class with the national bourgeoisie has played a positive role in educating and remoulding the bourgeois people. In the future we can continue our work of uniting education and remoulding them through this alliance, so that they may place their knowledge in the service of socialist construction,"

मैं सिर्फ उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गांधी जी ने भी यही कहा था कि हमको के पेटलिस्ट्स, श्रमिकों तथा देश के हर वर्ग की जो शक्ति है उस शक्ति को एकत्रित कर के हमें देश की समस्याओं को, बेकारी की समस्या को और देश की गरीबी की समस्या को दूर करना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देवकीनन्दन विभव--तो मैं यह जो शब्दों और बातों को कह रहा हूं वह कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं चीन के एक बहुत बड़े सोशलिस्ट की बात कह रहा हूं जो चीन की समस्याओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करता है। मुझे विश्वास है कि माननीय राजनारायण जी जरा मेरी इस बात पर ध्यान देंगे और आगे जब वे हमको बहुत ही उपदेश देते हैं तो और देशों में भी समाजवादी क्या कर रहे हैं उसको भी अवश्य ध्यान में रखें।

*श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ पालीवाल जी और राजनारायण जी के उन संशोधनों का विरोध करना पड़ रहा है। मैं माननीय पालीवाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हिन्दी के विद्वान् हैं। इस धारा की को जरा पढ़ें --

"४-ञ-जब राज्य सरकार की राय में औद्योगिक संस्थाओं के किसी वर्ग पर अथवा किसी औद्योगिक संस्था में नियुक्त मजदूरों के किसी वर्ग पर धारा ४-झ के उपबन्धों के लागू होने से--

धारा ४-- झ में लिखा है कोई भी मालिक जो तृतीय अनुसूची में उल्लिखित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी मजदूर की सेवा के प्रतिबन्धों में कोई परिवर्तन करना चाहे, ऐसा परिवर्तन--

(क) ऐसे मजदूरों को, जिन पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन की स्वरूप की नियत रीति से सूचना दिये बिना, तथा

(ख) ऐसी नोटिस देने के २१ दिन के भीतर, न कर सकेगा।"

मेरे कहने का मंशा यह है कि कोई भी श्रमिक किसी फैक्टरी में शाम को देख जाता है कि एक नोटिस लगी हुई है कि किस तरह से काम होगा लेकिन दूसरे दिन सुबह वह आकर देखता है कि वह चीज बदल गयी है। यानी शाम को तो वह देख जाता है कि इस तरह से काम करना पड़ेगा लेकिन सुबह देखता है कि उसको दूसरे तरह से काम करना पड़ेगा। यदि वह काम नहीं करता है तो साधारण कानून के अनुसार जो कि मौजूद है उसे निकाल दिया जायगा कि उसने काम नहीं किया। या उसके ऊपर और ऐक्शन लिया जा सकता है। इस विधेयक में यह है कि अगर आप किसी चीज को बदलना चाहें तो २१ दिन का समय दें। अगर पालीवाल जी यह बात कहते तो मैं अवश्य उनका समर्थन करता। आगे है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी दशा में उपर्युक्त कोई परिवर्तन कार्यान्वित करने के लिये कोई नोटिस आवश्यक न होगा।" जबकि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट फैक्टरीज में जो काम करने वाले हैं जिनको वे सब सुविधायें नहीं मिलती हैं उनको भी मिलें। असल में गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी एम्पलायर है और इस वजह से हम सभी चाहते हैं कि वहां के मजदूरों को भी वे ही सुविधायें मिलें जो कि प्राइवेट फैक्टरीज वालों के लिये हैं। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा समय-समय पर अपने को उससे एग्जेम्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अब यह कहा जाय कि सरकारी कारखानों में होगा और गैर सरकारी कारखानों में नहीं होगा तो इससे जरा दिक्कत पड़ेगी। इससे यह भी होगा कि मिल मालिक भी कहेंगे कि सरकार अपने को बचाये हुए है। जो धारा १५ (२) है उसमें है कि "उपधारा (१) के अधीन दी गयी प्रत्येक आज्ञा राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी"। यानी इस चीज को भी विधान मंडल के सामने बहस के लिये लाया जा सकता है? धारा १५ (१) में है --"राज्य सरकार, किन्हीं भी कठिनाइयों के निवारणार्थ और विशेषतः उन कठिनाइयों के निवारणार्थ जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के संशोधनों के संक्रमण में उत्पन्न हों, आज्ञा द्वारा आदेश दे सकती है, कि उपर्युक्त प्रकार से संशोधित अधिनियम तथा मूल अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित या प्रचारित नियम अथवा आज्ञायें इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष पर्यन्त ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए जो परिष्कार, परिवर्द्धन अथवा अकरण (modification, addition or ommission) के रूप में किये जायं और जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक इष्टकर समझे, प्रभावी होंगे।"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी]

इस सम्बन्ध में मुझे कहना यह है कि क्या आप चाहते हैं कि इस तरह की चीजें विधान मंडल के सामने आवें ? इसमें मुझे एक डर है और वह यह कि हो सकता है कि असेम्बली का अधिवेशन न हो और उस बीच में कोई ऐसी बात पैदा हो जिसके लिये सरकार को आर्डिनेंस लाना पड़े और उसके द्वारा वह इसको प्रचारित कर दे । अगर सरकार ने आर्डिनेन्स के द्वारा लागू कर दिया और आगे सदन न बैठा तो एक नई समस्या पैदा होगी और फिर उस आर्डिनेन्स का मुकाबला करना होगा उस मजदूर जमाअत को, नेताओं को, सब को । इसलिये इस चीज को वह न रखें तो अच्छा है ।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि ये चीजें सदन के सामने आवें, ऐसा मैं इसलिये चाहता हूं ताकि सदन उन पर विचार कर ले आर्डिनेन्स आ गया तो उसके लिये क्या बचाव हो सकता है ? बचाव यह हो सकता है कि सरकारी गजट में आज्ञायें प्रकाशित हों और उसके बाद इस बात की आवश्यकता है और मैं तो इसके लिये सदन का आभारी होऊंगा कि मजदूरों के सम्बन्ध में जो आज्ञायें निकलें उनको पढ़ें और सदन में उस विषय में वार्तालाप हो, प्रश्नोत्तर हों और विचार विनिमय हो । इसलिये मेरी राय है और मेरा तजुर्बा है कि एक दो फैसलों में सरकार ने संशोधन किये, वह मेज पर भी आये लेकिन उन पर आज तक विचार नहीं हुआ । इसलिये इस में डर है कि दोनों सदनों में विचार होने में देर लगे और २१ दिन बीत गये और कार्यवाही हुई तो मुसीबत आ जायगी । इसलिये इस के लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं है, दूसरा स्थान है जहां पर कि सरकार अधिकार ले रही है वहां पर वह उसका विरोध करें तो अच्छा होगा । इन बातों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

आचार्य जुगल किशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय पालीवाल जी ने पेश किया है उसके सम्बन्ध में अभी श्री अवस्थी जी ने जो बातें कही हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि उन्हों ने उनका ध्यान उस धारा की ओर दिलाया है जिसमें वह संशोधन चाहते हैं । इस धारा में केवल इतना ही है कि ऐसी परिस्थिति यदि पैदा हो जिससे कि उद्योग-धंधों का नुकसान होता हो उस हालत में गवर्नमेंट केवल अपने गजट में प्रकाशित कर के रोक लगा सकती है जिससे २१ दिन के नोटिस देने का जो नियम है वह लागू न हो । शेड्यूल १ व २ में जो चीजें दी गई हैं उनमें से किसी एक पर भी अगर कन्डीशन्स आफ सर्विस बदली जाती हैं तो श्रमिकों को अधिकार होगा कि वे कोर्ट या लेबर ट्रिब्युनल के पास जा सकते हैं, उनको इस अधिकार से वंचित नहीं किया गया है, वह तो केवल ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि जिस में यदि २१ दिन का नोटिस दिया जाय तो संबंधित उद्योग धंधे को नुकसान पहुंचता हो, यह कोई पूंजीपति के नुकसान को रोकने की बात नहीं है बल्कि उद्योग धंधों के नुकसान को बचाने के लिये है और इसीलिये सरकार ने यह अधिकार लिया है । फिर गजट में जो चीज छप जाती है उसको छिपाया कैसे जा सकता है, माननीय पालीवाल जी ने कहा कि अंधेरी कोठरी में यह सब कर लिया जायगा, गजट तो पब्लिक की चीज हो जाती है और उसकी प्रतियां भी माननीय सदस्यों के पास जाती हैं ।

माननीय राजनारायण जी ने जो संशोधन रखा है उन्होंने तो इसका मतलब ही निकाल दिया है । २१ दिन का नोटिस न दिया जाय इसीलिये यह अधिकार लिया जाता है, अगर यह इस तरह से हाउसेज में आये और हाउस एडजर्न हो तो और भी मुश्किल हो जायगी उससे तो अच्छा होगा कि गवर्नमेंट २१ दिन का नोटिस ही देने दे और इस अधिकार का प्रयोग ही न करे, इस अधिकार का प्रयोग तो फौरन कार्य कराने के लिये होगा और उसकी विज्ञप्ति हो जायगी । मैं समझता हूं हाउस के सामने लाने से कोई मतलब हल न होगा, सदस्य लोग प्रस्ताव और प्रश्न आदि के रूप में हाउस के सामने मामले को ला ही सकते हैं । इसलिये मैं समझता हूं इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि इसमें किसी को भ्रम तो नहीं होना चाहिये । यह जो धारा है इसका केवल इतना ही उद्देश्य है कि २१ दिन का जो नोटिस देने का उनको अधिकार है वह लाजमी न हो जाय । वे उसको चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस अगर विपरीत पड़ती हैं तो लेबर को पूरा अधिकार है कि कोर्ट में जाकर मुकदमा करे । वाद विवाद के रूप में, झगड़े के

रूप में और उसको पूरा अधिकार होगा यह निर्णय करने का कि जो परिवर्तन हुए हैं वे मुनासिब हैं या नहीं हैं। माननीय पालीवाल जी मेरे भाषण के बाद अगर इसका उद्देश्य समझ गये होंगे तो वे अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में विशेष कर उसके विरुद्ध जो बातें माननीय बहुगुणा जी से, अवस्थी जी से और माननीय श्रम मंत्री जी से मैंने सुनी हैं उनको सुनने के बाद मेरा यह विश्वास और भी बढ़ गया है कि मेरा यह संशोधन अनिवार्य तो है ही। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्यों समझा? जो भ्रम हुआ है वह वास्तव में भ्रम मुझे नहीं हुआ है। यह मैं मानता हूं कि जिन शब्दों में इस धारा १५ के शब्दों में मैंने अपना संशोधन रक्खा है उसके कारण भ्रम जरूर हो रहा है तो उसकी वजह से अगर भ्रम होता है तो उसका दोष मेरा नहीं है। मैं तो यह समझता हूं जैसा कि रूल मेकिंग पावर में होता है---कोई काम नहीं रुकता है सरकार के इस अधिकार को लेने से। गजट में आदेश को प्रकाशित कर दीजिये, जिस दिन से प्रकाशित हो जाय, लागू हो जाय. मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति इस बात पर है उसके लागू हो जाने के बाद, गजट में प्रकाशित हो जाने से कोई बात नहीं चलती। उनको सदन के समक्ष रक्खा जाय और उन परिष्कारों के अधीन वे रहें जिनको सदन करना आवश्यक व उचित समझे, यह मेरा मतलब था। रूल मेकिंग पावर में जो गलती हुई है वह यह कि १५ को उसमें हूबहू नकल रखने से सरकार यह न कह सके कि हमारे अधिकारों में कुछ ज्यादा कमी की जा रही है। जो आपने गलती की है वही मैंने की है। इसको देखते हुये उसको संशोधन करने की जरूरत है।

माननीय बहुगुणा जी इस बात को मानेंगे कि गजट में प्रकाशित होने से सदन को यह अधिकार तो हो नहीं जाता कि उन नियमों में वह कोई परिष्कार कर सके। १४ दिन के लिये जब वे सदन के समक्ष रक्खे जायें उनमें जो सदन परिष्कार करना चाहे वह अधिकार सदन को करने का होता है और सदन उसको देख सकता है कि जो आदेश दिया गया है वह सही है या नहीं। यह मान कर चलिये, मैं इसे मान कर चलता हूं। २१ दिन के नोटिस की बात है। सरकार जो करेगी मजदूरों के हित में करेगी, उद्योग के हित में करेगी। यह भी मान लूं लेकिन जो शब्द यहां हैं वे अनहेपी हैं "मालिकों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो"। उद्योग बेचारा दूसरे नम्बर पर आता है। दरअसल में जो भाषा है वही बड़ी अनहेपी है कि अवस्थी जी के बावजूद भी इस प्रकार का निष्कर्ष निकल सकता है। पहले शब्द उसमें यही हैं "मालिकों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो"। उद्योग वाली बात बाद को आती है। तो मालिकों वाली बात के बारे में मुझे यह कहना है कि उद्देश्य सरकार का चाहे जो कुछ हो और सरकार ईमानदारी से सही समझ कर के कदम उठा रही हो लेकिन अगर जजमेंट सरकार का गलत है तो सदन को यह अधिकार नहीं होता, यह अवसर नहीं मिलता कि विधिवत् जैसा कि नियमों में है कि वह सदन के समक्ष रखे जायं। लागू तभी हो जायं जब गजट में प्रकाशित हुए। लेकिन वह परिष्कारों के अधीन रहें जो सदन उनमें करना उचित समझे। तो जैसे सरकार उद्योग को बचाने के लिए कोई काम करे तो यह क्यों मान लिया जाता है, साधारणतया सिद्धान्त में भी यह नहीं माना जा सकता कि सरकार ही इस बात का ठीक निर्णय कर पायेगी सदन नहीं कर पायेगा। यह तो सिद्धान्त की बात हुई; व्यवहार की बात यह है कि जब सरकार कोई काम करती है तो यहां जो पार्लियामेंटरी पद्धतियां हैं, बहुमत के अनुसार काम होता है। और पार्टी ह्विप भी होता है। सरकार जब कोई काम कर लेगी तो जब तक सरकार स्वयं इस बात से संतुष्ट न हो जाय कि उसका आदेश गलत है और उसको बदलना चाहिए तब तक अगर सदन निर्णय करना चाहे तो कर भी नहीं सकता है। इसलिए यह आशंका कतई गलत है। मैं फिर कहता हूं कि इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो संशोधन माननीय राजनारायण सिंह जी ने रखा है उसमें आपत्ति हो सकती है। उसमें लागू होने से पूर्व शब्द रखे हैं उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं इस बात के पक्ष में हूं और मतलब मेरा यही है कि रूल

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मेकिंग पावर की तरह हो जाय। गजट में प्रकाशित होने पर लागू हो जाय इसके बाद जब सदन की बैठक हो तो सदन के सामने रखने में व्यवहार में कोई हानि नहीं हो रही है। सदन अगर परिष्कार करना चाहे तो करे। उसमें न अध्यक्ष जी को आपत्ति होगी, न माननीय श्रम मंत्री जी को और न बहुगुणा जी को। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार होना चाहिए।

जहां तक शब्दों का प्रश्न है शब्द तो इसमें वैसे भी गलत हैं। अध्यक्ष महोदय मुझे क्षमा करेंगे। "राज्य विधान सभा के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे।" विधान सभा के दो सदन तो हैं नहीं। विधान मंडल के दोनों सदन हो सकते हैं। यह तो शब्दभ्रम हुआ है। वह तो जो शब्द विधेयक में हैं उनके कारण ही है। उसमें अगर चाहें तो मैं जैसा कि रूप नियमों में होता है वैसा कर दूं।

श्री अध्यक्ष--विधेयक में "विधान मंडप" लिखा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---वह तो छपने की गलती है लेकिन यह भाषा की गलती है। मंडप हम लोगों के ऊपर है भी।

गजट में प्रकाशित होते ही लागू तो हो जायगा। लेकिन उन अधिकारों के अधीन होगा जो सदन करना उचित समझे। इसमें मेरे ख्याल में माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि वह स्वीकार कर लेंगे, जब तक यह बात न हो कि सरकार का राजहठ प्रसिद्ध है और आज माननीय बहुगुणा जी जहां बैठे हुए हैं। बहुगुणा के मानी होते हैं कई गुणा। उनकी सम्मति, उनके सम्पर्क, और संसर्ग से अगर मंत्री जी का हठ बहुगुणा बन गया हो तो दूसरी बात है। नहीं तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।

आचार्य जुगलकिशोर---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और बतलानी है। यह जो धारा इसमें रखी गयी है यह सेंट्रल ऐक्ट के अनुसार ही रखी गयी है। मेरा दलील देने का कोई मतलब यह नहीं है कि हम मुनासिब नहीं समझते हैं। मजबूर होकर यह रखना पड़ रहा है। सेंट्रल ऐक्ट में भी यही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही मैं उसको जवाब देते वक्त नहीं कह सकता। यदि हाउस के सामने कोई मामला विचाराधीन हो, सम्भव है असम्भव नहीं है बिलकुल ही निश्चय है कि लेबर की तरफ से उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई कंडीशंस आफ सर्विस में चेंज तो फौरन ही मामला कोर्ट में चला जायगा। और जब वह विचाराधीन कोर्ट के हो जायगा तो हम उसके ऊपर विचार नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा भी मैं समझता हूं कि गजट में जो चीज निकल जाती है वह छिपी हुई नहीं रहती है। तो जैसा कि उनका इशारा था कि गवर्नमेंट छिपा कर के इस अधिकार का दुरुपयोग करना चाहती है वह बात भी नहीं है। सेन्ट्रल ऐक्ट में भी यह प्रोवाइडेड है और हमने भी इसको मुनासिब समझा। वैसे हम इस धारा को निकाल भी दें तब भी यह हमारे ऊपर लागू हो सकती है। हम इसमें संशोधन जरूर कर सकते हैं लेकिन उसके लिये हमें उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। इसलिये मैं कहूंगा, माननीय पालीवाल जी से, कि इस वक्त में भी अगर वह मुनासिब समझें तो इसको वापस ले लें, नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं मूल संशोधन को पहले ले लेता हूं और यदि वह स्वीकृत हुआ तो राजनारायण जी का फिर संशोधन उसमें ले लिया जायगा और अगर यह स्वीकृत नहीं हुआ तो दोनों अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा ४-ञ के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायं---

"इस धारा के अधीन दी गई मुक्ति (Exemption) का प्रत्येक आदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायणजी का संशोधन भी गिर गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन न स्वीकार करके सरकार ने काम तो ऐसा किया है कि उसके विरोध में मैं इसे पेश करूं लेकिन वैसे मैं जानता हूं कि वह अंकुश न होने से सरकार के उस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है पर उस विधान की जरूरत आवश्यकता है इसलिए मैं इसे पेश नहीं करता।

*श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४--ङ निकाल दिया जाय। श्रीमन्, जहां तक अभी संशोधन चल रहा था माननीय पालीवाल जी का उससे थोड़ा मैं सहमत भी था और थोड़ा असहमत भी था। वह इसलिए कि मैं समझता था कि इस सदन के समक्ष आया तो उसका वही नतीजा होगा जो होने वाला है। मैं तो इस क्लाज को ही ऐसा समझता हूं कि नहीं रहना चाहिए और सरकार को यह पावर कतई नहीं देना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, श्रीमन्, कि मालिकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिसका सम्बद्ध उद्योग पर गम्भीर दुष्परिणाम हो सकता है, इस क्लाज में है क्या, श्रीमन्, इस क्लाज में यह है कि मिल मालिक के लिए लाजिमी होगा कि वह २१ दिन की नोटिस दे और किसलिए नोटिस दे वह अनुसूची तीन में लिखा हुआ है कि "मजदूरी जिसके अन्तर्गत भुगतान की अवधि तथा ढंग भी है मालिक द्वारा" इस तरह से लिखा हुआ है। यानी कोई उनकी सर्विस कंडीशन चेंज करना चाहे या उनके काम के घंटे में चेंज करना चाहे या उनमें कमी करना चाहे या इधर-उधर कुछ करना चाहे तो उसको जरूरी होगा कि २१ दिन की नोटिस दे। यह जो धारा है उसका इतना ही मतलब है। यह सरकार यह अधिकार रखना चाहती है कि जिस इंडस्ट्री को चाहे उस इंडस्ट्री को इस धारा से मुक्त कर दे। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर्चे वह काम के घंटों में परिवर्तन की नोटिस या सर्विस कंडीशन चेंज करने की नोटिस २१ दिन की देता है तो इंडस्ट्री का क्या उलट-पुलट हो जायगा यह मेरी समझ में नहीं आया। क्या दुष्परिणाम हो जायगा ? यह जो क्लाज है यह यही है कि अगर्चे वह कोई ऐसा चेंज करना चाहता है तो मजदूर को मौका दे कि मजदूर जिसके ऊपर वह नोटिस तामील करता है वह सोचे समझे कि इस चेंज से उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। महज इतनी सी चीज है। तो यह सरकार इसमें जो पावर ले रही है कि उसको यह भी रोकने का अधिकार हो, वह जब चाहे तब जिस इंडस्ट्री को चाहे उसको एग्जेम्प्ट कर दे कि वह नोटिस न दे मजदूर को यह मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी किसी इंडस्ट्री में और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जायगी जिसके कारण यह जो मजदूरों को एक हक हासिल हो रहा है इस कानून के जरिये से कि उसको नोटिस मिलना जरूरी है कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें कि सरकार इसको छीने।

श्री जगन्नाथ मल्ल---माननीय अवस्थी जी ने कहा कि यह हो जायेगा कि आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है। इसी चीज को रोकने के लिये तो यह धारा बनी हुई है अगर्चे यह धारा खत्म हो जाती है तो जैसा कि अवस्थी जी को डर है तो वह बात होगी। मिल मालिकों को इस से कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस को निकाल दिया जाय। यह नहीं हो सकता है कि मिल मालिक का आज यह हुक्म होगा, कल दूसरा होगा क्योंकि २१ दिन तक उसको इन्तजार करना पड़ेगा। यह तो बहुत ही अच्छी धारा है। अगर सरकार इस चीज को लाना चाहती है तो सरकार को यह समझना चाहिये कि वह किस लिये यह चीज लाना चाहती है। सरकार इस पावर को लेकर के मिल मालिकों के साथ कुछ रियायत करना चाहती है। इस धारा से मजदूरों का फायदा होता है इसलिये सरकार को इस में चेंज नहीं करना चाहिये और शक्ति को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

मैं समझता हूं कि सरकार इस को वापस ले ले तो अच्छा है और सरकार मिल मालिकों की ज्यादा हामी न भरे। अगर्चे यह चीज रहेगी तो मजदूरों का नुक्सान होगा। अगर सरकार समझती है कि मजदूरों की भलाई करनी है तो वह इस को वापस ले ले। नहीं तो मनमानी चलती ही है, मंत्री जी जैसा चाहें वैसा रखें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे मित्र ने सदन के सामने उपस्थित किया है, वह किसी हद तक चाहे उनकी भावना क्यों न हो, जो उन्होंने रखा है उसको वह पूरा नहीं करता है। अगर इसको भवन स्वीकार करले तब भी उनकी मंशा पूरी नहीं होती है। लेबर एक कांकीरेंट सबजेक्ट है। इस में लिखा है कि:—

9—3. "Where the appropriate Government is of opinion that the application of the provisions of section 9-A to any class of industrial establishments or to any class of workmen employed in any industrial establishment affect the employers in relation thereto so prejudicially that such application may cause serious excussion or the industry concerned and that public interest so requires, the appropriate Government may, by notification in the official Gazette, direct that the provisions of the said section shall not apply or shall apply, subject to such conditions as may be specified in the notification that to class of industrial establishments or to that class of workmen employed in any industrial establishment."

श्री अध्यक्ष—कौन सी धारा है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट एज मोडीफाइड अपटू फर्स्ट जुलाई, १९५४ के चैप्टर २—ए की धारा ९—बी, पृष्ठ २९ है। श्रीमन्, यह जो पीली कापियां भवन में बंटी हैं उस के पृष्ठ २९ पर है। यह सारे का सारा चैप्टर नोटिस आफ चेंज का है। यदि हम माननीय जगन्नाथ मल्ल जी की बात मान लेते हैं तब भी हमारे एक्ट में नोटिस की व्यवस्था का कोई प्रावीजन नहीं रह जायगा। इसका नतीजा यही होगा कि सेंट्रल एक्ट प्रिवेल कर जायगा। अगर हमारे बने हुये ऐक्ट में व्यवस्था नहीं रहेगी तो जो सेंट्रल एक्ट में दिया हुआ है वही प्रिवेल करेगा। यह तो एक नार्मल बात है और वकील लोग इस को जानते हैं। अतः इस से कोई प्रश्न सुधरता नहीं है।

दूसरी बात यह है कि. . . . .

श्री अध्यक्ष—अपना भाषण आप कल जारी रखिये।

(इस के बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
३० अक्तूबर, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

थाना मुहम्मदाबाद के कांस्टेबिल श्री सूरज नाथ सिंह की हत्या का विवरण

८ अक्तूबर, सन् १९५६ को थाना मुहम्मदाबाद के कांस्टेबिल श्री सूरज नाथ सिंह, स्टेट बनाम शंकर अहीर इत्यादि, धारा ११० क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, के मुकदमें के सम्बन्ध में कोर्ट नोटिस की तामील करने भेजे गये थे। जब वह थाने वापस नहीं आये तो उन के ढूंढने का भरसक प्रयत्न किया गया जिस के फलस्वरूप उन की लाश १५ अक्तूबर की शाम को टोंस नदी में उतराती हुई पाई गई। लाश के पोस्ट मार्टम से पता चला कि उन की हत्या गला घोट कर की गई थी। इस सम्बन्ध में आई० पी० सी० की धारा ३०२ / ४०४ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिस की जांच हो रही है।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५४ पर)

नेशनल हाइवे पर बनाये जाने वाले पुलों की तालिका

पुलों के नाम		अनुमानित लागत
		रुपये
१—आगरा में यमुना नदी का पुल	..	५५.०० लाख
२—करनाला के पुल के पानी के मार्ग को चौड़ा करना	..	.६६ ,,
३—मिरजापुर—रेवा रोड पर बेलन नदी का पुल ..	..	८.०० ,,
४—मिरजापुर—चुनार रोड पर खजूरी नदी का पुल	..	३.५० ,,
५—गाजियाबाद में हिन्डन नदी के पुल को चौड़ा करना	..	४.३४ ,,
६—हापुर गढ़ रोड पर छाया नाला का पुल ..	..	१.२५ ,,
७—गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी का पुल ..	..	९३.४३ ,,
८—लखनऊ—बरेली रोड पर कोसी नदी का पुल	..	२५.०० ,,
९—मेरठ—बरेली रोड पर रझेरा के पुल का पुनर्निर्माण	..	४.०० ,,
१०—मुरादाबाद में राम गंगा का पुल ..	..	७०.०० ,,
११—मुरादाबाद—बरेली रोड पर नरी नाला का पुल	..	३.०० ,,
१२—मुरादाबाद—बरेली रोड पर संखा नाला का पुल	..	१.१० ,,
१३—लखनऊ—झांसी सड़क के मील ९८ में यमुना नदी का पुल ..		१०३.०० ,,
१४—झरघाट में बेतवा नदी का पुल ..	..	२३.४५ ,,
१५—अयोध्या में सरजू नदी का पुल ..	..	१२४.३७ ,,
१६—गोरखपुर के पास राप्ती नदी का पुल ..	..	३५.५० ,,
१७—गोरखपुर—गाजीपुर रोड की मील १९ में गोमती नदी का पुल		२५.१० ,,
१८—गोरखपुर—गाजीपुर रोड के मील १३० में घाघरा नदी का पुल		९१.४० ,,
१९—वाराणसी में मालविया ब्रिज (रेलवे) का डेकिंन। ..		,,
२०—लखनऊ—दिल्ली रोड पर भकरा नदी का पुल	..	१०.९८८ ,,
२१—लखनऊ—दिल्ली रोड पर बेगुल नदी का पुल	..	२०.९६७ ,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७३ पर)

शासकीय आदेश सं ४७९४ सी/९ ए, दिनांक २३ मार्च के अंतर्गत दिये गये अनुदानों की सूची ।

क्रम सं०	जिला बोर्ड का नाम	अनुदान
		रुपये
१	देहरादून	७९,२५०
२	सहारनपुर	७,०७५
३	मुजफ्फरनगर	८,०००
४	मेरठ	१०,८२५
५	बुलन्दशहर	२४,७२५
६	अलीगढ़	२०,७५०
७	मथुरा	११,१५०
८	आगरा	१६,६०५
९	मैनपुरी	१६,४००
१०	एटा	२३,३००
११	बरेली	६,४२५
१२	बिजनौर	१२,५१०
१३	बदायूं	१८,१००
१४	मुरादाबाद	१०,७२५
१५	शाहजहांपुर	७,७७५
१६	पीलीभीत	८,३००
१७	फरुखाबाद	२७,९००
१८	इटावा	१७,१७५
१९	कानपुर	१५,५२५
२०	फतेहपुर	१८,३७५
२१	इलाहाबाद	३७,५७५
२२	झांसी	४०,१२५
२३	जालौन	१७,०००
२४	हमीरपुर	१६,९७५
२५	बांदा	२०,७७५
२६	बनारस (वाराणसी)	१५,३७५
२७	मिर्जापुर	२४,३५०
२८	जौनपुर	२७,१७५
२९	गाजीपुर	१६,०७५
३०	बलिया	२१,०००
३१	सब बोर्ड भदोही	२,७२५
३२	गोरखपुर	१५,३५०
३३	बस्ती	१८,९७५
३४	आजमगढ़	११,०५० (इस बोर्ड को २५,००० रु० और

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	जिला बोर्ड का नाम	अनुदान
		(अलग से दिया गया है।)
		रुपये
३५	देवरिया	१६,०५०
३६	नैनीताल	३,६७५
३७	अलमोड़ा	१६,२२५
३८	गढ़वाल	२७,७५०
३९	लखनऊ	२२,०२५
४०	उन्नाव	२४,०२५
४१	रायबरेली	१५,३२५
४२	सीतापुर	११,८००
४३	हरदोई	११,५२५
४४	खेरी	२०,०५०
४५	फैजाबाद	१४,२५५
४६	गोंडा	१२,१००
४७	बहराइच	१७,७५०
४८	सुल्तानपुर	२५,३५०
४९	प्रतापगढ़	३१,४२५
५०	बाराबंकी	६,७२५
	योग ..	९,२९,४७०

शासकीय आदेश सं० ४७९४ सी/१/९ ए, दिनांक २३ मार्च, १९५६ ई० के अन्तर्गत दिये गये अनुदानों की सूची

क्र० सं०	जिला बोर्ड का नाम	अनुदान
		रु०
१	मुरादाबाद	३८,०००
२	शाहजहांपुर	५५,०००
३	बनारस (वाराणसी)	२,८५,०००
४	जौनपुर	५५,०००
५	बलिया	८०,०००
६	गोरखपुर	२,६८,०००
७	बस्ती	३४,५३०
८	सीतापुर	२१,०००
९	गोंडा	२३,०००
१०	प्रतापगढ़	१,७८,०००
११	बाराबंकी	१६,०००
	योग :	१०,५३,५३०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२४१ एल० ए०—१९५६—७९६।